C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XIV, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 11, Thursday, December 10, 2015/ Agrahayana 19, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Human Rights Day	11
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Clarification from the Government on its foreign policy vis-à-vis Pakistan	12
(ii) Re: Contamination of water in the villages of District Ballia, Uttar Pradesh	851-852
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 161 to 163	21-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 164 to 180	44-129
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	130-667

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 668-680

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
25th and 26th Report 681

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
3rd Report 681

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
(i) 78th Report 681
(ii) Evidence 682

MATTERS UNDER RULE 377 709-731

(i) Need to increase anti-erosion projects for Assam
Shri Kamakhya Prasad Tasa 710

(ii) Need to renovate the historical monuments in Kalpi in Jalaun parliamentary constituency, Uttar Pradesh and also develop the city as a tourist place
Shri Bhanu Pratap Singh Verma 711

(iii) Need to start construction work for Deoghar Airport in Jharkhand
Shri Nishikant Dubey 712

(iv) Need to run daily trains from Kaimur, Rohtas and Aurangabad districts to Patna
Shri Sushil Kumar Singh 713

(v) Need to repair National Highway 37 in Assam

Shri Rameshwar Teli 714

(vi) Need to make proper arrangement for procurement of agriculture produce at Minimum Support Price particularly in Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 715

(vii) Need to start operation of morning and evening flights from Delhi and Mumbai to Jodhpur and introduce flights from Jodhpur to Chennai and Bengaluru

Shri P.P. Chaudhary 716-717

(viii) Need to declare Shravasti district of Uttar Pradesh as drought-hit

Shri Daddan Mishra 718

(ix) Need to start Ambaradi Safari Park in Gujarat

Dr. Kirit P. Solanki 719

(x) Need to provide compensation to farmers who suffered crop loss caused by heavy rains and hailstorms in Sambhal parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Shri Satyapal Singh 720

(xi) Need to provide compensation to farmers distressed due to crop loss caused by unseasonal rains, hailstorms in Kanpur Nagar and Kanpur Dehat districts in Uttar Pradesh and also take other measures to mitigate the sufferings of the farmers

Shri Devendra Singh Bhole 721-722

(xii) Need to release unutilised funds allocated for conservation of heritage buildings and monuments in Jharkhand based on the recommendation of 13th Finance Commission and develop Itkhori and Kauleshwari in the State as tourist places

Shri Sunil Kumar Singh 723-724

(xiii) Need to expedite the four laning work on NH- 67 and construct bridges and flyovers in Coimbatore

Shri P. Nagarajan 725

(xiv) Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Ariyalur town of Chidambaram parliamentary constituency

Shri M. Chandrakasi 726

(xv) Need to expedite the process for release of funds for protection of Mangrove forests in Mahanadi Delta and Devikadua estuary sites in Odisha

Dr. Kulamani Samal 727

(xvi) Need to demarcate Sisupalgarh site near Bhubaneswar and protect it from encroachment

Shri Bhartruhari Mahtab 728

(xvii) Need to include people belonging to Dhangar community of Maharashtra in the list of Scheduled Tribes

Shri Sadashiv Lokhande 729

(xviii) Need to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act to address the difficulties in revenue sharing between Andhra Pradesh and Telangana

Shri Jayadev Galla 730

(xix) Need to strengthen food safety and enforcing standards

Shri Jose K. Mani 731

DISCUSSION UNDER RULE 193

Drought situation in various parts of the country 732-822

Shri Tariq Anwar 732-735

Shri Hukmdeo Narayan Yadav 736-740

Shri Ch. Malla Reddy 741-742

Dr. Kirit P. Solanki 743

Dr. Arun Kumar 744-746

Shri Kapil Moreshwar Patil 747-748

Shri Rajesh Ranjan 749-753

Shrimati Riti Pathak 754

Shri Rahul Kaswan 755-756

Dr. Kulmani Samal 757-758

Dr. Kesineni Srinivas	759-765
Shri Ganesh Singh	766-770
Dr. Manoj Rajoria	771-772
Dr. Mamtaz Sanghamita	773-775
Shrimati Anju Bala	776-777
Shrimati Anupriya Patel	778-780
Shri Sanjay Kaka Patil	781-782
Shri Raosaheb Patil Danve	783-784
Shri Devendra Singh Bhole	785-787
Dr. Pritam Gopinath Munde	788-790
Shri Prataprao Jadhav	791-793
Shri Abhishek Singh	794-795
Shri Asaduddin Owaisi	796-798
Shri Sumedhanand Saraswati	799-800
Shri Bhairon Prasad Mishra	801-802
Shri C.R. Chaudhary	803-804
Shrimati Rakshatai Khadse	805-807
Shrimati Meenakashi Lekhi	808
Shri Naranbhai Kachhadia	809
Shri Sanjay Dhotre	810-812
Shri Sadashiv Lokhande	813-814
Shri Dushyant Chautala	815-817

Shri Birendra Kumar Choudhary	818
Shri Rodmal Nagar	819
Shrimati Santosh Ahlawat	820-821
Shri Ravindra Kumar Pandey	822

COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS BILL, 2015

Shri P. P. Chaudhary	823-824

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015

Shrimati Nirmala Sitharaman	825-826 844-847
Motion to Consider	826
Shri Tathagata Satpathy	827-830
Shri Jagdambika Pal	831-833
Shri Anandrao Adsul	834-835
Dr. Ravindra Babu	836-837
Dr. Manoj Kumar Rajoria	838-839
Shri P.K. Biju	840-841
Shri Prahlad Singh Patel	842-843
Clauses 2, 3 and 1	848
Motion to Pass	848

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 883

Member-wise Index to Unstarred Questions 884-889

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 890

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 891-892

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 10, 2015/Agrahayana 19, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Human Rights Day

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन् 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र को अंगीकार किया था।

मानवाधिकार हर व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है जो हम सभी को विश्व समुदाय के रूप में एक सूत्र में पिरोकर रखता है। यह दिवस मानवाधिकार के बारे में जनचेतना बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

आइए, हम सब इस अवसर पर समस्त मानव जाति, विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri K.C. Venugopal, Deepender Singh Hooda, Ravneet Singh, Mallikarjun Kharge, Rajesh Ranjan, Jai Prakash Narayan Yadav, Prem Singh Chandumajra, P. Karunakaran, Prof. Saugata Roy and Shri M.B. Rajesh on different subjects.

The matters, though important, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमैंट मोशन अलाऊ नहीं करेंगे।

…(व्यवधान)

11.03 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Clarification from the Government on its foreign policy vis-à-vis Pakistan

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you want a statement.

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, the issue raised by Prof. Saugata Roy is very important. I already had a talk with the hon. Minister of External Affairs. She will make a statement in the House and is also willing for a discussion because she has been there and new developments have taken place. We will take it up. She has come back only today.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : ठीक है, अच्छी बात है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, कल लोक सभा की कार्यवाही में भदोही के सांसद वीरेन्द्र सिंह ने बहुत आपत्तिजनक, अपमानजनक और बदनाम करने वाला वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह अपमानजनक वक्तव्य न केवल वर्तमान दो सदस्यों राहुल जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ दिया, बल्कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी के खिलाफ भी दिया जो बहुत ही निन्दनीय है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप इस इश्यू को ऐसा मत करिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सभी यहाँ पर संविधान के रक्षक के रूप में और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप अपने अधिकार अर्जित करते हैं। ...(व्यवधान) इस सदन के एक सदस्य का बहुत ही अशोभनीय आचरण देखने में बहुत चौंकाने वाला है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला यह था कि सत्ता पक्ष के सदस्य उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, उचका रहे थे जिनमें सरकार के मंत्री भी शामिल थे, वे सुन रहे थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, इतना सारा मत बोलिये। खड़गे जी आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतना मत करिये नहीं तो फिर गड़बड़ होती है। आप चाहे जो बात हो, उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। मैंने अभी एडजर्नमैंट मोशन स्वीकार नहीं किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्योंकि आप थोड़े में नहीं बोलते।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, it is wrong. Some Members of the Congress went to the Chair and also threw the papers. He cannot have it like this. … (*Interruptions*) He cannot do it like this. … (*Interruptions*) The entire party is condemning. That is not fair. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप भी मेरी बात समझिये।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let us discuss it coolly. Your own people are coming to the Well of the House. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Khargeji, I am sorry. खड़गे जी, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Your own people come to Well of the House. You come to the Well of the House. How do you justify it? … (*Interruptions*)

11.05 hours

(*At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह इसलिए है कि जब मैं बोलना शुरू करती हूं तो आपका माइक बन्द होता है। आप बात को तो समझिये। ऐसा नहीं होता है, आपका माइक बन्द नहीं किया है। आप समझ ही नहीं रहे हो।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam Speaker, how do you justify these people coming to the Well of the House. … (*Interruptions*) You create disorder and you want a response from others. … (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह नहीं चलेगा, कोई आपत्तिजनक बात रिकार्ड में आई हो तो रिकार्ड से हटा दीजिए। किसी की भी कोई आपत्तिजनक बात आई हो तो रिकार्ड से हटा दीजिए। अगर किसी ने अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला है तो रिकार्ड से हटा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूं। मैं समझा रही हूं, उनका माइक बन्द इसलिए हुआ, मैं जब बोलना शुरू करती हूं तो माइक बन्द होता है। मैं आपको कुछ समझा रही हूं न। आप बात तो समझिये। Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

11.07 hours

(*At this stage, Shri Rajiv Satav and some other hon. Members went back to their seats*)

माननीय अध्यक्ष: क्या होता है, खड़गे जी, जब मैं आपको कुछ समझा रही हूं, तब तो आप सुनेंगे कि नहीं। मैं आपको यह समझा रही हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ एक मिनट, आपको मैंने बोलने दिया, हालांकि मैं मौका नहीं देती, मैं बोलती क्वश्चन ऑवर के बाद बोलिये, क्योंकि आपके एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेज़ जितने भी थे, इसी विषय पर थे और आप सब लोग जानते हैं, जो भी कुछ गलत पर्सनल रिमार्क्स अलग सन्दर्भ में माननीय ज्योतिरादित्य जी और माननीय राहुल जी के लिए जो भी सदस्य के द्वारा किये गये थे, वे कल आप सभी के सामने हमने सभी के सभी एक्सपंज किये थे। फिर भी

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बात तो सुनिये। अब मेरा भी माइक बन्द होगा क्या? इसलिए मैं आपसे जो बोल रही हूं आप उतनी ही बात करो तो ठीक है। इस समय पूरे पक्ष, विपक्ष, पुरानी सब बातें नहीं होतीं, उसी पर आप बोलना। उसी पर आप बोलो, वे एक्सपंज की गई हैं। बात गलत है, मैंने खुद बोला है और इसलिए एक्सपंज भी की गईं कि किसी सदस्य को पर्सनल कुछ यह करके सदन में नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमने उस सन्दर्भ को बोला है और बात एक्सपंज हो गई है। इन दो चीजों के बारे में आपको बोलना है तो मैं सुनूंगी। आप पूरा सब निकालोगे और पूरे पक्ष-विपक्ष पर आरोप लगाओगे तो वह नहीं होता है। ऐसा तो सब लोग अपनी-अपनी बातों में हर कोई कुछ न कुछ बोलता रहता है। इसके लिए मैं रोक रही हूं।

अब आप एक मिनट के लिए बोलिये। खड़गे जी का माइक शुरू करें, मगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे, अदरवाइज़ माइक बन्द होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: देखिये, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं। मैडम, आप इस सदन में नहीं थीं, उस वक्त जो हुआ, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं बाहर की बातें नहीं कह रहा हूं और…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पूरा रिकार्ड देखा है और hon. Deputy-Speaker was there on the Chair. He has seen it.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपसे विनती करता हूं, यह एक प्रजातंत्र का मन्दिर है, क्या ऐसे उदाहरण, ऐसी बातों से इसको पोल्यूट करना चाहते हैं?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भाषण नहीं दें, आप अपनी बात कहिये। मैं चर्चा नहीं करा रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने हमेशा ऐसे पर्सनल अटैक करके बोला है, मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब क्या हुआ, जब वे बात कर रहे थे, नायडू साहब उनको रोक सकते थे, रूडी साहब उनको रोक सकते थे…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इतना नहीं बोलेंगे, यह सबको होता है। I am sorry.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन इसके बजाय इन्होंने क्रिटीसाइज़ करके सब को सपोर्ट करने की बात की। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, खड़गे जी। आप सुनिये। डिप्टी स्पीकर का भी रिमार्क है कि : "I will expunge, and I will see to it". यह भी बोला गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपसे यही चाहता हूं कि उन मैम्बर के ऊपर एक्शन लीजिए, कड़े से कड़ी शिक्षा दीजिए। दूसरी चीज़, ओपनली अपोलोजी वे करें। वे यहां आयें, यह हिट एण्ड रन नहीं चलता।...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, we want action. … (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम, खड़गे जी ने मेरा नाम लिया है।

माननीय अध्यक्ष: अब तो बैठिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उन्हें यहां आने दो, उन्होंने क्या बात कही, बोलने दो।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम, माननीय खड़गे जी ने मेरा नाम लिया है...(व्यवधान) इससे आप लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब इस विषय पर आप सब लोग मत बोलो। Do you want to say something? मैं इस चर्चा नहीं कर रही हूं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम, मेरा नाम लिया है। … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I am saying that after a long time, after the previous Session, this Session is running smoothly now. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not yet.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: If the Leader of the Party, Shri Kharge ji, wants to submit something, then our purpose should be that the House runs smoothly. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I have given time to him.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Yesterday, Shri Rahul Gandhi's name and Shri Jyotiraditya Scindia's name was taken..with ugly comments… (*Interruptions*) everybody knows in the world that from which family Shri Rahul Gandhi belongs or Shri Jyotiraditya Scindia belongs. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : No, we are not discussing these things. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : These are genuine issues. … (*Interruptions*) So, by naming somebody on the floor of the House is condemnable. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is what I have said.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: I appreciate your action that you have expunged it, but some precedent should be set so that such type of things never happen in the future either from this side to that side or from that side to this side. … (*Interruptions*) This is our sentiment. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This side or that side, I am saying this to both sides.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam Speaker, I would have kept quiet, but for the fact that respected Kharge ji has taken my name also. … (*Interruptions*) I am the last man to appreciate and I condone anybody saying anything against any person. Secondly, I have that much experience in Parliament and also in public life that there is no question of appreciating anybody referring to the name of the families or to the person, or taking the names of those persons who were not there.

The hon. Speaker has informed us that all the objectionable remarks have been expunged. Shri Kharge Ji is saying that this is "लोकतंत्र का प्रजा मंदिर।' यह मंदिर ठीक तरह से चले, इसका दायित्व भी सबके ऊपर है। लोगों ने वेल में आकर कहा – 'हिटलर मोदी,

तानाशाही नहीं चलेगी।" How can you call the Prime Minister of India, the darling of the Indian masses, a "Hitler"? How do you call him a "Hitler"? … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He is diverting the issue. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It is not your issue alone. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What Shri Sudip Ji said is correct.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, you were not there in the House, in the Chair. Hon. Deputy-Speaker was there at that time. Some of the Members went up to the hon. Deputy-Speaker and threw papers at him. What action will be taken against them? Let us control our Members. Let us maintain decorum in the House.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई न करे।

…(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let us maintain decorum in the House. उनके खिलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए।…(व्यवधान) यह एक तरफ नहीं हो सकता, यह दोनों तरफ होना चाहिए।…(व्यवधान) दोनों तरफ मिलकर ठीक तरह से सदन चले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात भी बिल्कुल सही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने चैम्बर में बैठकर इसे देख रही थी। पेपर्स फेंकना, स्पीकर के टेबल तक आना, ये चीज़ें जो शुरू हो रही हैं, ये अच्छी नहीं हैं। हम सबको इन बातों से बचना चाहिए। वे बातें भी गलत हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी तरफ से ऐसा जो भी होता है, एक-दूसरे के ऊपर इस प्रकार के कमेंट्स, वह पर्सनली तो होना ही नहीं चाहिए। हम इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें।

वीरेन्द्र जी, आपने जो कल दोनों के लिए बोला है, मैंने खुद उस बात को एक्सपंज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कहें कि ऐसा नहीं था, तो इसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। इस प्रकार के पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए। बात केवल इतनी ही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, मैं आपको बता रही हूं कि whatever you have said is not correct. That is the only thing.

… (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : वह एक्सपंज हो गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आप बैठिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस, और कुछ मत बोलो। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You should not say anything more.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आप बैठिए। मैंने आपका माइक ऑन नहीं किया है। मैं आपको एक प्रकार से चेतावनी दे रही हूं। प्लीज़, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, आपने जो कहा था, वह उचित नहीं है। मैं यही कह रहा हूं। इसके आगे मत करिए।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Please take action against him. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैंने उनको खुद वार्निंग दी है। I have given the warning to him. What else should be done?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ऐसा नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have given the warning to him. मैंने उन्हें बोलने नहीं दिया है। मैंने उन्हें वार्निंग दी है कि भविष्य में यह नहीं होना चाहिए।

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Should we not take action against those people who come into the Well of the House? Should we not take action against those

people who threw papers at the Deputy-Speaker? What is this? If somebody has done something wrong, the hon. Speaker has expunged it. Nobody is approving it. Shri Gogoi has come into the Well of the House; Shri Ravneet Singh has come into the Well of the House and threw papers? It is there to see in front of everybody. Both the things are wrong. Let everything be expunged. … (*Interruptions*)

11.13 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बात को मत बढ़ाओ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बात को मत बढ़ाओ। फिर आपको भी पेपर फेंकने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी।

…(व्यवधान)

11.14 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. 161, Shri K. Parasuraman.

(Q. 161)

SHRI K. PARASURAMAN: Hon. Speaker, Madam, the Government has announced an ambitious target of setting up 750 gigawatts of wind, solar and biomass power projects by the year 2022. Solar energy is expected to account for 18 per cent of total power generation capacity in India. This can only be possible if the Government includes the installation of solar systems in all the infrastructure projects being executed by the Government and extend the number of solar parks in the country.

So, I would like to know whether the Union Government will themselves come forward to set up the rooftop solar system in the existing mega structures and new projects to be initiated by them like projects relating to development of airports, railways so as to achieve the target by the year 2022 in solar power generation. What kind of action has been taken by the Government to set up the solar parks in the country?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, we are very much conscious of the fact that rooftop solar is an outstanding way to reach solar power to the length and breadth of the country. We, already, have a scheme by which grid connected rooftop and small solar power plant programme by which we give 30 per cent subsidy for all the States of the country and 70 per cent subsidy on the capital cost of investment in the seven North-Eastern States including Sikkim, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. That scheme is going on all over the country. In that scheme, we have already approved 2080.32 megawatt of projects and 362 megawatt systems have already been given financial sanction. Now we are proposing to come up with another scheme by which we will give 30 per cent subsidy to all the PSUs, all Government offices, schools, colleges, hospitals so that they can also go in for

solar rooftop in a very large way. We have recently signed an MoU with the Indian Railways. The Railway is also going to set up solar rooftop all across the country.

SHRI K. PARASURAMAN: Madam, my second supplementary question is this. Hon. Minister has told that to encourage installation of solar rooftop systems, the banks are providing loans, as a part of home loan and home improvement loan for solar rooftop systems to individuals. But, there is no awareness about the availability of bank loan for installation of solar rooftop system in the houses.

I would request the hon. Minister to inform whether the Government has instructed banking sector to give priority for home loan with installation of solar systems.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, we have already given instructions to all the bank branches all over the country to give loan up to Rs.10 lakh under priority sector, whenever a home loan is given. In fact, existing homes are also allowed to take an additional add-on loan up to Rs.10 lakh. So, as things stand today, everybody has the capacity to go and get this loan. I will take the message of the hon. Member to the banking sector to advertise it a little more and create awareness of this home loan.

श्री महेश गिरी: स्पीकर मैडम, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए हैं। …(व्यवधान) इस देश के अंदर हम छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की परियोजना चला रहे हैं। …(व्यवधान)

लाखों ऐसे लोग हैं, जिनके घरों में वैसी छत नहीं है, छत नहीं है, जो झुग्गी-बस्ती में रहते हैं, गांव-गरीब जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों तक यह परियोजना किस तरह से पहुंच सकती हैं? …(व्यवधान)

इसमें दिक्कत यह आती है कि इसमें कई तरह की, जैसे नोडल एजेंसी है, राज्य सरकार है, उसके बाद ये कंपनियां होती हैं और खुद केन्द्र सरकार भी इसमें सहयोगी होती है। …(व्यवधान) जब इसे लगाने की प्रक्रिया की बात आती है तो इसे कई तरह से अलग-अलग माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, जो बहुत क्रिटिकल होता है। …(व्यवधान) इसके लिए सब्सिडी मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है।

...(व्यवधान) मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि इसका सरलीकरण करने के लिए क्या हमने कोई कदम उठाए हैं, जिससे लाखों गरीब लोगों को इसका पूरा फायदा मिल पाए?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जी के सुझाव बहुत अच्छे हैं।...(व्यवधान) हम इसका और सरलीकरण करेंगे।...(व्यवधान) यह और ज्यादा गांवों तक पहुंचे उसके लिए हमने सोचा है कि एक और योजना लायी जाये।...(व्यवधान) जिससे गांवों में छोटे ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस बना कर, छोटे माइक्रो ग्रिड्स बनाकर किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन करने की सुविधा मिले।...(व्यवधान) जहां तक झुग्गी-झोपड़ी का सवाल है ...(व्यवधान) जब तक वे अवैध हैं तब तक बैंकों को उन्हें लोन देने में तकलीफ होती है।...(व्यवधान) एक बार वे वैध घोषित हो जायें, ऑथोराइज्ड हो जायें, उसके बाद उनको बैंकिंग सैक्टर के द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए मैं वित्त मंत्री और वित्त विभाग से भी चर्चा करूंगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1140 hours.

11.21 hours

The Lok Sabha then adjourned
till Forty Minutes past Eleven of the Clock.

11.40 hours

The Lok Sabha re-assembled at Forty Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS ....Contd.

(Q. 162)

*SHRIMATI RITA TARAI: Madam, I thank you for giving me the opportunity to ask the supplementary questions on this important subject. I have gone through the reply of the Hon'ble Minister, but I find the reply evasive. Even though the Minister has admitted the importance of connectivity of National Highways, he has not submitted the details of the 700 kilometers of new connectivity which are to be laid in different States of India. I want the details of the Bharatmala project state wise and demand that backward area in my constituency Jajpur should get priority for connectivity under the new National Highways being planned by your Ministry…. (*Interruptions*)

11.42 hours

(*At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shrimati Ranjeet Ranjan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

…(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सदस्या ने माइनर पोर्ट्स जो राज्य सरकार के अधीन हैं, उन्हें नेशनल हाईवे से जोड़ने के बारे में सवाल पूछा है।…(व्यवधान) यह बात सही है कि हमारे देश की प्रगति और विकास के लिए पोर्ट्स के डैवलपमैंट के लिए हमने सागरमाला नाम से प्रोजैक्ट की शुरुआत की है।…(व्यवधान) हमने सात हजार किलोमीटर भारत माला में पोर्ट्स कनैक्टिविटी के लिए रखे हैं।…(व्यवधान) इसमें मेजर पोर्ट्स को कनैक्टिविटी दे रहे हैं।…(व्यवधान) साथ ही माइनर पोर्ट्स को भी कनैक्टिविटी देने का हमारा प्रयास है।…(व्यवधान) मैं सम्माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने आंध्र प्रदेश में माइनर पोर्ट्स के लिए 450 किलोमीटर 13 रोड्स मंजूर की हैं, कर्नाटक में 12 माइनर प्रोजैक्ट्स के

* English translation of the speech originally delivered in Oriya.

लिए कनैक्टिविटी रोड्स मंजूर की हैं, महाराष्ट्र में 784 किलोमीटर मंजूर की है और ओडिशा में आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी अगर माइनर पोर्ट है और रोड कनैक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो उसे भी हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे और नेशनल हाईवे बनाएंगे जिससे वहां से कन्टेनर ट्रैफिक सहजता से जा सकेगा, ऐसी रोड कनैक्टिविटी करके देंगे।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने पोर्ट-रेल कनैक्टिविटी कार्पोरेशन भी खोला है जो मेजर पोर्ट में रेलवे कनैक्टिविटी का काम कर रहा है। अगर राज्य सरकार माइनर पोर्ट में कहती है तो रेल कनैक्टिविटी के लिए हम उन्हें मदद करेंगे और आपके पोर्ट को पूरी तरह रेल और रोड दोनों कनैक्टिविटी देकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग का जो सागरमाला प्रोजैक्ट है, उसमें इन पोर्ट्स के विकास के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।

*SHRIMATI RITA TARAI : Madam, I would like to urge the Hon'ble Minister to expedite completion of NH 5, six-laned between Chandikhol and Panikoili in Jajpur district.

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, माननीय सदस्य ने चंडीपुर नेशनल हाईवे 6 को जोड़ने की बात की है, इस बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, इसका आप डिटेल दीजिए। अगर आवश्यकता हुई तो उसे हम चार लेन या छह लेन करकर उस रोड को भी मंजूर करेंगे।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity.

I would like to thank the hon. Minister for his response and in particular for the Bharat Mala Pariyojana for 7,000 kilometres of roads around the country. … (*Interruptions*) This is particularly important for the State Odisha because of our almost 500 kilometres coastline and three ports already functioning with other proposals there for ports. This is also particularly important for my constituency Kendrapara which has 50 kilometres of coastline. … (*Interruptions*) We have two ports at the southern end of Kendrapara which is Paradip Port in Jagatsinghpur district and we have Dhamra Port in the northern end of Kendrapara.

* English translation of the speech originally delivered in Oriya.

This question is particularly important because in Kendrapara despite 50 kilometres of coastline we cannot have a port because of the turtle sanctuary, because of wildlife sanctuary. … (*Interruptions*) So, it is critically important for these roads to be connected. My question to the hon. Minister is whether he can give us a commitment of a timeline in which this Bharat Mala Pariyojana can be expedited. … (*Interruptions*)

श्री नितिन गडकरी : महोदया, भारतमाला परियोजना में पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 7,000 किलोमीटर की शर्त रखी है, …(व्यवधान) हम इसके लिए डीपीआर बनाएंगे, इसमें लैंड एक्विजिशन का भी प्रोबल्म है, …(व्यवधान) कुछ जगहों पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस का भी प्रोब्लम है। यह नई योजना 7,000 किलोमीटर की है इसमें से कुछ काम हम अप्रैल के पहले शुरू कर देंगे। …(व्यवधान) इसके लिए इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लीयरेंस चाहिए, लैंड एक्विजिशन के लिए राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए, …(व्यवधान) एक्विजिशन का काम पूरा होने के बाद हम तुरंत इस पर काम शुरू कर देंगे। …(व्यवधान) आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट का उल्लेख किया है। पाराद्वीप देश का सबसे अच्छा पोर्ट बन सकता है। …(व्यवधान) महाद्वीप महाकोल फील्ड में कोल फील्ड प्रोडक्शन जो 60 मिलियन टन से 300 मिलियन टन होने वाला है …(व्यवधान) इसके लिए 4000 करोड़ रुपये खर्च करके रेल कनेक्टिविटी बनाने का प्लॉन कर रहे हैं, …(व्यवधान) रोड कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, …(व्यवधान) पाराद्वीप के बगल में हम नई जगह लेकर नए पोर्ट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। …(व्यवधान) पाराद्वीप पोर्ट कोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें रेल और रोड कनेक्टिविटी का भी प्रश्न हैं, उसे हम सुलझांऐगे। …(व्यवधान)। राज्य सरकार के अधीन जो छोटे पोर्ट हैं उसे भी रोड, रेल और पोर्ट कनेक्टविटी के लिए कहेंगे, …(व्यवधान) भारत सरकार की तरफ से हमारा विभाग उनकी पूरी तरह से सहयता करेगा।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity.

Providing road connectivity between non-major ports and national highways is of great importance as it helps in the economic development of the State and the country as a whole. … (*Interruptions*)

May I know from the hon. Minister whether he has received any proposals from the Government of Andhra Pradesh for connectivity between non-major ports and national highways during the Twelfth Five-Year Plan period? May I also

know whether the Minister has any plan to connect the Visakhapatnam Port with the national highways? … (*Interruptions*) There is one bid for Anakapalli – Anandapuram National Highway; the DPR is pending. That is a very important road. … (*Interruptions*) Please start the work immediately. Already our State Government has submitted the proposal to the Government of India. … (*Interruptions*) The Visakhapatnam Port also has a huge potential with dock facilities for export and import of goods.

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशाखापटनम पोर्ट के बारे में कहा है, तो उसमें हम प्रधानता से काम करेंगे। …(व्यवधान) मैं चार दिन पहले ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल में आया था। …(व्यवधान) हमारे विभाग ने आंध्र प्रदेश के 65 हजार करोड़ रुपये के रोड प्रोजैक्ट्स मंजूर किये हैं। …(व्यवधान) इन सब प्रोजैक्ट्स का काम अगले साल के दिसम्बर से पहले निश्चित रूप से शुरू होगा, यह मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। …(व्यवधान) लैंड एक्वीजिशन के बारे में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी है। …(व्यवधान) जहां-जहां लैंड एक्वीजिशन का डीपीआर बन रहा है, वह पूरा होगा। …(व्यवधान) हम तुरंत काम शुरू करेंगे। हमने प्रदेश सरकार को कहा है कि आप इसकी डीपीआर जल्दी बनाइये। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि यह जल्दी हो जायेगा। …(व्यवधान) जो फोर लेनिंग कम्पलीट हुआ है …(व्यवधान) फोर लेनिंग ऑफ एग्जीस्टिंग टू लेन रोड का वर्क अंडर प्रोग्रेस है। …(व्यवधान) हम फोर लेनिंग भी तुरंत शुरू करेंगे। …(व्यवधान) अगर ट्रैफिक डेन्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कन्टेनर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हम सिक्स लेन के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shrimati Bijoya Chakravarty. The Question is regarding connecting ports.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: I am thankful to the hon. Minister as since he has taken charge of the Ministry he is taking a lot of pain to develop port and port connectivity. It is a welcome effort on the part of the Minister.

Madam, we all agree that the development of ports, be it sea or river, is very essential for overall smooth carrying of goods and passengers but so far this sector has been neglected. In this connection, through you, I would like to know from the hon. Minister that it was proposed that ports of river Brahmaputra in the Northeastern region in Assam would be taken urgently. I hope that the hon.

Minister has taken care of it. I would like to know from the hon. Minister how far the work regarding the proposed ports of river Brahmaputra in Assam has progressed.

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सदस्या ने जो कहा, वह सही है कि हमारे देश में पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ...(व्यवधान) चाइना में 47 परसेंट पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक पानी पर है। जापान और कोरिया में 43 और 44 परसेंट है। ...(व्यवधान) यूरोपीयन देशों में 40 परसेंट से ज्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रैफिक पानी पर है, जबकि हमारे देश में केवल 3.5 परसेंट है। ...(व्यवधान) अगर हम रोड से जायेंगे तो डेढ़ रुपये का खर्चा आता है। रेलवे से जायेंगे तो एक रुपये का खर्चा आता है और पानी से जायेंगे तो 25 पैसे का खर्चा आता है। ...(व्यवधान) इसलिए हमने अभी बंगलादेश के साथ करार किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र में गुड्स के लिए सीमलैस ट्रैफिक खुला हो गया है। ...(व्यवधान) इसलिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर नार्थ ईस्ट में हम छोटे-छोटे वाटर पोर्ट्स बना रहे हैं। ...(व्यवधान) हम पैसेंजर्स जेटी के लिए 10 करोड़ रुपये का अनुदान देंगे और कन्टेनर, फ्लोटिंग जेटी के लिए 25 करोड़ रुपये का अनुदान देंगे। ...(व्यवधान) आपकी कांस्टीटूएंसी गुवाहटी में पाण्डु जेटी है, उसके विकास के लिए हमने 50 करोड़ रुपये देने का निर्णय किया है। ...(व्यवधान) अब नार्थ ईस्ट का, पूरे कोलकाता, गंगा से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था डायरेक्ट होगी, यह मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

(Q. 163)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसके 'ग' भाग में इंडियन एयरलाइन्स के कुल राजस्व और कुल व्यय का ब्यौरा दिया है। ...(व्यवधान) उसे देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में कुल राजस्व की तुलना में व्यय काफी अधिक है। ...(व्यवधान) इंडियन एयरलाइन्स बहुत ही नाजुक स्थिति में है। ...(व्यवधान) वर्तमान में कंपनी पर लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का खर्च है। ...(व्यवधान) इसमें से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का खर्च नये विमानों की खरीद से संबंधित है। ...(व्यवधान) प्राइवेट एयरलाइन्स के आने से पहले एयर इंडिया का मार्केट शेयर 60 प्रतिशत था, जो अब केवल 17 प्रतिशत है। ...(व्यवधान) जिसके फलस्वरूप एयर इंडिया को पैसेंजर्स और कार्गो ट्रैफिक में बहुत क्षति हुई है। ...(व्यवधान)

इसके कई प्रमुख कारण हैं, इन कारणों के संबंध में सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय 70 प्रतिशत ही हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। इस कारण दोनों के वेतन भत्ते और प्रमोशन में लगातार विवाद होता रहता है।...(व्यवधान) सरकार ने इस दलदल से उबारने के लिए क्या सोचा है? लोहानी समिति में अश्वनी लोहानी जी को एयर इंडिया का नया सीएमडी बनाया है, इससे निश्चित रूप से उम्मीद है कि कोई रास्ता खुलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय में क्या परेशानियां आ रही हैं और यह विलय कब तक पूरा हो जाएगा?...(व्यवधान) यह एयर इंडिया के वर्तमान वित्तीय घाटे का सबसे बड़ा कारण है। क्या सरकार धर्माधिकारी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करेगी?...(व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, I appreciate the concern expressed by the hon. Member… (*Interruptions*). We do have merger problems because both these units have to merge… (*Interruptions*). We are working on it. We are trying to see that they are able to work as a team … (*Interruptions*). We are happy to say that in certain cases they have been able to work as a team so much so that now the silver lining on the cloud is that it is likely to show the operating profit two years before it was scheduled to show profit.… (*Interruptions*). So that itself is a good news. It is a good Airline and it has received battering from everywhere and it needs the support of everyone … (*Interruptions*).

So I would request the hon. Member to extend his support in all ways so that we can work together and let this Airlines which is the pride of the country fly high … (*Interruptions*).

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, एयर इंडिया के काफी बड़ी संख्या में अधिकारी न्यूयार्क, पेरिस, लंदन और गल्फ देशों में कार्यरत हैं। उनको वहां जो वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, वह हमारे देश में काम करने वाले अधिकारियों की तुलना में काफी ज्यादा है।...(व्यवधान) ऐसे देशों में, जहां एयर इंडिया का कम काम हुआ है, जहां एयर इंडिया कम सेवाएं दे रही है, उन राष्ट्रों से कर्मचारियों को वापस बुलाकर घाटा हो रहा है। क्या आप घाटा कम करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे?

महोदया, राकेश मोहन जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, उनका मत था और उनके द्वारा एयर इंडिया को रिकैपिटलाइज, रिस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनली, वर्किंग कैपिटल ऋण को माफ करने और सरकार द्वारा सिर्फ 26 प्रतिशत सरकारी रक्षण के सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को लागू करने के बारे में कोई विचार करेंगे?...(व्यवधान)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, we are working together for the upliftment of the Airline … (*Interruptions*). We are closing offices abroad… (*Interruptions*). We are recruiting operational staff like Pilots, Service Engineers and Cabin Crew … (*Interruptions*). These are showing results. We are now having more aircraft flying in the air than on the ground. So every stone is being turned to see that this Airline survives and serves the Indian people… (*Interruptions*).

SHRI K.N. RAMACHANDRAN: Madam Speaker, first of all, I would like to thank the Government of India for having taken immediate steps to bring out the isolated and trapped passengers from the Chennai Airport which was flooded by recent torrential rains … (*Interruptions*). This is not flood but this is Tsunami. Thousands of human lives were saved because of the precautionary measures taken by our Amma … (*Interruptions*).

I would like to submit to the hon. Minister that many students from north India who were studying in and around Chennai as also the Central Government employees who were working there, were flown from Chennai to their respective

native places. People were very happy with this gesture. … (*Interruptions*). Now the situation has become normal and they are now slowly coming back … (*Interruptions*). I would request the hon. Minister to consider giving concessions in air fare to all those students and the Government employees who are now returning back to colleges and their respective offices.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: The situation is unfortunate. The aviation sector has launched its operation and has evacuated all the passengers. A large number of personnel have worked beyond the call of duty for evacuating the passengers there. We are providing whatever help can be provided. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House will now take up Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy of the 11th Annual Statement (Hindi and English versions) on Pending Law Commission Reports-(December, 2015).

[Placed in Library, See No. LT 3330/16/15]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगेः-

(क) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3331/16/15]

(ख) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3332/16/15]

(2) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-

2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3333/16/15]

(3) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3334/16/15]

(4) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3335/16/15]

(5) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3336/16/15]

(6) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3337/16/15]

(7) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3338/16/15]

(8) (एक) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3339/16/15]

(9) (एक) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3340/16/15]

(10) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3341/16/15]

(11) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3342/16/15]

(12) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3343/16/15]

(13) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3344/16/15]

(14) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कल ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3345/16/15]

(15) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015

के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3346/16/15]

(16) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3347/16/15]

(17) (एक) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्पेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3348/16/15]

(18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3349/16/15]

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगेः-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3350/16/15]

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 3351/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aero Club of India, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3358/16/15]

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Madam Speaker, I, on behalf of Shri Piyush Goyal, beg to lay:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a)(i) Review by the Government of the working of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the SJVN Limited, Shimla, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3352/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the NTPC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3353/16/15]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Neyveli Lignite Corporation Limited and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited and its subsidiary companies NLC Tamilnadu Power Limited and Neyveli Uttar Pradesh Power Limited for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3354/16/15]

(2) A copy of the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 792(E) in Gazette of India dated 20th October, 2015 under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

[Placed in Library, See No. LT 3355/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015:-

(i) G.S.R. 848(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2015, regarding procedure of collecting the auction proceeds and the amount realized from allotment by Nominated Authority.

(ii) S.O. 849(E) published in Gazette of India dated 10th November, 2015, regarding transferring of coal mines.

[Placed in Library, See No. LT 3356/16/15]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for tariff determination from Renewable Energy Sources) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. L-1/94/CERC/2011 in Gazette of India dated 23rd October, 2015.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2015 published in Notification No. L-1/153/2014/CERC in Gazette of India dated 6th August, 2015.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2015 published in Notification No. 18/1/2013/Reg.Aff.(As Regul.)/CERC in Gazette of India dated 19th August, 2015.

(iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. 1/14/2015-Reg. Aff.(FSDS)(i)/CERC in Gazette of India dated 10th August, 2015.

(v) The Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) (Second Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. 1/14/2015-Reg. Aff.(FSDS)(ii)/CERC in Gazette of India dated 10th August, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3357/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam Speaker, I, on behalf of Shri Sanwar Lal Jat beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3359/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): Madam Speaker, I, on behalf of Shri Manoj Sinha, beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Railway Sports Promotion Board, Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Railway Sports Promotion Board, Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3360/16/15]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3361/16/15]

(b)(i)Review by the Government of the working of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3362/16/15]

(3) A copy of the Railway Passengers (Cancellation of Ticket and Refund of Fare) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 836(E) in Gazette of India dated 4th November, 2015 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

[Placed in Library, See No. LT 3363/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam Speaker, I beg to lay:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i)Review by the Government of the working of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3364/16/15]

(b)(i)Review by the Government of the working of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Kamarajar Port Limited, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3365/16/15]

(c)(i)Review by the Government of the working of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3366/16/15]

(d)(i)Review by the Government of the working of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii)Annual Report of the Central Inland Water Transport Corporation Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3367/16/15]

(2)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3368/16/15]

(3)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3369/16/15]

(4)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2014-2015.

(iii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iv)A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3370/16/15]

(5)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2014-2015.

(iii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iv)A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3371/16/15]

(6)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3372/16/15]

(7)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2014-2015.

(iii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iv)A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3373/16/15]

(8)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2014-2015.

(iii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iv)A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mormugao Port Trust, Goa, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3374/16/15]

(9)(i)A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2014-2015.

(iii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iv)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Kandla Port Trust, Kandla, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3375/16/15]

(10)(i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii)A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii)A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3376/16/15]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963:-

(i) G.S.R. 518(E) published in Gazette of India dated 29th June, 2015, approving the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(ii) G.S.R. 504(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2015, approving the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(iii) G.S.R. 631(E) published in Gazette of India dated 14th August, 2015, approving the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(iv) G.S.R. 503(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2015, approving the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(v) G.S.R. 522(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2015, approving the New Mangalore Port Trust Employees' (House Building Advance) Special Family Benefit Fund Amendment Regulations, 2015.

(vi) G.S.R. 551(E) published in Gazette of India dated 10th July, 2015, approving the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(vii) G.S.R. 724(E) published in Gazette of India dated 18th September, 2015, approving the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(viii) G.S.R. 602(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, approving the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(ix) G.S.R. 603(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, approving the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(x) G.S.R. 604(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(xi) G.S.R. 605(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, approving the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3377/16/15]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Academy of Highway Engineers, Noida, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3378/16/15]

<u>12.01 ½ hours</u>

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

25th and 26th Report

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक लेखा समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय से संबंधित ‘भारत में आपदाओं से निपटने की तैयारी’ विषय पर 25वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

12.02hours

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE
3rd Report

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, I beg to present the Third Report (Hindi and English versions) of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.02 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

(i)78th Report

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam Speaker, I beg to present to lay the Seventy-eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015.

(ii)Evidence

SHRI P.P. CHAUDHARY : Madam Speaker, I beg to lay a copy of the Evidence tendered before the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I want to raise a point of Order… (*Interruptions*) Madam, all I want to say is, today in response to what Shri Mallikarjun Kharge had said, … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are raising a point of order. What is the rule concerned? आप किस रूल की बात कह रहे हैं? आप प्वायंट आफ आर्डर किस रूल के अंतर्गत कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही बात करो?

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, please listen to me. You are losing patience. … (*Interruptions*) Madam, I am mentioning the rule. Please look into your desk. You will find that I have given a notice mentioning the rule.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं जीरो ऑवर शुरू करने की बात कह दी है। जीरो ऑवर में प्वायंट आफ आर्डर नहीं होता है, फिर भी आप अपनी बात कहें।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Please see under Rule 376(2). It says that between two businesses, you can raise a point of order. You kindly see Rule 376(2). I can raise a point of order as per that rule.

I will be very brief. In the morning, after Shri Mallikarjun Kharge made his submission, the Leader of Trinomool Congress, Shri Sudip Bandyopadhyay also made a submission. We are all pained and anguished by the sort of words that were used in the Lok Sabha yesterday. I wondered that to what level we are bringing down this Parliament. When a Member of this Ruling Party… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन भाषण नहीं करने दूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I agree with whatever Shri Sudip Bandyopadhyay has said. आप क्या कहना चाहते हैं, वह बोलिए और ये बात छोड़ दीजिए। It is because every Member is making some sort of remark.

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: There are rules followed in this House like Rule 352(2), Rule 353, Rule 355 and Rule 356. Rules 355 and 356 refer to what the Speaker can do from the Chair when a Member is making an allegation. The Speaker may even ask him to cut short his speech. You used your power under Rule 380 to expunge parts of the speech made by Shri Virendra Singh of Bhadohi which contained defamatory or derogatory statements against two Members of this House.

Now, all I say is, you were very kind and very wise to take that decision. But one part of your statement remains unfulfilled. You said: वीरेन्द्र सिंह जी, यह अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। We appreciate it and it was heart lifting that you are doing something to raise the morale of the House but the last part of your statement was not followed though.

HON. SPEAKER: What is that?

PROF. SAUGATA ROY: You said that there is no harm in apologizing. Earlier, in this House, Shri Sakshiji Maharaj had apologized. This spectacle that some Members are shouting slogans and Ministers are going on with the business of the House pains me. And it touches my head.

All I plead before you is, Madam, please ask the hon. Member, Shri Virendra Singh to apologise. He is a big tall man who used to be a *pahalwan.* …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now you do not say anything like this. It is God's gift.

PROF. SAUGATA ROY: All right. He is a Member representing Bhadohi.…(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again you are doing the same thing.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, let me conclude. Let him ask for unqualified apology. The only thing which is preventing him is the Minister for Parliamentary Affairs standing up … *and defending him. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are doing the same thing again. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again you are making some remarks.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप भी ऐसा करने से बच नहीं रहे हैं।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Why should the Minister for Palriamentary Affairs stand up and defend him? You were giving your ruling. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Why are you making some remark? I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Again you are doing the same thing.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री के लिए जो रिमार्क्स दिए हैं, वे रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

… (*Interruptions*)… *

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैंने क्या कहा है? आप हमें समझाइए कि हमने क्या गलत कहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सवाल गलत बोलने का नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों बोलना है।

…(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: All I want to say is, let the Minister for Parliamentary Affairs not encourage such Members. Let him not encourage such a thing.

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। You are not helping me.

…(व्यवधान)

---

* Not Recorded

PROF. SAUGATA ROY: Let him apologise on your instructions and let peace, tranquility and good sense return to the House. … (*Interruptions*)

महोदया, आप उन्हें अपोलोजाइज करने के लिए कहिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please take your seat.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, मैंने आपका माइक बंद करवा दिया है, अब आप बैठ जाएं। आप सभी लोग मुझसे बड़े बन रहे हैं, इसलिए मैंने माइक बंद करवा दिया है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not fair every now and then. Prof. Saugata Roy, I have expunged the words that you have used. I have also said that whatever the Member, Shri Virendra Singh, spoke was not proper. अब एपोलॉजी के लिए मैं किसी का हाथ पकड़कर तो नहीं कहूँगी। I have said that he should apologise. That is all. No, I am sorry. इतना तो नहीं हो सकता है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down. Please take your seats now. दूसरी बात यह है कि आप कल यहाँ पर कागज फेंककर गये। यदि आप कल हाऊस में थे, यहाँ पर कागज फेंके गये। उस पर भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसलिए प्लीज बैठिए। ऐसा नहीं होता है। This is not the way. मेम्बर द्वारा स्पीकर की तरफ कल कागज फेंके गये। मैं किस-किस को सॉरी बोलने के लिए कहूँ। आप ही डिसाइड कीजिए कि मैं किस-किस को कहूँ कि आप सॉरी कहिए। क्या यह भी कोई अच्छी बात है कि स्पीकर की तरफ कागज फेंका जाए? मैंने कहा, यह ठीक नहीं है। मैं आप से कुछ सुझाव लेना नहीं चाहती हूँ, आप बैठिए। आप जो शब्द यूज कर रहे थे। इसलिए आप बैठिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kharge, what is it?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं एक मिनट दूँगी, लेकिन आप पूरे हिन्दुस्तान को आगोश में मत लीजिएगा।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : पूरे हिन्दुस्तान को यह भी मालूम होने दें कि इस सदन में कैसे-कैसे लोग हैं, कैसी-कैसी बातें करते हैं। ...(व्यवधान) मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार उनका पूरा सपोर्ट कर रही है और मेम्बर का इंसल्ट करने पर वे तुले हुए हैं। वे जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सपोर्ट पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट्री स्टेट मिनिस्टर भी कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे नहीं कर रहे हैं। No, he is not supporting.

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यदि आज आप उनको सस्पेंड नहीं करेंगे या वे अनकंडिशनल एपोलॉजी नहीं मांगते हैं, तो इस सदन का गौरव जाएगा और मेम्बर्स का भी गौरव जाएगा। जो प्रिविलेजेज कांस्टीट्यूशन और रूल्स के मुताबिक दिये गये हैं, उसे सरकार आज पूरा खत्म कर रही है। ..(व्यवधान) इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनको सस्पेंड कीजिए। ..(व्यवधान) आपको अथारिटी है। You are powerful. आपने अभी कहा, इस सदन में मेरे से बड़ा कोई नहीं। ..(व्यवधान) इसलिए आप बड़े हैं, उनको सस्पेंड कीजिए और उनको बताइए। आप उनको कह सकती हैं। ..(व्यवधान) अगर सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहती है, तो हम सहन करने वाले नहीं हैं। ..(व्यवधान) हम यह चाहते हैं, यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा, ..(व्यवधान) तीन चीजें इस सदन में हो रही हैं। एक तो असहिष्णुता का माहौल बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, राजनीतिक बदला लेने की भावना बढ़ रही है। ..(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह बात नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: तीसरा, कुछ नहीं मिला, तो संसद के सदन में जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ कुछ बोला जाए, उनका इंसल्ट किया जाए, उनका अपमान किया जाए। ..(व्यवधान) इसीलिए हम इसका प्रोटेस्ट करते हुए आज के दिन वाक-आऊट करते हैं ..(व्यवधान) और जब तक आप उनको एपोलॉजी के लिए ..(व्यवधान) और सस्पेंड करेंगी, तब हम उसको उठाएंगे और हम लोग आएंगे। ..(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): स्पीकर मैडम, हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि किसी पर व्यक्ति रूप से कोई टिप्पणी की जाए। ..(व्यवधान) आपने उन सभी चीजों को एक्सपंज कर दिया है। ..(व्यवधान) इन्होंने अपनी बात तो रख ली, लेकिन पूरे देश के सामने

पिछले दो दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बहस प्रारंभ की और सूखे पर बहस प्रारंभ करके अचानक सदन के वेल में आकर पिछले दिनों से हंगामा कर रहे हैं और स्पीकर के टेबल तक भी चढ़ जा रहे हैं। ..(व्यवधान) क्या यह अपने आप में स्पीकर का अपमान नहीं है, क्या यह अपने आप में संविधान का अपमान नहीं है, क्या यह अपने आप में पूरे सदस्यों का अपमान नहीं है? ..(व्यवधान) हम पूरी तरह से सहमत हैं कि किसी के बारे में भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन एक मर्यादा होती है, ..(व्यवधान) सदन चलाने की एक परम्परा होती है। ..(व्यवधान) आप अपनी बात रखते हैं और सदन के वेल में आकर पूरा दिन शोर करते हैं।..(व्यवधान) फिर उसके बाद बाकी सदस्यों पर आप आरोप लगाते हैं।...(व्यवधान) उस परिस्थिति में अपनी ओर से की हुई हरकत के बारे में आप इस सदन के सामने या देश के सामने कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान) आखिर सदन के भीतर यह दोहरा मापदण्ड कब तक चलता रहेगा, यह सब सदस्यों को जानने का अधिकार है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आपको भी देखना पड़ेगा कि यह दोहरा मापदण्ड नहीं चलेगा।...(व्यवधान) आप अपनी बात रख दें, आप अपना हंगामा करते रहें, ...(व्यवधान) आप टेबल पर चढ़ जाएं ...(व्यवधान) आप बयान करते रहें और फिर आप वॉक आउट कर जाएं और आप प्रधानमंत्री पर, ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर...(व्यवधान) आप सदन में प्रधानमंत्री के सामने पीठ दिखाते हुए खड़े होते हैं, सदन में इस बिन्दु पर खड़े होते हैं।...(व्यवधान) प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाते हैं, ...(व्यवधान) देश के प्रधानमंत्री को आप हिटलर कहते हैं...(व्यवधान) और उसके बाद आप कहते हैं कि आपका अपमान हुआ।...(व्यवधान) यह सब कब तक बर्दाश्त होगा? ...(व्यवधान) हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन यह तरफा रवैया, एक बहाना सदन को न चलने देने का, ...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही को बाधित करने का, सदन में जो बड़े काम देश के हित में किए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने की यह जो परम्परा कांग्रस पार्टी ने स्थापित किया है, उसे हम सदन में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदया, हमें इसमें आपका संरक्षण चाहिए।...(व्यवधान)

12.16 hours

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): My observation of the House is this. The Parliamentary Affairs Minister should take a lead if any situation arises on the floor of the House, according to me. My feeling is that floor

management, either the BJP Party-wise or the Parliamentary Affairs Minister's-wise is not sufficient. They are not rising to the occasion as it is expected of them. If Shri Mallikarjun Kharge wants to speak for two to three minutes, that is allowed. Shri Rajiv Pratap Rudy is not stopping. He delivers his speech for three or four minutes either inside the House or outside the House. He is delivering his speech like that. Our observation is what I told you just now. Exemplary punishment should be there. There are precedents. Prof. Saugata Roy mentioned that. I should express my regret if I say something wrong. What is harm in it if the House can run smoothly by that? You tried your best. That was also ignored. We also want to increase the prestige of this organization. We are also walking out of the House.

12.17 hours

(At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.)

श्री तारिक अनवर (कटिहार): अध्यक्ष महोदया, आप इस सदन की अध्यक्ष हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं, आपको सारे अधिकार प्राप्त हैं। इस सदन की मर्यादा की रक्षा आपको ही करनी है और जिस प्रकार से अभी संसदीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, ठीक कहा अभी माननीय सदस्य ने, कि उनको यह चाहिए कि किस तरह से हाउस को चलाया जाए, इसकी जरूरत है। वह जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है।

HON. SPEAKER: No, he is not defending him.

श्री तारिक अनवर:मैं चाहूंगा कि सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए जिन्होंने भी गलत काम किया है, उनकी निन्दा की जाए और उनसे माफी मंगवाई जाए, क्षमा मंगवाई जाए।...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): मैडम, तारिक अनवर साहब ने अच्छा सुझाव दिया, मैं इनसे सहमत हूं। स्पीकर पीठासीन हैं। हाउस में सब ...(व्यवधान) सुरेश जी, वाक आउट करके टाक आउट नहीं करना है भई, ...(व्यवधान) यह हाउस ठीक तरह से चले, सरकार का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, हम दोनों की मदद से स्पीकर सदन को ठीक तरह से चला पाएंगी।...(व्यवधान) जैसा अभी तारिक अनवर भाई ने कहा, आप जो उचित समझें, सदन में इन दिनों में जो हो रहा है।...(व्यवधान) मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि क्या हम सभी असहाय हैं,

निस्सहाय हैं? हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पर चर्चा हो, सूखे पर चर्चा हो। कुछ लोग बोलते हैं, फिर बाद में हंगामा करते हैं, बाकी लोगों को बोलने नहीं देते हैं।...(व्यवधान) कल जो लोग बोल रहे थे, ये लोग क्या नारा दे रहे थे, उसे भी ठीक तरह से सुनने का मौका नहीं मिला।...(व्यवधान) इसलिए मेरी प्रार्थना है कि Rule cannot be to one person only. I too agree. Shri Kharge was saying - दो मापदण्ड। दो मापदण्ड नहीं होने चाहिए। हाउस को डिस्टर्ब करे, वेल में जाए और दूसरे की बारी में प्रोटेस्ट करे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, कारण यह है कि बहुत दिन से हम लोग भी इसको झेल रहे हैं, कृपया वेल में आकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा देना और असभ्य शब्दों का प्रयोग करने से एवाइड करना चाहिए।

मैडम, कल आप सदन में नहीं थी, डिप्टी स्पीकर चेयर पर थे। कुछ सदस्य उनकी टेबल तक गए, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे तक नारे लगाते रहे। We are all matured people. We are Parliamentarians. We can have debate; we can score points also. There is nothing wrong. You can read well, and then, score something more than what I am saying. That should be the spirit but not allowing Parliament to function. My appeal to the Congress Party, the TMC, and other friends is, please allow Parliament to function. The entire country is watching towards us. We have the GST Bill, the Real Estate Bill, and other Bills. If you want to oppose also, you have got every right to oppose. I always say, I propose, you oppose, and let the House dispose. That is the system in democracy. Through Hon. Speaker, I am making a fervent appeal to all Parties, please let us allow Parliament to function; there is a heavy agenda.

मैंने सुबह देखा, जब ये लोग नारे लगा रहे थे, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हुई और आपने हाउस कुछ समय के लिए स्थगित किया। मेरा यह कहना है कि हम सब लोग अपना-अपना दायित्व निभाएं। हाउस ठीक तरह से चले, अच्छी तरह से बहस हो। टोका-टाकी होती रहती है लोकतंत्र में। विपक्ष का अधिकार है आलोचना करना, वह आलोचना करे, लेकिन जवाब भी सुने। मेरा कहना है कि आलोचना करे और जवाब भी सुने, इस पर यदि हम एकमत हो जाएं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम आलोचना करेंगे और आपको सुनेंगे नहीं, तो यह पद्धति लोकतंत्र में किसी के लिए स्वीकार्य नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के पास इतना मेनडेट होने के बाद भी, मैं स्पीकर महोदया के बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कल की प्रोसीडिंग का रिकार्ड देखा था। आपने मुझे कल रात को बताया, मैंने रिकार्ड देखने के बाद खुद

ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को फोन किया और बातचीत की। मेरा यह भी कहना है कि आपत्तिजनक बातें हटाने के बाद, फिर भी आपको कोई और बात आपत्तिजनक लगती है, तो स्पीकर को अधिकार है उसे कार्यवाही से हटाने का।

अध्यक्ष महोदया, किसी सदस्य के बारे में कुछ कहना है तो जो सदन में सब तरफ से हुआ, उस सबके बारे में क्या करना चाहिए, यह आप तय करिए। लेकिन एक तरफ एक्शन लेना, ऐसी मांग करना कि हमारे साथ न्याय करो, स्पीकर के बारे में भी नारा देना, डिप्टी स्पीकर के सामने, दस बार डिप्टी स्पीकर-डिप्टी स्पीकर कल बोला गया है।

Hon. Deputy-Speaker's patience was also tested. Normally, we are all human beings. कुछ सदस्य कहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री को इससे क्या मतलब, तो मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री का काम यह भी है कि सरकार की तरफ से कब क्या कहना है। सौगात राय जी ने पाकिस्तान का मामला उठाया। मैंने मैडम स्पीकर आपसे बात की और सुषमा जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से वापस आकर स्टेटमेंट तैयार करूंगी और आज या कल वह आपको नोटिस देंगी, फिर वह सदन में वक्तव्य देंगी। स्टेटमेंट देने के बाद वह उस पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं, जबकि सामान्यतः इस सदन में स्टेटमेंट के बाद चर्चा नहीं होती है, लेकिन वह तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए समझ लीजिए की सरकार का भी दायित्व होता है, जो मेनडेट हमें लोगों ने दिया, जो एजेंडा हमने देश के सामने रखा और वहां से हम बहुमत लेकर आए, उस पर अमल करना हमारा कर्त्तव्य बनता है। We have that responsibility towards the people. Please cooperate in allowing the House to function in a proper manner. Anything said which is unparliamentary, any reference to any individual, even as a Minister of Parliamentary Affairs, I do not approve of it at all, if it is derogatory. मैंने जैसा अभी कहा, with regard to Shri Kodikunnil Suresh, I just now said, `walk out, talk out'. पार्लियामेंटरी सिस्टम में तो इतना होता रहता है। If anything is objectionable, unparliamentary, or indecent for that matter, the Speaker is at liberty to remove it from the records of the House. Let the House function. You should not think that they are quarrelling on small issues, leaving the larger issues. That is my appeal to the Chair.

माननीय अध्यक्ष: मुझे लगता है कि इसे यहीं खत्म कर दें।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: सलीम साहब, अब रहने दें, काफी हो गया है। अब सबको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबकी मनीषा समझ रही हूं। आप सब सहयोग करना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो एक इश्यू हो जाएगा और उसके बाद आप सबको जो चाहिए, वह भी करना पड़ेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुषमा स्वराज जी का महत्वपूर्ण बयान है, वह आज है या कल है, एक निश्चित दिन बता दें, क्योंकि हो सकता है कि हम कहीं बिज़ी हो जाएं। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आज नोटिस देंगे, कल उस पर चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम जी, इसी विषय पर हर कोई बोलेगा, तो यह नहीं होना चाहिए।

श्री मोहम्मद सलीम: हम विपक्ष में होने के बावजूद भी यह चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री मोहम्मद सलीम: बहुत से मुद्दे हैं, सरकार की तरफ से कई बिल आने हैं, हमारी तरफ से भी कई विषय हैं, जैसे अभी इंडो-पाक मामले की बात आई, उस पर स्टेटमेंट के बाद चर्चा होगी। हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है।

दूसरी बात यह है कि कल जब बात हो रही थी तो खुद सत्ता पक्ष के कई सदस्य थे, जो कान पर हाथ रखे हुए थे, उन्हें शर्मिंदगी हो रही थी कि हम बहस को उस जगह पर ले गए थे।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं उस बात पर चर्चा नहीं कराना चाहूंगी। आप केवल इतना कहो कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद सलीम: दो रोज से जो हंगामा हो रहा है, यह ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक बात है।

श्री मोहम्मद सलीम: दो रोज़ से हंगामे के बीच में बिल पास हो रहा है। हम लोग कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, हम मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। हम यह सब नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह सदन चले। लेकिन सरकार को विपक्ष को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। आप सिर्फ यह समझेंगे कि कांग्रेस और भाजपा ने बात कर ली है और चर्चा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उनके अलावा भी विपक्ष है और सभी से बात करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : वेंकैय्या जी, मोहम्मद सलीम जी से और करुणाकरण जी से भी बात किया कीजिए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम, माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि केवल भाजपा और कांग्रेस में ही बात नहीं होनी चाहिए। उसमें सीपीएम, सीपीआई, बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर, टीएसआर, शिवसेना और

हमारे मित्र दल भी रहे। एआईएडीएमके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, वह भी रहे। हम सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कल हंगामे के बीच में जयप्रकाश जी ने बाढ़ पर अपनी बात रखी। तेज प्रताप जी ने भी बाढ़ पर अपनी बात रखी। मैं इन सब बातों को नोटिस करता हूं और उन सभी का अभिनंदन करता हूं। हम लोगों में सैद्धांतिक मतभेद होने के बाद भी, हमारी जनता क्या चाहती है, उस पर हम लोग लोग यहां चर्चा करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सूखे पर सही से चर्चा हो, हम लोग मिलकर आगे बढ़ें और देश के सामने जो अजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा करें। कोर्ट के मामले पर कोर्ट में चर्चा करें और पार्लियामेंट के मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा करें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I am standing up just to participate in this deliberation. You were not there yesterday. The Deputy Speaker was in the Chair. It was not only that papers were thrown at him, but his desk was also thumped repeatedly. As was being said by the Parliamentary Affairs Minister, his patience was tested again and again and this was continued by some senior Members. If you see the visuals, – I think there are other cameras also than the one which carry our photos here in the House – you will notice that a very serious incident happened yesterday. I am not saying anything about what Shri Virendra Singh said yesterday. None of us also can subscribe to that view and I am not passing any comment on that.

But my concern here is relating to another aspect also which happened yesterday and that is, before the Bill was taken up for consideration, I told personally that no Bill should be passed in the din. Yesterday when the NCP Member Shri Tariq Anwar was asking for a division, that could have brought the House to order. But as it is said, instantly certain decisions are to be taken, that was not done and the Bill was passed in the din. That also infuriated a large number of people who were here and also those who were in the Well. My point is, the discussion had taken place on the Bill, a number of Members had participated in that discussion and some did not participate, that is a different matter. Ultimately it is not only that passing the Bill in this House will serve the purpose. Of course, that was a different Bill. It went to the Standing Committee

and there was invariably a consensus that had been built. But my only request to the Parliamentary Affairs Minister and also to the Government is that, please do not pass any Bill in the din.

Madam, I would like to make another suggestion. If sense would prevail in this House, drought situation is very alarming in this country. We need a constructive response from the Government, not only from the Agriculture Minister but also from the Finance Minister. That is necessary because the whole country, especially the Members from those areas that are affected by drought are waiting for the response of the Government.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, I am not replying to the Member, but I respect his sentiments. I totally agree that no Bill should be passed in the din. But I want the guidance of the House. If somebody says, 'we will not allow the House to function and we will go to the Well of the House everyday', should the Parliament Session conclude without transacting any Government business and without passing any Bills? That is the dilemma before me.

I am very sincerely saying it from my heart. How many days have passed since the Parliament started? How many Bills were we able to pass? So, I request all the other parties also to see that the House functions normally. I can give assurance that no Bill will be rushed through, no Bill will be passed in din. If somebody is determined, then what can you do? You have seen how the Andhra Pradesh Reorganisation Bill was passed. Everybody knows how the Bill was passed.… (*Interruptions*) BJP also was in favour of creation of Telangana State. We supported it also. But, there was no opportunity for others also and the division also was not accepted. So, my suggestion is this. Bhartruhari *ji* is saying in a well-meaning manner but, at the same time, he should give that advice to other people, particularly to the people who are coming to the well of the House and saying, "We do not allow the House to function". They should also rethink about their position so that we can have a meaningful discussion.

With regard to drought, I will see whether the Finance Minister is available here in the other House. I agree with you, drought is connected not only with the Agriculture Minister but also sometimes with the Finance Minister, sometimes the Home Minister, the Chairman of the Committee also. I will see, at least, either the Home Minister or his Deputy is also there to take the notes about the drought situation.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, I do not want to talk about the controversies, what happened in the Chair when I was presiding over. It is because, whenever I am going to the Chair, I will handle that issue. How the Bill was passed and everything cannot be debated here because I gave the ruling at that time itself regarding that.

Now I want to raise certain points. The Parliamentary Affairs Minister said regarding the drought situation and also the flood situation. We have already discussed extensively about the flood situation, what happened in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Chennai and Pondicherry. We have discussed that. Our Prime Minister also visited Chennai. Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu requested the hon. Prime Minister to declare this calamity as a national calamity. Also, she has written a letter to the Prime Minister of India, taking cognizance of that to come forward to give assistance. It is because, unless you declare it as a national calamity – what happened in Tamil Nadu especially in Chennai and other areas – we cannot get more assistance. Everybody knows what happened there. Also, the Tamil Nadu Government has taken steps very seriously and normalcy has been restored now. Our Tamil Nadu Chief Minister so extensively dealt with this issue. She took it seriously and also she got so much assistance from other quarters. She is still getting assistance from other quarters also. Very active rehabilitation work is going on.

My request is this. It is because, so many Members have discussed. So many calamities took place in India and we declared them at that time as national calamities. We have discussed so extensively about what happened in Tamil Nadu

and people are suffering. The Home Minister is here. He is the competent man because already our hon. Chief Minister's letter has reached the hon. Prime Minister. She today gave a statement also in the newspapers. Therefore, I would request the hon. Home Minister and the hon. Parliamentary Affairs Minister to come forward and declare whatever calamity that happened as a national calamity. That is my request. … (*Interruptions*) It is a very serious matter because people are suffering. It may be looked ordinarily but everybody lost their property because of the unprecedented thing that happened. That is why, I would request you to come forward. Whatever our Chief Minister has requested, that has to be taken care of. Declare what happened in Tamil Nadu as a national calamity; that is what I am requesting.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. M. Thambidurai

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को आज सदन में उठाने का मौका दिया। सन् 1949-51 के मध्य केन्द्र सरकार के अधीन कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्थान के द्वारा लगभग 1565 आवास भूली नगर, धनबाद (झारखंड) में निर्माण कराये गये थे। ये आवास कोयला श्रमिकों के लिए बनाये गये थे। उस समय भूली नगर एवं इसके आसपास की भौगोलिक स्थिति अत्यंत असुविधाजनक एवं भयावह थी, चारों ओर जंगल एवं यहां हर रहने वाले नागरिक असुरक्षित थे। उन्हें बिजली, पेयजल एवं सड़क यातायात जैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था।

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है, आपका साथी बोल रहा है और आप उसके सामने खड़े हैं।

…(व्यवधान)

श्री पशुपति नाथ सिंह: यहां आवास निर्माण के बावजूद इन आवासों में कोई भी किसी कीमत पर जाने एवं रहने को तैयार नहीं था।

सन् 1986 में लगभग 36 वर्षोपरांत कोयला खान, श्रमिक कल्याणं संस्थान का विलय कोल इंडिया में हुआ परंतु सीएमएलडब्ल्यू के आवासीय सेल के द्वारा आवंटित आवासों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की सूचना या निर्देश नहीं किया गया। कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा भी

12-13 वर्षों तक उपरांत किराया वसूला जाता रहा। सन् 1999 के आस-पास भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा किराया वसूली में शिथिलता बरती जाने लगी तथा 50 वर्षों से रहने वाले श्रमिकों को अनधिकृत बताया जाने लगा ओर यहीं से जान की बाजी लाकर नगर बसाने वाले लोगों एवं उनके परिवार के लोगों की दुर्दशा प्रारंभ हो गई है।

अतः मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के भूली नगर के नागरिकों के हित में उचित निर्णय कर लीज़ एवं उचित किराए दर सहित सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने का कष्ट करें। जिससे भूली नगर के नागरिकों को जनहित में राहत प्राप्त हो सके।

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Thank you Madam Speaker. Today, I would like to draw the attention of the house to a pressing issue in my constituency Chandigarh. There is an immediate need to increase the upper age limit for entering into the Government service in Chandigarh Administration.

The Chandigarh Administration is based on the patterns of recruitment in Punjab. Much like other union territories, it has compact and limited posts available in the department. But recently, there has been a move to raise the educational qualification for some positions from a simple 10+2 to a Bachelor's degree. The age limit for applying to these positions has, however, remained 18-25. As one can then note, access to job opportunities are more or less restricted. If there is an enhancement in the educational qualifications, there needs to be a corresponding increase in the prescribed age limit.

Even the Government of India has prescribed 30 years as the maximum age limit for appearing in civil service examinations. Various workers have been continually demanding their equal and fair rights. They bring out these notifications five or six years later and by that time people take private jobs. As it is in Punjab, we would like the Chandigarh Administration to push that age

limit from 18-25 to 18 to 37 years otherwise people will miss the bus completely.

Madam, the Chandigarh Administration has limited posts. It is a very important point. Being a UT, residents of all States are eligible to get employment in Chandigarh. People from Punjab, Himachal Pradesh and Haryana get jobs here but when Chandigarh residents want jobs in Haryana, Himachal Pradesh or in Punjab, they are not considered eligible because they are having the domicile of Chandigarh. So, either we should have some reserved posts for the people of Chandigarh or they should also be given equal opportunities in other States.

Thank you.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से एक गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्व मध्य रेलवे अंचल के अंतर्गत बरौनी जंक्शन और गरहरा यार्ड, अपने जमाने का बेमिसाल जंक्शन रहा है, गरहरा यार्ड रहा है। लेकिन आज वह मरा हुआ है। लोको यार्ड समाप्त है। जो 12-14 सौ भवन हैं, वे भूतहा घर बने हुए हैं। उसे अंचल होना चाहिए था, परंतु राजनीति ने उसकी दिशा को और उसकी इच्छा और आकांक्षा को लहुलुहान कर दिया है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेगुसराह और बेहट के किसानों ने चार हज़ार एकड़ ज़मीन गरहरा यार्ड और रेलवे जंक्शन के लिए दिया था। तीन हज़ार एकड़ ज़मीन वीरान है, बेकार है, बेजार है और किसी की दृष्टि उस पर नहीं जाती है।

महोदया, यह सदन राष्ट्रीय अस्मिता की माँ है और उन सारे महापुरूषों की वाणी, उनके स्वर आज भी इस सदन में अगर शांति रहे तो सुनाई पड़ सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से यह सदन भी अपनी गरिमा को राष्ट्रीय क्षितिज पर उपस्थापित करने में इस वक्त, इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप जीरो ऑवर में अपनी बात रखिए।

डॉ. भोला सिंह: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह चाहता हूँ कि बरौनी जंक्शन को, गरहरा यार्ड को, जो त्याग और कुर्बानी का प्रतिफल है, उसे एक जिंदगी दें, उसे एक अस्मिता दें और उसे विकास की योजनाओं से लबरेज करके बिहार के साथ, रेलवे मंत्रालय के साथ एक यादगार स्थिति बना दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को समाप्त करता हूँ।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, मैं इनके साथ असोसिएट करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आप असोसिएट करो।

श्री रामेश्वर तेली।

*SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): Hon'ble Madam Speaker, on 8.12.2015, two officials of an orphanage in the Dibrugarh district of Assam were arrested on the charge of sexual harassment of its juvenile inmates. It has been learnt that the Superintendent of the Children Home, "Smile Children", sexually abused 21 minor girls aged between, 5-18 years living in the orphanage for over a year. In this ghastly act, he was assisted by one lady, working in the same orphanage. The minor innocent girls were not only sexually exploited by the Superintendant but they were also shown adult contents which he used to download on his mobile phone. It is a shameful incident, madam, which has shaken the entire nation. The entire incident which continued for a prolonged period was brought to light by a teacher who came to know about the harrowing experience of the inmates after having interaction with them. I strongly condemn this heinous crime & demand exemplary punishment against the perpetrators of such a ghastly act, so that such incidents, never recur. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Assamese.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदया, हमारे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो रेल परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, मैं आपके माध्यम से उस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ। पारसनाथ से मधुबन 14 किलोमीटर रेल लाइन के सर्वे का भी आदेश हुआ, लेकिन अभी तक इस कार्य की शुरूआत नहीं की गई। साथ ही साथ योजना आयोग में भी इसको भेजा गया है। यह प्रस्तावित स्थल जैन धर्मावलम्बियों का प्रमुख पवित्र स्थान है। गिरिडीह से कवाढ़ तक रेल लाइन का निर्माण भी वर्षों से लंबित है। साथ ही साथ नेता जी सुभाष चन्द्र स्टेशन (गोमो) में आरओबी का शिलान्यास 18 महीने पूर्व किया गया, परंतु अभी तक कोई कार्य इसमें शुरू नहीं किया गया है। धनबाद मंडल के द्वारा रेल हॉकरों को लाइसेंस न उपलब्ध कराने के चलते जितने भी हॉकर हैं, उनके लिए भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हावड़ा-दानापुर ट्रेन में गिरिडीह से कोच को जोड़ने के संबंध में कई बार मंत्री महोदय से भी आग्रह किया गया है और साथ ही साथ पटना कोच को भी जोड़ने का आग्रह किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से इस पर उचित न्याय दिलाने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : महोदया, आज मैं अपने क्षेत्र के पर्यटन के विषय को यहाँ पर रखने जा रही हूँ और आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पर्यटन क्षेत्र को विकसित होने के लिए दो आधारभूत कारणों की आवश्यकता होती है। एक तो वह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होना चाहिए और दूसरा अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य होना चाहिए। मेरा संसदीय क्षेत्र जहाँ पर आता है, वह क्षेत्र विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि ये दोनों कारण उसमें उपस्थित हैं।

महोदया, बाकी बातों की बात तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में कई सारे पर्यटन स्थल हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने उनको विकसित करने के लिए वहाँ पर बेहद प्रयास भी किया है। परन्तु आज मेरा यह विषय रखने का सिर्फ एकमात्र कारण यह है कि आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्री जी को यह आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि मेरे सीधी जिले में, चंद्रेय में भगवान शिव का प्राचीन मन्दिर है। इस मंदिर को 972 ईस्वी में बनाया गया था और इस मंदिर को केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। यहाँ सोन व बनास नदी का संगम स्थल है जो अत्यंत खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि संगम स्थल में गाय हिरण व शेर एक साथ पानी पिया करते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसी अद्‌भुत तपस्थली है जहाँ पूर्णतः अहिंसा स्थापित थी। इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है कि प्रथम गद्य साहित्य कादम्बरी की रचना महाकवि बाणभट्‌ट ने यहीं पर की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश इस पवित्र स्थल को उस प्रकार

से महत्व नहीं मिल पाया। इस पवित्र स्थल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैं आग्रह करती हूँ कि पर्यटन मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदया, मेरे सीधी जिले में घोघरा ग्राम है जहाँ माँ चण्डी का अत्यंत भव्य मंदिर है। यह बीरबल की जन्मस्थली है। उनकी बुद्धिमत्ता के उदाहरण तो आज तक हम सभी चर्चा में लेते हैं परन्तु इस पवित्र स्थल को हम भूल गए, यह हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

अध्यक्ष महोदया, सिंगरौली जिला जो मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ सोन घड़ियाल जैसे अभयारण्य भी हैं, अमाणा की गुफाएँ हैं। भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा भी है और कई अभयारण्य पर्यटन स्थल यहाँ पर हैं जिन्हें बढ़ावा देने के विशेष महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। मैंने पहले भी कहा कि विंध्य क्षेत्र में आने वाला मेरा संसदीय क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपना योगदान बेहद महत्वपूर्ण तरीके से दिया है, आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि केन्द्र सरकार की मदद भी मेरे क्षेत्र के लिए मिले। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Bharion is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Riti Pathak.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Madam, I want to raise a very important issue relating to Assam touching about 30 lakh population and 10 lakh tea workers.

The tea gardens are the soul of Assam; and the tea industry is the only industry, which has hundred years of vibrant history in Assam and is still going in good health. The tea industry is also the largest employing industry in Assam employing about 10 lakh workers and serving about 30 lakh tea garden population.

But, Madam, the condition of tea workers is very bad in Assam. There is no healthcare facility; there is no education beyond lower primary school. There is no high school, there is no institution, there is no college in the tea gardens. Even there is no potable water in tea gardens. The wage paid to the tea workers is only Rs. 94 per day. Just imagine, in today’s world, Rs. 94 is the wage per day! Though they are giving *aata* and rice, at subsidized rate, yet it is not enough.

If you go to the tea garden areas, it is the most poor area in the State. People are uneducated. Alcoholism is playing a major role there, which is affecting their health and economic conditions.

So, it is my humble request to the Government of India and to the Government of Assam to raise their wages to Rs. 250 per day; provide good quality ration at subsidized rates; give them good healthcare and hospital facilities. They should also set up higher education institutions in the tea gardens so that the people can dream up tomorrow. But today, they are rotting. They do not have even apparel, wearing clothes in this season. There are no good houses to live in.

Madam, I would again request the Government of India, the Government of Assam and the Tea Garden Authorities to provide all these facilities to the tea garden workers, who are very poor and deprived persons. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bharion is permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Prasad Sarmah.

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

श्री जनार्दन मिश्र।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे जिले में लगभग 85 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पैंशनधारियों को बैंक से पैंशन मिलती है। लेकिन बैंक के अधिकारियों का सहयोगात्मक रुख नहीं है। वे बेचारे असहाय गरीब आदमी, दो तीन या चार बार बैंक जाते हैं और इस तरह से उनको जो पैंशन मिलती है, वह सारी किराये में चली जाती है। इसके साथ ही साथ जो मुद्रा बैंक की योजना लागू की गई, जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन की योजना केन्द्र सरकार ने लागू की, उनके क्रियान्वयन में बैंकों का कोई भी सहयोगात्मक रुख नहीं है। वे उसको फार्मेलिटी मानकर या केन्द्र की सरकार का दबाव, राज्य की सरकारों का दबाव पड़ा तो कुछ आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, बाकी उनका कोई उत्साहजनक रुख नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि बैंकों में इन पैंशनधारियों को एक बार वे जायें, उसी समय, उसी दिन उनको पैंशन की राशि मिल जाये।

जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन की योजनाएं केन्द्र सरकार ने लागू की हैं, उनको गरीबों तक पहुंचाने का काम ये बैंक करें। इसके साथ ही मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पोस्ट ऑफिसों को तकनीकी रूप से मजबूत बना करके छोटे बैंकों में परिवर्तित करने का काम किया जाये। जयहिन्द।

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल मीणा, श्री सी.आर. चौधरी, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया को श्री जनार्दन मिश्र के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं व्यथित इसलिए हूं कि इसके पूर्व 10 अगस्त को मैंने यही जीरो ऑवर इसी सदन में बोला था, लेकिन उस समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ। एक अप्रैल, 1986 को पूर्व टेलीफोन डिपार्टमेंट से दिल्ली और मुम्बई को निकालकर महानगर टेलीफोन निगम बनाया गया। 1986 से लेकर 1998 तक उन कर्मचारियों को पता नहीं था कि हम कहां हैं। डीम्ड डैपुटेशन तो 1998 में अपनी एन.डी.ए. सरकार आई, उस समय सुषमा स्वराज जी हमारी मंत्री थीं, उन्होंने लुकिंग ऑफ्टर सिचुएशन कंडीशन में इन सब को एब्जोर्ब करने की अनुमति दे दी। अब समाविष्ट हुए, वेज एग्रीमेंट हुआ, फिर उसको लेकर 2000 में बी.एस.एन.एल. बना, पूर्वरित जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था। बी.एस.एन.एल. बनने के बाद भी तुरन्त सरकार ने उनको गवर्नमेंट की पैंशन दे दी। एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को नहीं दी, फिर 12 वर्ष लड़े, फिर पैंशन 12 वर्ष के बाद में मिली। 1986 से 1998 और 1998 के फिर 12 वर्ष बाद मिली। अब पैंशन मिली।

हाल ही में उन्होंने एक नया निर्णय ले लिया। दोनों पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स आज घाटे में हैं। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बी.एस.एन.एल. के एम्पलाइज़ को 68.8 से लेकर 78.2 डी.ए. दे दिया। अब एम.टी.एन.एल. के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने 10 अगस्त को बात की, किसी ने बात नहीं की, मतलब डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं कर रहा है। नोटिस भी दिया गया, जीरो ऑवर में यहां पर बात रखी गई, उसके बावजूद आज तक निर्णय नहीं हुआ। नोटिस में एम.टी.एन.एल. की सर्विस में भी सुधार के लिए भी मांग है। हमने सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, ताकि हम सर्विस भी अच्छी दें, कम्पनी को भी प्रोफिट में लायें। हाल ही में हमने यहां एक बिल पास कर दिया और हाईकोर्ट के जजेज़ को पूर्वानुमान 2004 से लेकर तनख्वाह और पर्क्स सारे बढ़ाये, लेकिन यहां यह कम्पनी है, जो अपने लिए न्याय के लिए लड़ रही है, कर्मचारी 78.2 परसेंट डी.ए. मांग रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से, खास करके आपसे विनती करता हूं कि हम जीरो ऑवर में जिस विषय को रखते हैं, उस विषय पर उस डिपार्टमेंट के लोग ध्यान तो देते हैं कि नहीं। उसका जवाब भी नहीं आता और इसलिए मैं आज दोबारा आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों को 78.2 परसेंट डी.ए. दिया जाये और सरकार 10 हजार करोड़ रुपये की राशि उनको एक ही बार दे दे, क्योंकि इससे पहले बहुत पैसा डिवीडेंड के माध्यम से सरकार के पास गया है। क्योंकि वह एक ही कम्पनी

थी और आज कम्पनी अपनी बुरी हालत में है। एक बार सरकार पैसा दे दे और कम्पनी उर्जित अवस्था प्राप्त करेगी, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं और मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री सदाशिव लोखंडे, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री राहुल शेवाले, श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री गजानन कीर्तिकर, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और श्री राजन विचारे को श्री अरविंद सावंत के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का, यानि गृह मंत्रालय का ध्यान जम्मू-कश्मीर की भारत पाक सीमा की तरफ ले जाना चाहता हूं। 1899 में जब आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ने लगीं और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होने लगी तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए जम्मू में भारत पाक सीमा पर तारबंदी की गई, ताकि जो मिलिटेंसी या घुसपैठ होती है, वे इधर न आ सकें। इसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या किया कि गृह मंत्रालय ने वहां के किसानों की जमीन अधिगृहीत की। वहां पर तारबंदी कर दी गई। उसके बाद वहां के जो किसान थे, आज तक वहां पर न फसल उगा सकते हैं और न ही वहां फसल काटने जा सकते हैं और आज तक उनको उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। वे लोग जो किसान हैं, वे बेघर हो गये हैं, वे बेरोजगार हो गये हैं, यहां तक कि उनकी नौबत भुखमरी तक आ पहुंची है। अब वे चाहते हैं कि या तो हमें इस जमीन के बदले जमीन दी जाये, या फिर इस जमीन का मुआवजा हमें दिया जाये। लेकिन, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इन गरीब किसानों के लिए सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि किस बात की सज़ा इन किसानों को मिल रही है? इन्हें न तो कोई रोज़गार दिया जा रहा है और न ही मुआवज़ा दिया जा रहा है, जिससे कि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ तालमेल बनाकर इन गरीब किसानों को मुआवज़ा दिलाएं, जिससे वे अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में एक मालवा क्षेत्र है, जिसमें पांच-छः जिले पड़ते हैं। कपास वहां की मुख्य फसल है। वहां इस साल कपास की सारी 100% फसल सफेद मच्छर के कारण तबाह हो गयी है। उससे लाखों खेत मज़दूर और किसान जुड़े हैं। वे बहुत बड़े संकट में हैं। वे कर्ज़ में हैं। सरकार की तरफ से उनकी पर्याप्त मदद नहीं की जा रही। यह आफत केवल कुदरती आफत नहीं है। यहां पंजाब सरकार ने दो मल्टीनेशनल कंपनियों- पायनियर और बायर - से खुद दवाई खरीदकर इन किसानों को सप्लाई किया है। वह दवाई कारगर नहीं थी। वह नकली दवाई थी। उसकी सज़ा के तौर पर महज़ डायरेक्टर को सस्पेंड किया, जबकि ...* यहां तक कि हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम, मंत्री जी का तो उसमें कोई दोष ही नहीं है। उसकी इंक्वायरी हो चुकी है।...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी: मैडम, जो सरकार ....* यह सरकार इंक्वायरी नहीं करा सकती। .....*...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एल्लीगेशन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप अपनी मांग करिए।

...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी: मैडम, किसानों को पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा उचित मुआवज़ा दिया जाए। मैडम, पिछले दो महीने में 70 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार सोयी पड़ी है।...(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

महोदया, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी चिंता आज प्रत्येक राष्ट्र कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर खासे चिंतित हैं। दिनोंदिन बढ़ रहे पर्यावरण असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी हाल ही में उत्तर भारत में आया भूकंप इसका ताजा उदाहरण है। इस भूकंप के झटके मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी महसूस किए गए। पर्यावरण असंतुलन के कारण दुनिया का भविष्य आज संकट में है।

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि पर्यावरण असंतुलन के कारण ही, मेरा संसदीय क्षेत्र, जो बुंदेलखण्ड के अंदर आता है, वह कई सालों से सूखे की मार झेल रहा है। मेरा लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर, बुंदेलखण्ड के अंतर्गत है। यहां से कई नदियां निकलती हैं, जिससे यहां उच्च गुणवत्ता वाला बालू मिलता है। उसकी क़ीमत बाज़ार में अन्य बालू के मुक़ाबले कहीं अधिक है। अतः इसकी मांग के

* Expunged as ordered by the Chair.

चलते मेरे क्षेत्र से बालू का खनन ज़ोरों से चल रहा है, जिसकी अभी तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। इसके बावज़ूद भी यहां चोरी से बालू का खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को हानि के साथ-साथ पर्यावरण को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके कारण किसान तबाह हो चुका है, जिसकी सिंचाई की एकमात्र उम्मीद भूगर्भीय जल पर टिकी हुई है। वह दिन-रात लगातार चल रहे बालू खनन के कारण धुंधली होती जा रही है। यह सर्वविदित है कि बालू खनन के कारण जल स्तर नीचे चला गया ह और ज़मीन की उत्पादक क्षमता भी घट गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के अधिकतर निवासी कृषक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बालू खनन के कारण उन्हें खेती में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। गिरते जल स्तर के कारण हैंड पम्प, हज़ारों बोरिंग और ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, जिसके कारण कई किसान अपने खेतों को पानी नहीं दे सके हैं। यह भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है।

महोदया, बालू खनन के कारण मेरे क्षेत्र की कई नदियों की गहराई बढ़ गयी है, जिसके कारण वह अपने आगे का रास्ता तय नहीं कर पा रही हैं। आने वाले वर्षों में ये नदियां शायद अपना वज़ूद ही खो देंगी। खनन के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को दमा और श्वास संबंधी अन्य बीमारियां हो रही हैं।

13.00hours

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में चल रहे बालू खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर इन बालू के घाटों की नये आधार से केन्द्रीय समिति बनाकर समीक्षा की जाये कि कितने घाटों ने पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये हैं और जो घाट बिना पर्यावरण मंत्रालय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चल रहे हैं, उन्हें सदैव के लिए प्रतिबंधित कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाये, ताकि बुन्देलखंड पर्यावरण असंतुलन के कारण होने वाली दैवीय आपदा की मार से बच सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भानु प्रताप वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जीरो ऑवर के जो मैटर्स बच गये हैं, वे शाम को छः बजे के बाद लिये जायेंगे।

The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.0 ½ hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.04 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Four-Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to increase anti-erosion projects for Assam

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): Assam with its vast network of rivers is prone to natural disasters like flood and erosion which has a negative impact on overall development of the state. The Brahmaputra and Barak rivers with more than 50 tributaries feeding them, cause flood devastation during the monsoon period every year. The flood and erosion problem of Assam is different from other states so far as the spread and duration of flood as well as magnitude of erosion is concerned.

A major problem being faced by Assam is bank erosion by Brahmaputra, Barak and its tributaries. Damages caused due to erosion run into several hundred crores every year. Erosion of banks by the rivers has been a serious issue for the last six decades as more than 4.27 lakh hectares of land have already been eroded by Brahmaputra and its tributaries since 1950, which is 7.40% of area of the state.

Now, new areas are being affected by erosion every year. The riverine fertile agricultural lands of the state are getting reduced due to erosion, which has a very negative impact on the rural economy of the state.

I request the Government to kindly increase anti-erosion projects for Assam immediately.

(ii) Need to renovate the historical monuments in Kalpi in Jalaun parliamentary constituency, Uttar Pradesh and also develop the city as a tourist place

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे संसदीय क्षेत्र जालोन अन्तर्गत गरौठा भोगनीपुर में यमुना तट पर कालपी नगर है जो बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वारा माना जाता है। यह इस देश के बड़े ऐतिहासिक व धार्मिक केन्द्रों में से एक है और यह विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचियता महर्षि वेदव्यास और अकबर के नवरत्न बीरबल की जन्मस्थली भी है। यहीं झॉसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रजों के विरूद्ध तात्या टोपे एवं अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाकर युद्ध किया था। कालपी की एक अति विशेष बात यह है कि यहाँ उत्तर भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है जहाँ अति दुर्लभ सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने देश-विदेश के वैज्ञानिक आते हैं। कालपी में भारत के सौहार्द को दर्शाते हुए स्मारक भी हैं जिनमें चौरसी गुंबद, लंका मीनार उल्लेखनीय है। मगर यह सभी अद्वितीय धरोहर रखरखाव के अभाव के कारण आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इस सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कालपी के तमाम स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत लाकर उनका जीर्णोद्धार कराकर कालपी को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करके विकसित किया जाए ताकि वहाँ के तमाम निवासियों के लिए रोजगार के नये संसाधन पैदा हो सकें।

(iii) Need to start construction work for Deoghar Airport in Jharkhand

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I seek the intervention of the Government in getting the construction work of the Deoghar airport started. The Defence Research and Development Organisation (DRDO) Centre at Deoghar is an important defence establishment. Iin addition, a Cantonment is also proposed to be set up in the area. Thus both DRDO Centre and the cantonment requires setting up of this airport at the earliest. Improved connectivity will also be needed in the coming months as several other proposed infrastructure projects like 4000mw UMPP and one All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) like Institute are coming up in the region. Besides, large part of the state is affected by naxalism for which paramilitary forces also need to be deployed in the region. Hence, the early completion of a proper airport will be of great help for this region.

As district of Deoghar in Jharkhand is a very important location, the government of India has already decided to undertake several strategic initiatives in this area. An MoU between Government of Jharkhand & Airports Authority of India for the proposed airport at Deoghar has already being signed in 2012 February. Since then, the process of land Acquisition has also picked up with as much as 600 acres being acquired under Section 9.

The land will be available for immediate commencement of work by 31st January, 2016 and Jharkhand Government is more than willing to help in this important strategic endeavour.

(iv) Need to run daily trains from Kaimur, Rohtas and Aurangabad districts to Patna

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : दक्षिण बिहार के कई जिले और बहुत बड़े क्षेत्र जैसे- कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले की जनता के लिए भारतीय रेल की ओर से ऐसी कोई सुविधा बहाल नहीं की गई है जिससे इन तीन जिलों के लगभग आधा करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या रेलगाड़ी से अपने प्रदेश की राजधानी पटना 9 बजे तक पहुंच जाए। जहां कार्यालयों में समय पर पहुंच कर अपना सरकारी कार्य अथवा अस्पताल या अन्य प्रकार के गैर सरकारी, व्यापारिक या किसी प्रकार का दिनभर में करके अपराहन 4.00 बजे पटना से चले और रात्रि 8.00 बजे तक भभुआ रोड़ स्टेशन तक पहुंच जाएं। एक रेलगाड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से चलती है लेकिन इसके चलने का कोई फायदा जनता को नहीं है क्योंकि इस गाड़ी को पटना पहुंचने और पटना से खुलने तथा गन्तव्य पर पहुंचने का कोई निश्चित समय नहीं है जिससे लोग सुबह पटना पहुंचकर दिनभर अपना काम संपन्न करके रात तक अपने घर पहुंच जाएं, जिससे उन्हें रात्रि विश्राम कहीं और नहीं करना पड़े और लोगों का समय बचे। वहीं लोग आवश्यक परेशानी से बच सकें।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले की जनता को पटना समय पर पहुंच कर अपना काम करके शाम तक घर लौटने के लिए एक अच्छी गाड़ी चलाने का कट करें।

(v) Need to repair National Highway 37 in Assam

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): National Highway No. 37 originates from Pancharatna in Goalpara district in Assam and after passing through my constituency Dibrugarh, it terminates in Roing in Arunachal Pradesh. It is also known as A.T. Road (Assam Trunk Road). But this important road which is the lifeline of Assam that connects several important towns including Dibrugarh and Tinsukia, is in a dilapidated condition. Thousands of commuters are having a harrowing experience every day. This highway is full of potholes and, therefore, it has turned into a nightmare for regular commuters like students, workers, office goers and patients. The worsening road condition is also causing serious accidents almost every day while at the same time it gives rise to traffic congestions alongwith breakdown of vehicles.

I, therefore, request the Hon'ble Union Minister of Road Transport and Highways to look into the matter and do the needful so as to ensure a free and safe movement of vehicular traffic on NH37.

(vi) Need to make proper arrangement for procurement of agriculture produce at Minimum Support Price particularly in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सरकार द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद के लिए समर्थन मूल्य घोषित किये जाते हैं लेकिन किसानों द्वारा उत्पादन की जाने वाली कृषि जिन्सों का सरकार द्वारा खरीद की व्यवस्था नियमित एवं सही ढंग से नहीं किए जाने की वजह से कृषकों को अपनी जिन्सों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम दरों पर बाजार में बेचना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के लिए सरकारी व्यवस्था के अभाव में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्ष 2013-14 में नैफेड द्वारा राज्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीद तो की गई थी लेकिन राजफैड द्वारा 9.62 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को आज तक नहीं किया गया है। उसके बाद आज तक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन पर कृषि जिन्सों की सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा किसानों को ओलावृष्टि एवं सूखे का भुगतान भी आज तक नहीं किया गया है। कास्तकार को बिचौलियों से बचाने एवं समर्थन मूल्य का पूरा लाभ देने के लिए बाजार मूल्य एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की अन्तर राशि का भुगतान सरकार द्वारा किसान के खाते में सीधा किया जाना चाहिए ताकि किसान को समर्थन मूल्य का सीधा लाभ मिल सके व सरकार द्वारा यातायात, परिवहन, माल गोदाम, भाड़ा, कटौती व बारदाना आदि का जो सरकारी खर्च होता है, उससे भी बचा जा सकता है।

(vii) Need to start operation of morning and evening flights from Delhi and Mumbai to Jodhpur and introduce flights from Jodhpur to Chennai and Bengaluru

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : मैं सरकार का ध्यान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के लिए केवल जोधपुर हवाई अड्डा ही एकमात्र हवाई अड्डा है। जोधपुर हवाई अड्डा बहुत पुराना हवाई अड्डा है। कई सालों पहले यहाँ से विदेशों तक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध थी।

जोधपुर सहित इस संभाग में आने वाले जिले पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर एवं सिरोही आदि जिलों में बसने वाले लोग ही नहीं बल्कि रेगिस्तान देखने आने वाले विदेशी सैलानी भी इसी हवाई अड्डे ये यात्रा करते हैं। जोधपुर संभाग मुख्यालय के अधीन आने वाले समस्त जिले रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाते हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाड़मेर में रिफाइनरी व औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण हवाई यात्रा की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए जमीन भी अधिग्रहित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रतिदिन दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली व मुम्बई-जोधपुर-मुम्बई के लिए आने व जाने के लिए दो-दो ही हवाई सेवाएं प्रारम्भ हैं जो दिन में 12.00 बजे 3.00 बजे के मध्य ही हैं, वह भी अधिकांश 1 से 2 घण्टे की देरी से चलती हैं। इसके अतिरिक्त, जोधपुर से कहीं और जाने के लिए कोई भी सीधी हवाई सेवा नहीं है जबकि आई.आई.टी., एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नालॉजी, नेशनल लॉ स्कूल जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थान यहाँ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हैण्डीक्राफ्ट व गवार गम का अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट होने के साथ-साथ सोलर व पवन ऊर्जा के केन्द्र स्थापित हैं। इन जिलों से प्रवासी बड़ी तादाद में देश के कोने-कोने विशेषकर बैंगलोर, मुम्बई, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली व अहमदाबाद आदि में बसे हैं और इनका आवागमन निरन्तर रहता है। हवाई सुविधा त्वरित न होने की वजह से इन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले महीने में जोधपुर अपने वाली सभी हवाई जहाज की सीटें फुल थीं। सीटों की उपलब्धता नहीं होने के कारण पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन, हैण्डीक्राफ्ट व गवार गम उद्योगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिये चलने वाली मात्र दो हवाई सेवाओं में आए दिन समय पुनर्निधारण किया जाता है जिसके चलते भी समस्त यात्रियों को असुविधा होती है। यदि हवाई सेवा प्रातः व सांय काल के लिए निर्धारित की जाए तो अनेक लोगों के एक दिन के समय को बचाया जा सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली व मुम्बई से जोधपुर हेतु प्रातः व सांयकालीन हवाई सेवा प्रारम्भ करने तथा जोधपुर से चेन्नई व बैंगलोर जैसे बड़े महानगरों के लिए भी हवाई सेवा प्रारम्भ करने की कृपा करें।

(viii) Need to declare Shravasti district of Uttar Pradesh as drought-hit

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) के श्रावस्ती जनपद के किसानों की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले श्रावस्ती और बलरामपुर नेपाल से सटे हुए हैं। दोनों जिलों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जमीन एक जैसी है। दोनों जनपदों में सूखा पड़ने से गरीब किसानों की कमर टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद बलरामपुर को तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह श्रावस्ती के किसानों के साथ अन्याय है जिसके कारण श्रावस्ती के किसानों में भारी रोष और निराशा व्याप्त है। श्रावस्ती में फसलों की उपज वर्षा के अभाव में एक चौथाई रह गई है। जानकारी के मुताबिक 60 प्रतिशत से कम वर्षा वाले जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जनपद श्रावस्ती भी सूखे की चपेट में होने के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने का पूरा अधिकार रखता है। जनपद श्रावस्ती में 50 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है परन्तु अधिकारियों की लापरवाही और गलत रिपोर्ट लगाने की वजह से श्रावस्ती को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल सक्षम जाँच कमेटी भेजकर मामले की पूरी तरह से जाँच कराई जाए और जनपद श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए।

(ix) Need to start Ambaradi Safari Park in Gujarat

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : हर साल सासन गिर फोरेस्ट (गुजरात) में चार से पॉच लाख पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर एक अन्य सफारी पार्क, देवेलिया सफारी पार्क का निर्माण किया गया जो सासन गिर फोरेस्ट के निकट स्थित है। यह पार्क में आने वाले पर्यटकों को पूरी तरह से रोमांचित तो करता ही है, साथ ही साथ गुजरात के गिर शेरों के रहन-सहन के वातावरण से भी परिचित करवाता है। इसी कारण से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है जिसके लिए गुजरात फोरेस्ट विभाग ने एक नई योजना के अन्तर्गत सासन गिर फोरेस्ट के नजदीक अम्बराडी में एशियाई शेरों का सफारी पार्क बनाने की पहल की जो अमरेली जिले में अवस्थित है।

अम्बराडी सफारी पार्क में सोमनाथ, दियू से वाया तुलसी श्यामनगर व गुजरात के अन्य पयर्टक स्थलों पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। अम्बराडी सफारी पार्क की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। जैसे शेरों व अन्य जानवरों के रहने की उपयुक्त व्यवस्था, सफारी पार्क की चारदीवारी का निर्माण, आने वाले पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की जरूरी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस योजना को शुरू करने से पहले फोरेस्ट विभाग ने केन्द्रीय जू प्राधिकरण (सेन्ट्रल जू अथॉरिटी) के पास इस योजना को अनुमोदन हेतु भेजा था जिसे कुछ शर्तों के साथ मान लिया गया था, जिसको बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुमोदित कर दिया था। सभी शर्तों को मान लेने के बाद केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने फिर से उस पर आपत्तियाँ लगा दीं, जिनका बाद में निदान कर लिया गया है।

अतः मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि पर्यटकों और पर्यटन से जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अम्बराडी सफारी पार्क को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

(x) Need to provide compensation to farmers who suffered crop loss caused by heavy rains and hailstorms in Sambhal parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र संभल (उत्तर प्रदेश) में अतिवृटि और ओलावृटि से हुए फसल नुकसान की राशि सभी किसानों को न मिलने की ओर आकृट कराना चाहता हूं। फसल नुकसान में 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत नुकसान पर और मुआवजे की राशि 1.5 गुना तक बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अति सहराहनीय कार्य किया है। सरकार की अच्छी पहल के कारण ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पर विडम्बना यह है कि आधे गांवों के किसानों में यह राशि वितरित की गई है। अधिकांश किसान मुआवजे की राशि के लिए दर-दर भटक रहे हैं। किसानों के मुआवजे की राशि वितरण में भेदभाव हो रहा है। ये किसान अपनी मुआवजे में प्राप्त राशि का उपयोग कर इस साल के कृिा कार्य की योजना बनाने और राशि न मिलने पर अगली फसल को सिंचित करने एवं खाद सामग्री को खरीदने की समस्या उनके सामने हैं। मुआवजा व कृिा कार्य से राशि न मिलने पर इनको भुखमरी और परिवार के पालन-पोाण का धर्म संकट सामने खड़ा हो सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सम्भल (उत्तर प्रदेश) में उन किसानों को, जिनको अब तक फसल मुआवजे की राशि नहीं मिली है, उन्हें यथाशीघ्र मुआवजे की राशि वितरण कराने के संबंध में आवश्यक कदम उठाकर किसान और उनके परिवार को न केवल भुखमरी, बेरोजगारी से बचाया जाए बल्कि उनके अंदर कृिा कार्य का जोश भरने और राशि वितरण में भेदभाव को खत्म करने के लिए नई योजना लाकर सभी किसानों को यथाशीघ्र मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(xi) Need to provide compensation to farmers distressed due to crop loss caused by unseasonal rains, hailstorms in Kanpur Nagar and Kanpur Dehat districts in Uttar Pradesh and also take other measures to mitigate the sufferings of the farmers

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): विगत माह पूर्व हुई बेमौसम बरसात, भयंकर ओलावृटि एवं तूफानी हवाओं से पूरे क्षेत्र में तिलहनी एवं दलहनी फसलों का शत-प्रतिशत एवं गेहूं का 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई के स्पट निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक आपदा राहत धनराशि का आबंटन पूर्ण नहीं हो पाया है जिसके कारण अधिकतर किसानों को अभी तक मदद नहीं मिल पायी है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान की कमर टूट गई है तथा किसान असहाय हो गया है। यदि तत्काल इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई तो इनके सामने भूख से मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अभी तक 71 करोड़ रूपयों में से मात्र 49 करोड़ रूपये ही आबंटित किये गए हैं जबकि अब तक पूर्ण धनराशि का आबंटन सुनिश्चित होना चाहिए था। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की है तथा धन के आबंटन में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। किसानों की भूमि का जो हिस्सा है, उसके अनुसार चेकों का वितरण नहीं हो पा रहा है। उदाहरणार्थ सरसौल ब्लॉक, कानपुर नगर में एक ही परिवार के बराबर के हिस्सेदार को अलग-अलग राशि के चेक दिये जा रहे हैं। अभी भी किसानों की जो सदमें से मौत हो रही है, उसे प्रशासन द्वारा स्वाभाविक मौत बताकर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। किसानों के साथ अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। असिंचित फसलों यथा-लाही, अरहर एवं चना आदि पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह फसलें बर्बाद नहीं हुई हैं। भारत सरकार द्वारा मुआवजा राशि डेढ़ गुना बढ़ाये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने रेट 9 हजार रूपये हैक्टेयर सिंचित एवं 4500 रूपये हैक्टेयर असिंचित रकवे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपद के किसानों को आपदा धनराशि का आबंटन जल्द से जल्द कराये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। साथ ही, इन परिस्थितियों में किसानों के सभी बकाया ऋण एवं सिंचाई तथा विद्युत के बकाया बिल तत्काल माफ किये जाएं एवं अन्य देयों की वसूली स्थगित की जाए। आने वाले समय में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए किसानों की आर्थिक तंगी को

देखते हुए खाद एवं बीज की समय पर निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

(xii) Need to release unutilised funds allocated for conservation of heritage buildings and monuments in Jharkhand based on the recommendation of 13th Finance Commission and develop Itkhori and Kauleshwari in the State as tourist places

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा (झारखण्ड) में भदुली, कोल्हुआ, पहाड़ी, कुण्ड, गुफा, तमासिन, द्वारी झरना, लातेहार का लोध जल प्रपात, नगर भवानी प्राचीन मन्दिर, चंदवा नगर मन्दिर, लातेहार, श्रीकेदाल मन्दिर व झारखण्डी मन्दिर, पलामू, ईटखोरी और कौलेश्वरी हिल्स, लालोंग वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी, बेतला नेशनल पार्क, पालामऊ टाइगर रिजर्व, सिंहभूमि एलीफेंट रिजर्व एवं महुआदनर वोल्फ सेंक्चुरी स्थित है। पर्यावरण आधारित पर्यटन का विकास करना एवं राजा मेदनी राय द्वारा निर्मित पलामू एवं नावागढ़ किला आदि का विकास करने की आवश्यकता है। नेतरहाट को पर्वतीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है। इससे क्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ उक्त स्थानों के ऐतिहासिक-पुरातात्विक धरोहरों के समुचित रखरखाव की योजना को कार्यरूप देना आवश्यक है।

भारत सरकार के 13वें वित्त आयोग ने वर्ष 2011-15 की अवधि के लिए राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु 21 राज्यों के लिए विरासत संरक्षण (Heritage Conservation) एवं संस्कृति में स्मारक और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण और विकास करने तथा स्थानीय लोगों के लाभार्थ हेरिटेज गैलरियों के निर्माण हेतु 1454 करोड़ रुपए की कुल सहायता अनुदान की सिफारिश की गई थी। इस मद में झारखण्ड राज्य के लिए 100 करोड़ रुपए अनुदान की अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 06.02.2012 को आयोजित हुई जिनमें 26 योजनाओं का कार्यान्वयन 87.90 करोड़ रूपये की लागत से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें आर्कियोलॉजीकल साइट्स ऑफ ईटखोरी, चतरा के लिए 2.20 करोड़ तथा कोलेश्वरी हिल्स, हंटरगंज, चतरा के लिए 1.65 करोड़ रूपए स्वीकृत किये गये, परन्तु झारखण्ड राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों की पर्यटन के प्रति अपेक्षित रूचि के अभाव के कारण भारत सरकार द्वारा आवंटित पैसे के खर्च करने की समय सीमा 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि में शेष राशि को पुनः उपयोग के लिए जारी किया जाए जिससे झारखण्ड के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के स्थलों को विकसित किया जा सके तथा झारखण्ड के चतरा जिलान्तर्गत ''ईटखोरी'' एवं ''कौलेश्वरी'' सुप्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक धारोहर है। पुरातात्विक महत्व का यह स्थल शैव, शाक्त, जैन, हिन्दू एवं बुद्ध

मतावलंबियों को समाहित करना, धार्मिक विविधता, सह-अस्तित्व एवं सहिष्णुता के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता का दिग्दर्शन भी करता है। इसमें संस्कृति, वारिस, आध्यात्मिकता और इको पर्यटन का विवेकपूर्ण मिश्रण है। अतः ईटखोरी और कौलेश्वरी को देश के प्रमुख पर्यटन परिपथों में सम्मिलित कर विकसित किया जाए।

(xiii) Need to expedite the four laning work on NH-67 and construct bridges and flyovers in Coimbatore

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): Coimbatore with a population of 2.5 million is known for its progressive and industrious outlook. The Manchester of South India has also become the Educational and Health hub and offers a variety of viable industrial and social growth, beating the rest in South India.

To facilitate easy and fast movement of the people and products, the 174 KM stretch of National Highway (NH-67) from Chindamanipudur to Kakanadu via Coimbatore, Periyanaickenpalayam, Mettupalayam needs to be converted into four lane.

The 24 KM stretch from Chindamanipudur to Narasimmanaickenpalayam has already been widened. But in the remaining stretch four laning is yet to be done. Over bridge and flyover are also required for easy, smooth passing of vehicles at Saibaba colony Kavundanpalayarn, Thudiyalur, Narasimmanaickenpalayam and Periyanaickenpalayam junctions to avoid traffic jams.

Therefore, I urge the Government to expedite the four laning work on NH-67 and construct over bridges and flyovers at important junctions in Coimbatore.

(xiv) Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Ariyalur town of Chidambaram parliamentary constituency

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): I would like to submit a demand for setting up of a Kendriya Vidyalaya in Ariyalur town in my Chidambaram Parliamentary Constituency.

Ariyalur is the District Headquarters of Ariyalur District and various Central Government offices are located here. A sizeable number of persons from this district are employed in Military and Paramilitary forces. Approximately, more than 3000 persons of the district are employed in Central Government offices/departments. Many cement manufacturing units are also located in this area. Ariyalur region is one of the backward areas of the country. People belonging to BPL families in this district can not afford to get their ward enrolled in costly private schools due to prohibitive charges and expenses. Therefore, people belonging to SC communities and BPL category in the district will be enefited, if a KV School is set up in the Ariyalur Town. This will enable the people belonging to BPL category to get quality education.

I, therefore, urge the Hon'ble Minister to take necessary action in this regard on priority basis.

(xv) Need to expedite the process for release of funds for protection of Mangrove forests in Mahanadi Delta and Devi-kadua estuary sites in Odisha

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): The Mangroves play a vital role to protect and preserve the coastal areas including human habitations from natural calamities. In this regard, I would like to state that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has agreed to the proposal of Odisha Government to provide 100% financial assistance for protection and management of Mangrove Forests in Bhitarkaniika, Mahanadi delta and Devi-Kadua Estuary sites in the State. However, till date, the funds in respect of protection and conservation have not been received. It is a fact that every year the coastal parts of Odisha face the wrath of cyclones resulting in tidal surges, thereby affecting millions of people. Due to increasing occurrence of cyclones as well as growing human activities, the density of mangrove forest in these coastal areas has been receding rapidly. Therefore, to protect the coastal areas and the people in Odisha from tide induced submergence and destruction, it is necessary to provide adequate financial assistance to preserve, create and to manage the Mangrove forests.

Hence, I urge upon the Minister of Environment, Forest and Climate Change to expedite the process for release of funds in respect of protection of Mangrove forests in Mahanadi delta and Devi-Kadua Estuary sites.

(xvi) Need to demarcate Sisupalgarh site near Bhubaneswar and protect it from encroachment

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue of demarcation of Sisupalgarh situated near Bhubaneswar has been lying pending since long. The Sisupalgarh was declared a Centrally Protected Area by the Archaeological Survey of India (ASI) while the agricultural land situated within this area was converted for residential purposes surreptitiously. Accordingly, a number of residential houses have been constructed therein. The ASI has issued only a notification during 2001 restricting construction in this area and termed such constructions as illegal/unauthorised and has left it at that. Thereafter, the demarcation of Sisupalgarh has not been completed by the joint Committee comprising officials of the ASI, Bhubaneswar Development Authority and Revenue Department so far. There is a 16 Pillars Hall (Solah Khamba) inside the fort complex that precedes the Parthenon Temple that was constructed in 432 BC on the Athenian Acropolis, Greece. This Solah Khamba Hall was constructed before the famous Kalinga War of Ashoka. Dhauli has been developed to a Buddhist Pilgrim Centre but Sisupalgarh has been neglected. I, therefore, urge the Government to take urgent steps to protect such an important heritage site from encroachment by land sharks.

(xvii) Need to include people belonging to Dhangar community of Maharashtra in the list of Scheduled Tribes

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में धनगर समाज को शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस समाज के लोग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। ये लोग गॉव-गॉव भटक कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु विगत काफी समय से अनुरोध किया जा रहा है लेकिन अब तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

यह भी अवगत कराना है कि महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर जिला, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जिला है, में धनगर समाज के लोग बहुतायत संख्या में हैं। संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान इस समाज के लोगों द्वारा धनगर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग की जाती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह धनगर जाति के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु इस जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने हेतु कारगर कदम उठाए जाएं ताकि धनगर समाज के लोग भी देश की मुख्यधारा से जुड़े सकें।

(xviii) Need to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act to address the difficulties in revenue sharing between Andhra Pradesh and Telangana

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): If justice is to be done to any two parties, it has to be done on the basis of principles of natural justice; you cannot have one yardstick *for* one thing and another yardstick for another thing. But, it is happening to residuary State of Andhra Pradesh. After reorganization of Andhra Pradesh, the division of assets is made on the basis of geographical location and liabilities are apportioned on the basis of population ratio.

If one looks at Section 50 which deals with taxes, Section 51 which deals with right to recover loans and advances and Section 56 which deals with refund of taxes collected in excess of Andhra Pradesh Reorganisation Act, they are contradictory. In case of tax arrears, it says State having place of assessment will have the right to recover. It means, geographical area is taken into consideration for this purpose. But, in case of refund, Act says burden should be shared by Andhra Pradesh and Telangana on the basis of population ratio.

It is apparent from above that the Act is riddled with anomalies, contradictions and inconsistencies. It has failed to apply the norms of equity and fairness. By applying different yardsticks, Andhra Pradesh is losing Rs, 3,800 crores in tax arrears. Chief Minister of Andhra Pradesh has written letter to Home Minister to amend above Sections to provide equal sharing of revenue between Andhra Pradesh and Telangana.

In view of the above, I request Government to immediately amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act and do justice to Andhra Pradesh.

(xix) Need to strengthen food safety and enforcing standards

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The 2014-15 report on monitoring pesticides residues at the national level shows that vegetables accounting for over 56 per cent of the samples, had pesticides above the maximum residue level set by the food regulator. The Agriculture Ministry's report shows an almost two fold increase in the number of samples having pesticides above the permitted maximum reduce level in the vegetables, fruits, meat and spices in the past seven years.

Pesticides, including dangerous and banned pesticides, are being used many times above the permissible limit. They have made food products, vegetables, fruits etc. more of a health hazard than a boon. There is an urgent need for inspections and tests including strengthening the food safety and enforcing standards. Besides, there is also a need to widen the scope of food safety, enforcing standards and bringing them at par with international standards.

14.05hours

DISCUSSION UNDER RULE 193
Drought situation in various parts of the countrty – Contd.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सूखे पर चर्चा के लिए हमारे पास बहुत नाम आये हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज सूखे पर पूरी चर्चा हो जाए और शाम को मंत्री जी का रिप्लाई हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सूखे का आइटम पहले ले लिया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up discussion under Rule 193 on drought, Shri Tariq Anwar.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सूखे से उत्पन्न स्थिति पर बहस में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह वर्ष किसानों के लिए शुभ नहीं है, यह हम सब जानते हैं। इस वर्ष भी मानसून की बेरुखी रही है और देश के आधे से ज्यादा राज्य सूखे की चपेट में गंभीर रूप से है। अब तक सरकार द्वारा जो इस दिशा में कदम उठाया गया, ऐसा लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है। सूखे पर चर्चा एक औपचारिकता होकर रह गई है।

बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है जब सूखे को लेकर या बाढ़ या राष्ट्रीय आपदा के कारण या ओलेवृष्टि के कारण हम लोग इस सदन में चर्चा नहीं करते हैं और जो किसानों की समस्या है, किसानों की जो पीढ़ा है, उस पर चर्चा नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। लगभग हर वर्ष हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, वह निकल नहीं पा रहा है। एक तरह से यह हमारे सदन का एक रिचुअल बन गया है कि हर वर्ष हम लोग इस पर मात्र चर्चा करें। हम सब इस बात का दावा भी करते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। इस सदन में भी मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 70 फीसदी हमारे माननीय संसद सदस्य ऐसे हैं जो या तो स्वयं किसानी करते हैं या किसान परिवार से आते हैं। इसलिए वे किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आने के कारण किसानों की क्या समस्या है, वह भी वे अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद किसानों की जो समस्या है, वह लगभग उसी तरह से मुंह बाए खड़ी है।

इस वर्ष सूखे के कारण एक अनुमान के अनुसार खरीफ की पैदावार में 38 लाख टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के द्वारा भी जो जारी किया गया है, जो अग्रिम रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पौने दो फीसदी से अधिक पैदावार की कमी हो सकती है। इससे चावल, दलहन और मोटे अनाज वाली फसलों को खासा नुकसान हुआ है। एक तो किसानों की हालत पहले से खराब है, फसलों का नुकसान होता है तो किसानों की मुसीबत आती है और आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब पैदावार अच्छी होती है तब भी किसानों की मुसीबत आती है। उसका कारण यह है कि किसानों को अपनी उपज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाता है और जो बिचौलिए होते हैं, वे उनके खून-पसीने की कमीई का लाभ उठा लेते हैं। चूंकि किसानों को इस बात की जल्दी होती है कि उनकी फसल जल्दी बिक जाए क्योंकि उनके ऊपर कर्ज का जो बोझ होता है, वे जल्द से जल्द उससे निजात हासिल करना चाहते हैं। ऐसी हालत में किसान को सस्ती कीमत पर अपना अनाज बेचना पड़ता है। उन्हें इस तरह से दोहरी मार झेलनी पड़ती है जैसे कि सूखा पड़ा तो उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है और ज्यादा अनाज पैदा हुआ तो बिचौलिए उसका लाभ उठा लेते हैं। जब मार्केट में अनाज की कीमत बढ़ती है तो बिचौलिए उसे बेचने के लिए मार्केट में ले जाते हैं और अनाज की ऊंची कीमत हमारे उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है।

मैं मंत्री जी से और वर्तमान मोदी सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर किसानों को ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है यह आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि आपने लोक सभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में इस बात का वायदा किया था कि चुनाव जीतने के बाद स्वीमीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, इसे पूरा करें। किसानों को भी ऐसी अपेक्षा थी कि नई सरकार आई है तो उन्हें उनकी लागत कीमत से ज्यादा कीमत फसल की मिले और उनके घरों में भी खुशहाली आएगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह अच्छे दिन और काले धन की वापिसी के वायदे थे, इसी तरह ये वायदा भी चुनावी जुमला बनकर रह गया है और सरकार की तरफ से आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानने का कोई कदम उठाने की योजना हो।

महोदय, कृषि मंत्री जी अक्सर ये दलील देते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी जाती है जिसकी वजह से समय पर केंद्र से टीम नहीं भेजी जाती है और किसानों के नुकसान का सर्वेक्षण समय पर नहीं हो पाता है। इस वजह से केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत दी जानी चाहिए, उसमें काफी विलम्ब होता है। जब तक केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की औपचारिकताओं को पूरा करती है, तब तक काफी विलम्ब हो जाता है और राहत समय पर नहीं मिलने के कारण किसानों

के ऊपर परिवार का और समाज का जो दबाव बनता है, वही किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है कि आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि किसानों को इस दुर्दशा से बचाने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, वे सरकार की तरफ से जल्दी से उठाने चाहिए। जो परम्परागत तरीके चले आ रहे हैं कि जब तक राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं देगी या राज्य सरकार की तरफ से कोई आवेदन नहीं आएगा, तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे।

हम यह चाहेंगे, हमारा यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार की ओर से इस दिशा में स्वयं पहल होनी चाहिए। हमें यह परम्परा छोड़नी होगी कि राज्य सरकार हमारे पास कटोरा लेकर आएगी, तभी हम उसे कुछ राहत दें या उसकी मदद करें। यह सिलसिला बदलने की आवश्यकता है। सूखे और बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का अंदाजा लगाने के लिए केन्द्र सरकार को अपनी मशीनरी का भी उपयोग पूरी तरह से करना चाहिए। आज विज्ञान का ज़माना है। हमारे देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं, जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के पास मौसम विभाग भी है तथा और भी कई तरीके हैं, जिससे आने वाले समय में यह पता लगाया जा सकता है कि कहाँ ज्यादा बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ ओले पड़ेंगे। यदि केन्द्र सरकार इस ओर कोशिश करें तो इन तमाम चीजों की जानकारी पहले प्राप्त की जा सकती है। सैटेलाइट के जरिये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किस तरह की हानि हुई है। इन सब चीजों का उपयोग करते हुए, किसानों को राहत दी जा सकती है। यदि किसानों को समय पर राहत न मिले, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। यदि चार-छः महीने के बाद किसानों को राहत मिलेगी तो यकीनन जो उनकी तत्काल जरूरत है, उनकी जो आवश्यकता है, उसे वे पूरा नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ती है।

राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए, यह जरूरी है। उसके साथ ही साथ, हमारा यह भी मानना है कि सरकार किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा जो भी अन्य तरीके हो सकते हैं, उसका उपयोग करती है। इस दिशा में सरकार ने एक डीडी किसान चैनल की शुरुआत की गयी है। यह अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि किसानों की जो भी समस्या है, उनको रेडियो के जरिए उन तक पहुंचाया जाए, तो अच्छी बात होगी। लेकिन, इस संबंध में सरकार को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि डीडी किसान चैनल सिर्फ हिन्दी में है। इसकी आवश्यकता क्षेत्रीय भाषाओं में भी है क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान हिन्दी नहीं समझ पाते हैं। उनको यदि क्षेत्रीय भाषा में भी यह बताया जाए कि मौसम का हाल कब कैसा होगा, उनको मौसम की जानकारी उनकी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाए, तो यह उपयोगी साबित होगा। कब क्या नुकसान होने

वाला है, इसकी जानकारी उनको पहले मिल जाए तो यह अच्छा होगा और मैं समझता हूँ कि यह जरूरी भी है।

किसानों के लिए सबसे मुश्किल यह होता है कि जो किटाणुनाशक दवाइयाँ होती हैं, खाद होते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है, किसानों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। इस बात को यहाँ पर उठाया भी गया है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि चूंकि हमारे ज्यादातर किसान कम पढ़े-लिखे हैं, उनको उन तमाम चीजों की जानकारी या कृषि से संबंधित जो तकनीकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन-से खाद का उपयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस बात की जानकारी के अभाव के कारण उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। आदमी की जान बचाने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है और जिस प्रकार से आज दवाइयाँ बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से खाद और किटाणुनाशक दवाइयों को बेचने के लिए भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था की जाए क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि उसे जो जानकारी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है और उसी के अभाव में वह बहुत-सा ऐसा गलत काम कर जाता है, जिससे उसकी फसल को नुकसान होता है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो सुझाव दिये हैं, उस पर कृषि मंत्री जी विचार करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से राहत पहुंचायी जाए, उसमें समय को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, समय को घटाना महत्वपूर्ण है ताकि किसानों को समय पर उसका फायदा पहुंच सके।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, किसान होने के नाते मैं इस बात से प्रारम्भ करूंगा कि "का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माय, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई"। जो खेती करता है, खेत में पूंजी लगाता है, रात-दिन मेहनत करता है, धूप में तपता है, कीचड़ में सड़ता है और जाड़े में ठिठुरता है, उसी को एहसास होता है कि सूखा पड़ने से और बाढ़ में फसल बर्बाद होने से क्या सहना पड़ता है। सुखाड़ दो तरह से आत है, एक है अनावृष्टि और दूसरा है बाढ़ के उपरान्त आने वाला सुखाड़। मैं जिस एरिया से आता हूं, मिथिलांचल बिहार में बाढ़ भी आती है और बाढ़ जब चली जाती है तो उसके बाद सुखाड़ आ जाता है क्योंकि खेत में पानी रहता नहीं, सिंचाई के कोई स्रोत नहीं होते। इस तरह वह किसान दोनों तरह से मरता है। दूसरा सुखाड़ होता है अनावृष्टि के कारण, इसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जो बराबर सूखग्रस्त एरिया है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें चक्रानुसार सूखा होता है, तीन साल पर, पांच साल पर या दस साल पर सूखा आता है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है, इतने कृषि वैज्ञानिक हुए, मैं बराबर इस बात को उठाता रहा हूं कि इसका कोई इतिहास उन्होंने नहीं बनाया कि जो चक्रानुसार सुखाड़ होता है, वह कब-कब और किस-किस स्थिति में आता है क्योंकि इस पर उन लोगों ने चिन्तन नहीं किया। हमारे पुराने परम्परागत किसान थे, उस समय हमारे यहां लोक कवि थे - डाक कवि। डाक कवि की वाणी को ध्यान में रखती थी और किसान उसी के हिसाब से अपनी खेती करता था :

"सावन पछवा भादों पुरवा आसिन बहे इशान,
कातिक कन्त सीस न डोले, कहां क राखब धान किसान।"

मैथिली में लोग कहते थे कि सावन महीना में अगर पछवा हवा बहे, भादों महीने में पूरवा हवा बहे, आसिन में इसान की हवा बहे और कातिक में हवा बिल्कुल न चले जिससे सीस भी न डोले तो इसका मतलब है कि इतना धान पैदा होगा कि किसान का घर धान से भर जाएगा। दूसरी तरफ वह कहते थे :

"सावन मास जब बहै पुरवइया, बेचो बरदा कीनो गइया।"

अर्थात अगर सावन महीने में पुरवा हवा बहने लगे तो बैल बेच दो, गाय रख लो क्योंकि तुम्हारी खेती होने वाली नहीं है। वर्षा के बारे में वह कहते थे:

"सावन शुक्ल सप्तमी छिप के उगे भानु
कहे डाक सुनु डाकिनी तावत मेघ बरसिहों, जब लगि देव उत्थान।"

यह परम्परागत ज्ञान था, किसान अपने उस कम्प्यूटर के आधार पर खेती करता था। कृषि वैज्ञानिक हुए, आधुनिक तन्त्र आया, आधुनिक यन्त्र आया, लेकिन प्राचीन मन्त्र चला गया। अगर वह प्राचीन,

परम्परागत मन्त्र रहता और आधिनुक यन्त्र एवं तन्त्र के साथ उसका समन्वय किया जाता तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान को कम कष्ट होता। लेकिन यह मान लिया गया कि गांव के किसान के पास कोई अक्ल नहीं है और किसान परिवार में से अगर प्रहलाद पटेल जी या मेरे जैसे कोई संयोग से अगर संसद में आ भी जाते हैं तो सामान्यतः आज के लोग हम लोगों को समझते हैं कि ये लोग किसान परिवार से आए हैं, धोती-कुर्ता-पैजामा वाले, साधारण चेहरे वाले ये लोग क्या जानते होंगे। हमें तो वैसे भी नादान समझा जाता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर सोचें। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग, ज्योतिरादित्य जी जो व्याख्यान दे रहे थे, क्या आज जो समस्या हिन्दुस्तान के किसान और कृषि की है, वह डेढ़ साल में पैदा हुई है? नरेन्द्र मोदी जी जब गद्दी पर बैठे थे तो क्या वह समस्याओं की गठरी लेकर बैठ गए थे? समस्या पैदा की किसी ने, बच्चा पैदा किया किसी ने, उसे भूखा रखा किसी ने और जब वह बीमार होकर मरने लगता है तो कहते हैं कि ऐसा बच्चा क्यों लाए। जिसने पैदा किया, वह बताए कि क्यों पैदा किया, भूखा क्यों रखा, बीमार क्यों बनाया। लगातार आज़ाद भारत में देश के किसानों की ऐसी हालत बनाकर रखी गई है। हमें इसके लिए तात्कालिक उपाय भी करने हैं और दीर्घकालिक उपाय भी करने होंगे। तात्कालिक उपायों में तो राहत के काम होते हैं, जो इस बार भी सुखाड़ के समय विपत्ति आई है तो आपदा प्रबंधन से भारत सरकार की तरफ से राहत में कोई कमी या त्रुटि नहीं रखी गई है। लेकिन मैं उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हूं, जब हम बाढ़ से प्रभावित होते हैं और उस पीड़ा को झेलते हैं तो उस समय भारत सरकार का पूरा खज़ाना भी यदि बांट दिया जाए, तब भी बाढ़ पीड़ितों के बीच पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है। दीर्घकालीन उपाय किया जा सकता है, अगर सिंचाई का प्रबंध हो। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है, उस पर पूरी तरह से अमल हो।

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया था, लेकिन दस वर्षों तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर ये नदियां जुड़ जातीं, सन् 1962 में डॉ. राम मनोहर लोहिया हमारे नेता थे, उस समय हम उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाते थे - बाढ़-सुखाड़ स्थाई निदान तब हम नारा लगाते थे कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, क्योंकि हिन्दुस्तान की सभी नदियों में एक समय बाढ़ नहीं आती है। कुछ नदियां नीचे रहती हैं तो कुछ ऊपर रहती हैं। अगर सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो पानी अपनी सतह को बराबर में रखना चाहता है, यह विज्ञान का नियम है इसलिए सब नदियों में जल स्तर बराबर हो जाएगा। इससे हम एक तरफ बाढ़ से भी बचेंगे और दूसरी तरफ सुखाड़ से भी बचेंगे। लेकिन इस वैज्ञानिक सिद्धांत को न मानते हुए, मैं जिस इलाके से हूं, बड़े-बड़े तटबंध बना दिए गए। उन तटबंधों के अन्दर ऊपर पहाड़ से मिट्टी आती गई भूक्षरण के कारण नदी का पेट ऊंचा हो गया तथा दोनों तरफ के

खेत नीचे हो गए। इन तटबंधों ने जितनी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया है, उससे अधिक कोसी, कमला, गंडक, तिलजुगा नदियों के इन तटबंधों ने नुकसान किया है।

आज़ाद भारत के समय पश्चिमी कोसी नहर बना दी गई। पश्चिमी कोसी नहर खोद दी गई, लेकिन उसमें जो छोटे-छोटे चैनल बनाने थे, वे नहीं बनाए। किसान की जमीन भी चली गई, नहर भी अधूरी पड़ी है। हमारे यहां पानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है लेकिन सारी नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर बना दी गई हैं। विपरीत दिशा में ये पानी को रोकती हैं, इसके कारण हमारे यहां बाढ़ की समस्या बढ़ती गई और सुखाड़ भी पड़ता है। अभी वहां सुखाड़ है। कोसी नहर में अगर पानी हो तो लोग सिंचाई करके खेत सींच सकते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि दीर्घकालीन उपाय किए जाएं।

सभी मृत नदियों की खुदाई कर दी जाए। जितने नदियों के डेड बेड हैं, उन्हें खुदाई करके फिर से चालू कीजिए, जिससे पानी भी आएगा और जल का बहाव भी होगा। हमारे देश में जितनी भी बरसाती नदियां हैं, उन सबमें गुजरात जैसे चेकडैम बना दीजिए। आखिर गुजरात में भी 20,000-25,000 चेकडैम बनाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया जब वहां के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने किया था। अगर उसी तरह छोटी-छोटी नदियों में जगह-जगह चेकडैम, सुलिसगेट बना दिए जाते, पानी को रोक दिया जाता, भूजल का स्तर उससे ऊपर आता। फिर किसान अपने परिश्रम से पम्पिंग सेट और अन्य साधनों के जरिए अपने खेत की सिंचाई कर लेता। इससे जिन खेतों में सूखा पड़ता है, वहां 12 महीने हरियाली आती और किसान अपने पसीने और परिश्रम से तीन फसलों का उत्पादन कर सकता था। बारिश के समय जल संचयन हो। पानी को रोकने के लिए खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहे। यह जो हम नारा लगाते रहे, इस पर अमल नहीं किया गया।

प्रधान मंत्री सिंचाई योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। मैं समझता हूं कि मनरेगा या फूड सिक्योरिटी के नाम पर जो लूट है, भारत सरकार यह सारा पैसा बंद कर दे और सारा पैसा केवल प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में लगा दे तो - हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। एक साधे सब सधे और सब साधे जग जाए। इसलिए वह सारा पैसा इस एक योजना में लगा दीजिए। होता क्या है कि थोड़ा-थोड़ा पैसा कई योजनाओं में बांटा जाता है। जैसे मनरेगा है, मैं तो उसका सीधा अर्थ लगाता हूं, मनरेगा मतलब किसान मरेगा। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा इसका मतलब है किसान की पूर्ण असुरक्षा।

तारिक साहब आप कह रहे थे, मैं गांव से आया हूं, किसान हूं। धान काटने के लिए मजदूर नहीं, काट कर खेत में रख दिया तो उसको झाड़ने के लिए मजदूर नहीं। किसान कहां तक करेगा? अपने बीवी-बच्चों को मिलाकर चार-पांच आदमी वे हैं। जिनके पास मशीन है, वह तो कर लेगा। आपने जितनी योजनाएं चलायीं, आजाद भारत में वे सभी योजनाएं किसान विरोधी थीं। आपने किसान का नारा लगाया, लेकिन

काम किसी ओर का हुआ। किसान को मारो, क्यों? इसलिए कि किसान मरेगा तो उत्पादन कम होगा, अन्न का अभाव होगा, विदेश से मंगाएंगे और बीच में बंदरबांट करके खाएंगे। "बाप-बेटा दलाल और बैल का दाम बारह आना।" यह करके हिन्दुस्तान चलाएंगे और यही तो चलाते चले गए। अगर देश में किसान उत्पादन करता तो अन्न का निर्यात भी होता, जो हरित क्रांति आयी थी, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। हरित क्रांति लाने में अगर कृषि वैज्ञानिकों का योगदान है तो उससे भी ज्यादा योगदान लघु और सीमांत किसानों का है। जिसने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, कुछ आधुनिक विज्ञान और परम्परागत कृषि को जोड़ कर अपनी कृषि उपज को बढ़ाया और हिन्दुस्तान को अनाज में आत्मनिर्भरता में पहुंचाया। पहुंचाए किसान और डुगडुगी बजाए कोई और? यहां बैठे बड़े-बड़े अफसर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जिन्होंने न अरहर, न मसूर, न तिल और न सोयाबीन देखा है, यदि उनके हाथ में भिंडी का बीज और लौकी का बीज दे दिया जाए और कहा जाए कि खेत में रोप के बताओ तो सिर को नीचे करेंगे या ऊपर पता नहीं। जैसे मन होगा, वैसे लगाएंगे। जो बीज लगाना नहीं जानते और सदन में ऐसे बहुत नेता हैं श्रीमान, जिनके आगे गाय खड़ी कर दी जाए तो उन्हें पता नहीं कि दूध आगे से निकलेगा या पीछे से निकलेगा। अगर काली गाय आ जाए तो यह भी नहीं पता है कि भैंस है या गाय है? कुछ पता ही नहीं है और किसान के दर्द की बात बखानते हैं। जिन्होंने देखा नहीं, वह दर्द की बात बखानते हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अभी किसान आयोग बनाने की बात हो रही है मैंने पत्र भी लिखा है कि दो तरह के वैज्ञानिक हैं, एक है कृषि वैज्ञानिक और दूसरे हैं कृषक वैज्ञानिक। आज देश में आवश्यकता कृषक वैज्ञानिक की है, कृषि वैज्ञानिक है जो लेब्रोटरी में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन उसके आगे एक्सटेंशन का प्रोग्राम नहीं है। न प्रशिक्षण है, न प्रसार है, न प्रयोग है। वह कभी किसान के पास नहीं जाता है, वह अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बंद है। बड़ी-बड़ी किताब लिखते हैं, विदेशों में जाते हैं, सेमिनार करते हैं, पंच सितारा होटल में बैठते हैं, चाय काफी पीते हैं, लंच-डिनर करते हैं, एक मेंमोरंडम बनाते हैं, सरकार को भेजते हैं। मैं कहता हूं वाह रे किसान पर सेमिनार करने वाले, पंच सितारा होटल में बैठने वाले, हम यहां पसीने से तर-बतर हैं और तेरे सिर पर एक बूंद पसीना नहीं है। ठंडी-गर्मी में बैठ कर कृषि की समस्या का निदान करते हो। इसीलिए कृषि आयोग में कृषक वैज्ञानिकों को रखा जाए जो जमीन को जानता है, जो सतह को पहचानता है।

मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह की किताब Economic Nightmare of India – Its cause and cure आज भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के जितने अफसर हैं, इस किताब को पढ़ें, उसमें समस्या को देखें। समस्या का कारण और उसका निदान

ढूंढे। समस्या का कारण पता नहीं और निदान ढूंढ रहे हैं। एक टाइम पर किसान आयोग बना था। राम निवाम मिर्धा जी उस किसान आयोग के अध्यक्ष बने थे। उस समय दीपेन्द्र हुड्डा जी के दादा जी बाबू रणवीर सिंह हुड्डा उसके सदस्य बने थे। किसान बनेगा तो किसान के दर्द की बात जानेगा। मैं अपनी बात समापत करूंगा क्योंकि अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। बिहार के मिथिलांचल से आया हूं, सबसे पीड़ित और प्रभावित क्षेत्र से आया हूं। बाढ़ से भी मरता हूं, सुखाड़ से भी मरता हूं। नेपाल की सीमा पर हूं। माआवादियों का भी हम पर हमला होता है और उसके साथ-साथ हिन्दुस्तान के उग्रवादी और आतंकवादी तत्वों का भी हम पर हमला है। हम सब तरह की चक्की में पिसते रहते हैं, फिर भी हम देश की सेवा में लगे रहते हैं। मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में राष्ट्र के लिए पसीना बहाने वाला और सीमा पर अपने बेटे को भेजने वाला जो अपना खून बहाता है, लाश गिराता है और सीमा की सुरक्षा करता है। जिस दिन किसान कमजोर होगा, उस दिन देश की सीमा कमजोर होगी, उस दिन देश की सुरक्षा भी कमजोर होगी। इसलिए यदि किसान मजबूत बनेगा, उसका बेटा मजबूत बनेगा, सीमा पर जाकर लड़ेगा तो दुश्मन के छक्के छुड़ायेगा। इसलिए अगर देश बचाना है तो किसान को पहले बचाना है। धन्यवाद।

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी (मलकाजगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 193 नियम के तहत ड्राउट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत देश में 70 प्रतिशत लोग खेती-बाड़ी पर जीते हैं। हमारी संसद में आधे से अधिक एम.पीज. एग्रीकल्चर फैमिलीज से आए हैं। किसान हमारे देश की बैकबोन है। हमारे देश का नारा 'जय जवान, जय किसान' है। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया है। मैं समझता हूं कि उन्हें किसानों के लिए किसान इंडिया भी लाना चाहिए।

महोदय, हमारा तेलंगाना राज्य 18 महीने पहले सैपरेट हुआ, लेकिन 18 महीनों में दो हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। हमारे दस जिलों को मिलाकर नया तेलंगाना राज्य बना, लेकिन उसमें कोई भी नदी नहीं है। हमारे यहां पूरी खेती-बाड़ी पावर बोरवैल से ही चलती है। पिछले दो सालों से वहां सूखा पड़ा है और खरीब और रबी की दोनों फसलें बर्बाद हो गईं। करीब तीन महीने पहले थोड़ी बहुत काटन आई, लेकिन सीसीआई के पास स्टाफ नहीं है। दो-तीन साल पहले छः हजार रुपये में काटन जाता था, लेकिन लास्ट टाइम चार हजार रुपये में जाता है और उसमें भी गीला है, परसैन्टेज कम है आदि बातें बोलकर दलाल लोग पहले खरीदते थे। लेकिन इन लोगों के पास स्टाफ नहीं है, इस समस्या को लेकर हम मंत्री जी के पास गये। उसके बाद बाद से साढ़े तीन हजार या तीन हजार रुपये में लेकर सीसीआई को बेचते थे। हमारे तेलंगाना में हजार फीट का बोर डालने पर भी पानी नहीं आता है, वहां का पूरा पानी सूख चुका है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई नदी नहीं है। हमारे यहां पुरानी इतनी अच्छी प्रोजैक्ट है, जिसे नेशनलाइज करना है। यह आलरेडी आर्गेनाइजेशन बिल में है। सैंट्रल कमेटी हमारे तेलंगाना के जिलों में पूरे ड्राउट की रिपोर्ट लेकर आई। मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट के हिसाब से जल्दी से जल्दी किसानों को बचाना है। राज्य सरकार किसानों को कोई भरोसा नहीं दे पा रही है। सरकार ने इलैक्शन में जो कहा कि हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, लेकिन वह एक बार में नहीं कर सके। वे इसे इंस्टालमैन्ट में कर रहे हैं और इंस्टालमैन्ट में करने से पूरा पैसा इंटरैस्ट में जा रहा है। वहां के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए बाहर से पांच या दस परसैंट इंटरैस्ट रेट पर पैसा ले रहे हैं और पैसा न चुकाने के कारण कर्जा बढ़ने पर वे लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जैसा मुद्रा बैंक खोला है, जो छोटे-छोटे व्यापारियों को बिना इंटरैस्ट और बिना श्योरिटी का लोन देता है, वैसे ही हमें एक किसान बैंक पूरे देश में खोलना चाहिए और किसानों को बचाना चाहिए। उससे किसानों को बिना श्योरिटी और बिना इंटरैस्ट के लोन देना चाहिए। आज किसान जब अपना सामान बेचने के लिए जाता है तो उसे उसका सस्ता दाम मिलता है। जबकि पूरे

देश में ड्राउट की वजह बहुत महंगाई हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे तेलंगाना राज्य को ड्राफ्ट रिलीफ फंड भेजना चाहिए। हमारी राज्य सरकार ने देर से अपनी टीम को यहां भेजा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*__डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :__ आज देश में दोनों तरफ विरोधाभासी स्थिति है कि एक ओर देश के कई प्रदेशों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ का कहर है, जिसके बारे में यही सदन ने अभी अभी चर्चा की है दूसरी तरफ देश के कई प्रदेशों में वर्षा की कमी के कारण भीषण सूखे की स्थिति पैदा हुई है ।

देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य प्रदेशों में सूखे से लोग, खासकर किसान परेशान है । किसानों की स्थिति खराब है उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है । ऐसी विषम स्थिति की वजह से किसान मजबूर हैं, और देश के कई भागों में किसानों ने आत्महत्या भी की है । मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार को किसानों को मदद करने का ठोस निर्णय लेना चाहिए । जहां तक छोटे एवं सीमांत किसानों का सवाल है, उनकी स्थिति और भी खराब है । उनके पास जमीन नहीं है, मगर ज्यादातर ऐसे किसान खेत मजदूर के रूप में कार्य करते हैं । मेरा निवेदन है कि किसानों के ऋण में माफी देनी चाहिए तथा उनको क्रॉप इंशोरेंस पारित कराना चाहिए । मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ कि, पिछले साल सरकार ने इंसूरेंस में 50 फीसदी से घटा कर 33 फीसदी नुकसान में भी मुआवजा देने का निर्णय किया है ।

मैं छोटे -छोटे किसान,खेत मजदूर के लिए उनको स्पेशल पैकेज देने के लिए सरकार से निवेदन करता हूँ । हमें यह भि निश्चित करना पड़ेगा कि एक भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न हो । हमें ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनको उस स्थिति से बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए । सरकार ने किसानों की जमीन का स्वायल कार्ड देने का निर्णय किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और उनको कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की पैदावार के लिए सलाह देना चाहिए ।

मेरी मांग है कि किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिलना चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ये निर्णय शीघ्र ही लेकर उसका क्रियान्वयन करे ।

---

* Speech was laid on the Table.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने नियम 193 के तहत इस गंभीर विषय पर चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, निश्चित रूप से किसान इस देश की रीढ़ है। जैसाकि हुक्मदेव बाबू कह रहे थे कि किसान सिर्फ अन्न ही नहीं उपजाता है, बल्कि यहां की सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी गांव से है, खेत-खलिहान से है और सुरक्षा का सवाल हो या जहां जोखिम लेने का सवाल हो, किसान और किसान परिवार इसमें अगली पंक्ति में रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुखाड़ की जो स्थिति देश में एक चक्र की तरह, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में चलता रहता है, इसके लिए हमें दो तरह का प्रबंधन करना चाहिए। पहला तो हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो होता रहता है, क्योंकि चक्र के हिसाब से हमेशा आज कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा आदि कई राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। निश्चित तौर से हमें इस बात पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। एनडीए फर्स्ट में अटल बिहारी वाजपयी की सकार में नदियों को जोड़ने की बात उठी थी। निश्चित तौर से यह एक ऐसा कारक बन सकता है, जो किसानों को जीवन दे सकता है और सिर्फ किसानों को जीवन ही नहीं दे सकता है, बल्कि जो जल समस्या है, उसका भी हल कर सकता है। इस देश में सुखाड़ के साथ-साथ, जल समस्या भी आज बृहत्तर रूप लेता जा रहा है। हमें पानी को रोकने के लिए भी, भूगर्भीय पानी को बढ़ाने के लिए भी एक कोई लंबी योजना बनानी चाहिए, दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए, ताकि खेतों में पानी जाए। हमारे पूर्वज, जो पहले से तालाब था, जो कुंआ था, ये सारी जो पारंपरिक व्यवस्था थीं, जहां जल संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था थी। पारंपरिक तौर पर आज ताल, तलैया और कुएं, ये सब बंद हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। हम चेक डैम की चर्चा कर रहे थे, चेक डैम के माध्यम से भी और विभिन्न नई टैक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम किसानों की मदद कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत तरीके से भी हमारे किसान बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे पूर्वज़ बड़े वैज्ञानिक थे और इन चीजों का प्रबंधन किया था। धीरे-धीरे हम लोगों ने नष्ट किया है। एक बात हम सरकार के ध्यान में लाना चाहेंगे, जिसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की है, कि किसानी एक समस्या बनती जा रही है। इसके कई कारण हैं। जिसमें मनरेगा की चर्चा हुक्मदेव बाबू ने की है। निश्चित तौर पर वोट के लिए ऐसी योजना का निर्माण करते हैं, जिसमें क्रप्शन इनबिल्ट हो और काम करने का स्कोप कम हो। निश्चित तौर से खेत खलिहान में आज जिस तरह का वातावरण बना है, एक अराजक स्थिति बनी है। इसमें मज़दूरों को भी फायदा नहीं हो रहा है। यदि हम कोई ऐसा काम करें, जिससे गांवों में खेती का प्रबंधन हो तो किसान और मज़दूर, दोनों इससे लाभान्वित होंगे। किसानों के एक बड़े नेता, उनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन बिहार में उनकी कर्मभूमि रही

थी - स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक नारा था कि जो अन्न-वस्त्र उपजाएगा, सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वहीं चलाएगा। लेकिन 60 वर्षों के इतिहास में उल्टा हुआ है। हमने अपने छात्र जीवन में खेत-खलिहान को बहुत नज़दीक से देखा है कि पहले हर किसान के घर में दो-चार कमरे ऐसे जरूर होते थे, जहां पर अनाज का भण्डारण होता था। लेकिन आज एक प्रवृत्ति बन गई है कि किसानी महंगी हो गई है, वह जल्दी से जल्दी कर्ज से उबरना चाहता है। हम लोगों के यहां जो खाद गोबर से तैयार होता था और जिस तरह से खेतों में बिछाया जाता था, फैक्ट्री के खाद की बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। बीज़ पर तो कोई पैसा लगता ही नहीं था। चाहे वह धान हो या मक्का हो, सब कुछ पारंपरिक तरीके से राख में बंद कर के, आइसोलेट कर के रखा जाता था और उस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता था।

आज यह स्थिति है कि हाईब्रिड के नाम पर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ आई हैं। जब हम बीज लगाते हैं तो वह कभी-कभी उगता ही नहीं है, उग भी गया तो असमय उसमें फूल आ गया, फल नहीं आया तो इस तरह की तमाम समस्याएं आज सामने आ रही हैं। उत्तर बिहार में जो भागलपुर का इलाका है, नौगछिया का इलाका है, बड़ी मात्रा में केले की खेती वहाँ होती है, वहाँ ऐसा बीज हाईब्रिड के नाम पर गया है कि अभी वह केला छोटा-छोटा ही है, लेकिन वह केला पेड़ पर ही पक गया है, तो वहाँ पूरी बर्बादी हुई है। इस तरीके से वहाँ किसान तबाह है, कई और तरीके से भी वह तबाह है।

आज स्वाइल हेल्थ कार्ड की बात चल रही है। कृषि विज्ञान केन्द्र में यह काम भी चल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र पूरी तरह से सक्षम नहीं है, राज्य सरकारों को भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि स्वाइल टेस्टिंग का सही तरीका अख्तियार हो।

महोदय, मैं एक बात शार्ट में कहना चाहूँगा कि अभी वैज्ञानिक कृषि के नाम पर जिस तरीके से हार्वेस्टर का प्रयोग हो रहा है, ये फसल निकाल लेते हैं और डाँट वहीं रह जाता है, फिर उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने से हमारी मिट्टी 6 इंच तक बर्बाद हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कृषि से संबंधित मिट्टी को ऊर्जान्वित करने वाले जो सकारात्मक जीव-जन्तु हैं, आग लगाने से वे भी उसमें मर जाते हैं। हमारे यहाँ जो पिछले साल में कृषि के क्षेत्र में अराजकता हुई है और हमने हरित क्रांति के नाम पर जिस तरीके से किसानी को बर्बाद किया है, महँगा बनाया है और हमने उसे दूसरे पर आश्रित करने का जो काम किया है, उससे मुक्त करने का भी काम होना चाहिए। किसानों के हाथ में भण्डारण, किसानों के आधार पर वैज्ञानिक प्रयोग जो हुए हैं, वह उनके हाथ में जाना चाहिए। बाजार के हाथ में जो कृषि जा रही है, इसके कारण निश्चित तौर से किसान शोषण का एक बड़ा केन्द्र बना है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर जो कृषि आयोग बनता है, उसमें किसानों का भी मत लेकर, उनके प्रतिनिधियों को भी लेकर, कृषि लाभकारी हो, इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : सूखा एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्याधि है जिसके परिणामस्वरूप कई किसान और कृषक श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं। सूखा मात्र कृषि अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु इसका असर उद्योग, वाणिज्य निर्यात इत्यादि सहित शेयर बाजार तक पर पड़ता है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि देश में प्रतिवर्ष भू-जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसके कारण किसान को अपने कुओं को और अधिक गहरा कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाल के इतिहास में वर्तमान सूखा भारत का सबसे बड़ा सूखा है। पूरा देश के लगभग 302 जिल सूखे की मार झेल रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर किसान सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

देश में सूखे और चक्रवात जैसी आपदा से निपटने के लिए एक स्थायी पद्धति होनी चाहिए। वर्तमान में केवल 40 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान ही बैंक से लोन ल पाते हैं। जिन क्षेत्रों में किसानों की गलती के बिना मौसम की मार से फसलें नष्ट होती हैं और वहां फसल बीमा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसानों के ऋणों को तत्काल माफ करने क लिए बैंकों को सकारात्मक भूमिका पर विचार करना चाहिए।

गत वर्ष देश में 20 प्रतिशत बारीश कम हुई, जिसके कारण गेहूं की फसल 28 प्रतिशत होने से देश के किसानों की आमदनी कम हुई और वह आज बहुत परेशान है। देश में वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसके लिए योजना होनी चाहिए। चैक डैम्स बनाने होंगे, ताकी पानी की उपलब्धि तो बनी रहे। फसल बीमा स्कीम में इंश्योरेंश बहुत कम है, उसे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। हमें किसानों को राष्ट्रीय बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने की जरूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसानों से ऋण वसूली की प्रक्रिया भी किसानों के संबंध में जो कानून बनाये हुए हैं उनमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। जैसा कि मनरेगा देश का एक कार्यक्रम है जिसके तहत इस्टिमेट रेशो के आधार देश के 40 टक्का कुशल मजदूरों को और 60 टक्का अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता है और रोजगार नहीं मिलने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। देश के किसान और मजदूर 365 दिन अपने खेती में रोजगार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर किसान के खेत में काम करता है, उनको 100 दिन की मजदूरी किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूरों को दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table

देश में मुफ्त बिजली देने से किसानों का मनोबल बढ़ेगा। तालाबों और झीलों की गाद हटाने का कार्य लगातार किया जाना चाहिए। मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि सूखे से निपटने के लिए सभी गंभीर प्रयास करने चाहिए। हस्तक्षेप कर राज्य सरकारों को कुशलता और समयबद्ध तरीके से किसानों को दी जाने वाली सुविधा हेतु धनराशि का उपयोग करने का निर्देश देने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, मैं आपको शुभकामना देता हूँ।

महोदय, हुक्मदेव बाबू अभी कह रहे थे, अभी वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म की शुरूआत होती है। यह बात वह नहीं भूलें। उन्होंने कुछ पुरानी बातें छेड़ीं। मैं सिर्फ कुछ बात कहूँगा। इतिहास पढ़ने वाला और इतिहास बोलने वाला इतिहासकार नहीं होता है, कर देने वाला इतिहासकार होता है। आपको करने के लिए भेजा है, आप इतिहासकार बन जाइए। आपको कौन कहता है कि आप मत बनिए, जो नहीं बना, वह तो गाली सुन रहा है और जो है, आप उसको करिए। पीछे गाली देने से कोई फायदा नहीं है। आप इतिहासपुरूष बनिए। पूरे देश ने आपको इतिहासपुरूष बनने का मौका दिया है, आप बनिए। हम तो चाहते हैं कि आप इतिहासपुरूष बनें, लेकिन आप लोग बनने नहीं देना चाहते हैं। नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं किसान, कुछ लोग कहते हैं जीडीपी। नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं यूथ, कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट। द्वंद में और दुविधा में जीने की आदत आपकी रहेगी तो आप इतिहासपुरूष नहीं बन सकते हैं। आप इस बात को मानकर चलिए। दुविधा और द्वंद से आपको निकलना पड़ेगा। जो जिद और जुनून है और जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुस्तक को पढ़कर आप आए हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि समय, काल, पात्र इन तीनों का चयन हर युग में हुआ है। शिव के काल में भी हुआ है, कृष्ण के काल में भी हुआ है, राम के काल में भी हुआ है, बुद्ध के काल में भी, सब कालों में इन तीनों का चयन हुआ है और आज भी है। वे हमारे बुजुर्ग थे, वे कह रहे थे, मैं तो कहूँगा कि यह कृषि प्रधान देश नहीं है, यह तो पूँजीपति, दलाल, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी प्रधान देश हो गया है। कृषि प्रधान का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। राजस्थान मैं जैसे कहते हैं सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया, पगड़िया नाचने चल देती है, हम पोलिटीशियन का हाल भी वही है। हल्ला होता है और हम लोग नाचते हैं, कभी तमिलनाडु के सवाल पर, कभी कोसी के सवाल पर। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह राजस्थान में नहीं है, बिहार में होता होगा। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: वही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने राजस्थान के संदर्भ में अच्छी बात कही, मैंने गलत बात नहीं कही। मैंने कहा कि राजस्थान में एक मुहावरा है कि जब किसी के घर में बच्चे होते हैं तो नाचने जाते हैं, तो वह हमारी एक संस्कृति है। मैंने उस रूप में कहा है। अब मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि हम नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। मान्यवर, मैंने कहा कि समय, काल और पात्र की बात है। जब हम एलिगोसिन और मायोसिन युग में आए और फिर पायलियोसिन युग के अंतिम युग में आए तो मानव के पूर्वज आए। एक लाख वर्ष पहले मानव का जन्म हुआ लेकिन जिस बहस पर हम हैं, लगता है कि 1 लाख वर्ष के बाद

मानव की सभ्यता शायद अब नहीं रहेगी। हम कुछ बात कहना चाहेंगे, हम किसी भाषण में नहीं जाएँगे। मानव की ज़रूरतों की सूची में सबसे पहले भोजन और पानी लिखा हुआ है। मैं तो कहूँगा कि अब किसान इस देश में नहीं है, जो लिखा हुआ है, वह मैं बता रहा हूँ। बटाईदारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और किसान शायद निम्नमात्र बच गए। दो बीघा, डेढ़ बीघा, एक बीघा कट्ठे में ज़मीन है लोगों के पास। हम बहुत बड़े ज़मींदार थे, हमारी 9000 बीघा जमीन थी और हमारी 100 बीघा जमीन अब नहीं है, 70 बीघा पर हम पहुँच चुके हैं। हमारे गाँव में 90 नहीं, 96 प्रतिशत लोगों के पास डेढ़ बीघा, एक बीघा कट्ठे में ज़मीन है और वह किसान नहीं हो सकता।

महोदय, हमारे एक पूर्वज ने जो बात कही, उसको हम उद्धृत करना चाहेंगे। विश्वप्रसिद्ध विद्वान प्रो. अश्विनी शर्मा ने कहा है कि अगर पूरी दुनिया का अनाज इकट्ठा करके एक ढेर बनाया जाए और दुनिया के सभी 739 करोड़ मानवों को खिलाया जाए तो 90 करोड़ लोग आज भी भूखे रह जाएँगे। यह स्थिति तब है जब सिर्फ हम नहीं, विश्व के विकसित देश तक कई दशकों तक एड़ी से चोटी तक का दम लगाकर अपनी कृषि को पनपाने में लगे हैं। यानी हम पृथ्वीवासी अभी पर्याप्त भोजन को लेकर ही निश्चिंत और आश्वस्त नहीं हैं। लिहाज़ा यह सोचकर चलना बड़ी गलतफहमी होगी कि अनाज की बड़ी कमी पड़ी तो विदेश से हम मंगा लेंगे। बात सिर्फ अनाज तक ही नहीं है, तिलहन और दलहन की भारी कमी से आज सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे देश भी जूझ रहे हैं। इसका अंदाज़ा हमें दालों के अंतर्राष्ट्रीय दाम देखकर लगाना चाहिए कि हम अब दूसरे देशों से अनाज मंगाने के लायक नहीं हैं।, अभी लेटेस्ट जो कहा गया, मैं उस पर आपको बताना चाह रहा था।

महोदय, मैं कुछ सुझाव दूँगा और सरकार से आग्रह करूँगा कि किसानों की चर्चा लगातार 67 सालों से और उसके पहले भी होती रही। चौधरी चरण सिंह साहब, सहजानन्द सरस्वती जी, लालबहादुर शास्त्री जी, सरदार पटेल तथा बहुत से साहित्यकार और आध्यात्मिक गुरुओं ने किसानों की बड़ी चर्चाएँ कीं, लेकिन आज भी हम 67 साल बाद किसानों के सवाल पर, सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कृषि को इस देश में उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है? क्या पूरा सदन इस मामले पर एक राय हो सकता है? जैसे आप देखें कि हम गाँवों में सीलिंग लगाते हैं लेकिन बाज़ारों में वैल्थ पर कोई सीलिंग नहीं है। जब आप गाँवों में 18 बीघा से ज्यादा ज़मीन रखने का अधिकार किसानों को नहीं दे सकते हैं तो बाज़ारों में अरबों खरबों की संपत्ति रखने का अधिकार आप कैसे दे सकते हैं? आप कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देते। आप उद्योग लगाने के लिए तो ज़मीन देते हैं, रियायत देते हैं, लेकिन किसान को किसी भी तरह से रियायती दर पर ज़मीन देने के लिए आप तैयार नहीं हैं।

महोदय, प्लानिंग कमीशन के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। आपने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया और नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन का मतलब दुनिया में क्या था? प्लानिंग कमीशन का मतलब यह था कि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना के आधार पर प्लानिंग की व्यवस्था हो। मिथिला का क्या कल्चर है, छत्तीसगढ़ क्या चाहता है, स्विट्ज़रलैंड में -45 डिग्री तापमान में किसान कैसे रहना चाहते हैं। स्विटजरलैंड की प्लानिंग को मोंटेक सिंह अहलूवालिया की तरह यदि सभी लोग करना चाहेंगे...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिन्दुवार आग्रह करना चाहता हूं, उस पर मैं आना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग आपने बनाया है, आपको कोई न कोई प्लानिंग नीति आयोग के तहत सामाजिक सन्दर्भ और भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार बनानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि समय, काल, पात्र का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें आप भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को कहां पर किस तरह क्या हो रहा है, इसका ख्याल रखते हुए आपको कृषि की नीति बनानी पड़ेगी।

दूसरी बात, कोऑपरेटिव सिस्टम से खेती करने का मेरा आपसे आग्रह है। एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है, दूसरा कंज्यूमर कोऑपरेटिव है। यदि आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करेंगे तो आप देखियेगा कि बड़े और छोटे किसान, जब सब को आप एक साथ लेकर के चलना चाहेंगे तो निश्चित रूप से किसान की जो बुरी स्थिति है, माली स्थिति है, वह डैवलप करेगी, वह आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव को कैसे आप सिस्टम से आप आगे करें।

दूसरा, फसल इंश्योरेंस के बारे में मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि किसान किसी भी परिस्थिति में दोषी नहीं होता है, या तो प्रकृति को हम छेड़ते हैं या प्रकृति और परमात्मा दोनों को छेड़ने वाले हम लोग हैं तो जब हम लोग प्रकृति को छेड़ेंगे, अभी हमारे हुक्मदेव बाबू कह रहे थे तो इसका दोषी कौन है। इसके दोषी हम हैं। हम प्रकृति का नाश करते जा रहे हैं और परमात्मा को अपने तरीके से सजाए जा रहे हैं। समय और पात्र के अनुसार तो दुनिया बदलेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, एक आध्यात्मिक गुरू ने सुनेजिक युग 65 हजार, 164 लाख वर्ष पूर्व पौधेकृटसिन युग और मोसायइत युग 146 65 लाख वर्ष पूर्व नहीं पाया जाता था। उसमें उन्होंने दिया है, स्पष्ट कहा है कि ये जो क्रिटिसियम युग और पलायसिन, मायोसिन ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको थोड़ा सा कहना चाहता हूं, इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ लोगों का कहना है कि पूर्वी गोलार्थ और उत्तरी ध्रुव उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिमी गोलार्थ दक्षिण से उत्तर की तरफ सरक रहा है। उनका सापेक्षिक अन्तर अपरिवर्तित रहेगा, अतः हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ध्रुवीय परिवर्तन के परिणाम के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संरचना में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप पृथ्वी की

चुम्बकीय संरचना में भी बदलाव आएगा। इसका परिणाम सौर मंडल के अन्य ग्रहों-उपग्रहों पर भी पड़ेगा। इन सारी वैज्ञानिक चीजों पर आप किस नीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं।...(व्यवधान)

इसमें मैं दो मिनट में लास्ट करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसे कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा सिर्फ सुझाव था, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे 10 किलोमीटर दूर, आप जानते हैं को ओजोन की क्या स्थिति है। उसमें आपको क्या करना चाहिए, हमारे भारत को वैज्ञानिक स्तर पर, सामाजिक या जो बराबर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है या प्रदूषण से बचने की बात हो रही है, उस पर क्या करना चाहिए, ताकि आप इस व्यवस्था को लागू कर सकें। मेरी दूसरी चीज़ आपसे है कि कारखानों से...(व्यवधान) निकलने वाली रासायनिक खाद क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हैं, दूषित समस्या का निवारण और अर्थव्यवस्था को कैसे आप सुदृढ़ कीजिएगा, खेती की आर्थिक व्यवस्था के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा है। आज जघन्य समस्या से हम गुजर रहे हैं, पानी के अभाव से त्रस्त हैं। इसमें मेरा कहना है कि भारत की सभी नदियों के बारे में सभी लोग बोलते हैं। यह सही है कि वर्षा और बाढ़ के पानी का कैसे संरक्षण और संग्रह किया जाये, तमिलनाडू में जिस तरह किया गया था। एक कमिश्नर ने जैसे बहुत वृहत रूप से किया तो बाढ़ और वर्षा के पानी के लिए आपके पास क्या नीति है और भारत की सभी नदियों को जोड़ने वाली क्या नीति है। हाइड्रोलॉजिस्ट्स के अनुसार 40 प्रतिशत पानी कारखानों में जाता है और केवल 10 प्रतिशत पानी ही पेयजल के उपयोग में है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सभी नदियों के बारे में यह परामर्श 1977 में हुए, उस समय 30 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी सच में इस देश के पारखी थे, जिन्होंने इसे समझा। उससे पूर्व के प्रधानमंत्री भी पारखी थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी आये तो एक पारखी दृष्टि से उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को समझा। मेरा उसमें यही कहना है कि वर्षा के पानी को एकत्र कर बोरवैल और चलते पानी को रोका जाये। ...(व्यवधान)

15.00 hours

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे एक आग्रह है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा। बिहार के बारे में बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं।

माननीय कृषि मंत्री जी बिहार से आते हैं। बिहार के बारे में उन्हें पता है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा नदियां बिहार में हैं। जैसे कमला, महानंदा, गंडक, कोसी आदि नदियां हैं। आप कैसे उन्हें एक तरफ से जोड़ेंगे?

महोदय, बिहार के दो भाग हैं। एक भाग बाढ़ से प्रभावित है और दूसरा भाग सुखाड़ से प्रभावित है। बाढ़ के पानी को सुखाड़ वाले भागों तक कैसे पहुंचाएंगे? आज की स्थिति के बारे में आप जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बिहार को विशेष पैकेज के तहत किस रूप में लेंगे?...(व्यवधान)

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :** सूखा इस देश की समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे देश का किसान व कृषि सीधे प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि सूखा अवर्षा के कारण ही होता है। विगत वर्षों में हम महसूस भी कर रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अपेक्षा से बहुत कम वर्षा हो रही है। फलतः भयावहः सूखे की स्थिति निर्मित हुई है। विशेषतया मैं मध्य प्रदेश राज्य के जिस हिस्से से आती हूं वह क्षेत्र कुछ तो मैदानी पर अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र है। फलतः यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो शीघ्र ही पूर्ण सूखा की स्थिति निर्मित हो जाती है और कृषि आजीविका आधारित बहुसंख्यक किसान भूखा रहने की स्थिति में आ जाता है।

इस वर्ष तो सूखा के कारण हमारे सभी किसान भाई हमारे अन्नदाता खेतों में बोये गये बीज तक का मूल्य पाने की स्थिति में नहीं रहा और उसका दिन-रात चिन्ता में बीत रहा है। यद्यपि हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी यथासंभव व यथाशीघ्र किसान भाइयों को सूखा राहत की राशि प्रदान कर रहे हैं किंतु शायद किसान को उसकी रीढ़ हड्डियों पर खड़ा करने के लिए और भी सहयोग व मदद की आवश्यकता है जिस हेतु मैं मा. प्रधान मंत्री, भारत सरकार से भी आग्रह करती हूं।

हम सब जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, वह वैज्ञानिक तकनीकी की वृद्धि से बड़ा ही समृद्ध है। किंतु क्या हम अवर्षा की स्थिति से निपटने के लिए कोई ऐसी विशेष तकनीक हमारे वैज्ञानिक निर्मित कर पाने की दिशा में बढ़ पा रहे हैं और विश्व के किसी भी देश के वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर पा रहे हैं कि पूर्ण अवर्षा की स्थिति को हम वर्षा की स्थिति में तबदील कर पाये। साथ ही भारत के वैदिक ग्रंथों में जो ऋषियों की मनीखा है उनके द्वारा अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान कहता हैः-

त्यज्ञात भवति पर्जन्यः

पर्जन्यात् अन्न सम्भवः

अर्थात यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति। अतः इस दिशा में भी शोध की आवश्यकता है कि वे कौन से यज्ञ हैं या पर्जन्य अनुष्ठान हैं और उनकी क्या विधि है जिससे वर्षा होती है और यह धरती और यहां का किसान पर्याप्त वर्षा प्राप्त कर इसे हरा-भरा कर पाये।

मुझे एक विषय और भी ध्यान में आता है कि हम वर्षा से जितना जल धरती पर पाते भी हैं उसे संग्रहित करने में भी असफल रहे हैं और वर्षों से मिलने वाला जल भी नालों व नदियों में बहता हुआ अनन्त समुद्र में विसर्जित हो गया और किसी काम का नहीं हुआ। फलतः पानी को संग्रहित करने की दिशा में भी हम यदि ठीक प्रभावी व स्थायी पहल कर पायें तो परिणाम बड़े हितकारी हो सकते हैं।

---

* Speech was laid on the table.

***श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** इस बार मानसून सामान्य के मुकाबले में काफी कम रहा है, बारिश में 20 फीसदी से 50 फीसदी तक रिकार्ड कमी है। सितम्बर माह देश के अधिकांश हिस्सों में सूखा रहा, जिससे खरीफ की फसल तो प्राय खत्म हो गई, रबी की फसल की बुवाई भी नहीं हो पाई है। राजस्थान में तो और भी विकट स्थिति है। मेरे संसदीय क्षेत्र चूरू में चालू वर्ष में चनों की बुवाई नहीं हुई है, यही हालात गेंहू और सरसों की बुवाई का है। कई क्षेत्रों में मानसून पिछले तीन चार सालों से किसानों का साथ नहीं दे रहा है। देश के सामने यह चुनौती लगभग स्थायी रूप लेती जा रही है कि मानसून के कम होने की स्थिति में किसानों की जान माल की रक्षा कैसे की जाए। आज मानसून का समय पर न आना, सूखा, अकाल व बाढ़ जैसी आपदाएं अर्थव्यवस्था को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कमजोर मानसून और मंहगाई का नाता पुराना है। वर्षा कम होने पर कीमतें और बढ़ने के हालात बन गए हैं। इसको नियंत्रित करना आवश्यक हैं। कृषि उत्पादन गिरने से सीधा असर बैंकिंग व्यवस्था पर पडेगा, बैंकों को कर्ज वसूली में दिक्कत आएगी, कृषि क्षेत्र में ऋण वसूली प्रभावित होगी। बैंक किसानों से ऋण वसूली के लिए मजबूर करेंगे। सरकार को किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 21 मीलियन टन गेंहू भंडारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में नष्ट हो जाता है, जो आस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले गेंहू के बराबर है। सूखे की आहट के बीच जरूरी है कि देश में भंडारण की सुविधा बढ़ाई जाये। हर दाने की हिफाजत हो। कृषि बीमा योजना में भी किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। बीमा प्रीमियम राशि काफी बढोत्तरी करने के पश्चात भी किसान को इंश्योरेंस का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि किसान को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके। राजस्थान वर्षों से कमजोर मानसून की पीड़ा से जूझ रहा है। राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्ण करना उसको उनके हिस्से का पूरा पानी मिलना अत्यंत आवश्यक है।

पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य 31.12.1981 को हुए समझौते में राजस्थान को रावी व्यास के आध्यिक्य जल में से 8.60 एम.ए.एफ. जल आबंटित किया गया था, जिसमें से 8 एम.ए.एफ. जल ही मिल रहा है। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के जल का उपयोग करने की स्थिति में है, फिर भी राजस्थान के हिस्से का शेष जल .60 एम.ए.एफ. नहीं मिल रहा है। पंजाब द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 पारित कर रावी व्यास जल में संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया, जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेनशियल रेफरेंश द्वारा पंजाब समाप्ति अधिनियम

---

* Speech was laid on the Table.

2004 की सवैंधानिक वैधता के परीक्षण हेतु भिजवाया है। मेरा सरकार से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय जल संसाधन मंत्री उच्चतम न्यायालय को निवेदन करे कि माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा रावी-व्यास जल के संबंध में दिये गये रेफरेंश पर एक विशेष पीठ का गठन कर शीघ्रताशीघ्र निर्णय करावे। इसके अतिरिक्त सिधमुख-नोहर सिंचाई प्रणाली के लिए 0.47 एम.ए.एफ पानी आबंटित किया गया था, जिसमें से 0.30 एम.ए.एफ पानी ही दिया जा रहा है, शेष .17 एम.ए.एफ के लिए राजस्थान सरकार वर्षों से प्रयास करती आ रही है लकिन हरियाणा द्वारा विरोध करने पर प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त 0.17 एम.ए.एफ जल राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आबंटित किया गया था, जो अनुबंध की शर्तो के अनुसार सभी राज्यों के लिए बाध्य है। फिर भी हरियाणा के कारण हमें यह जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान में नहरों का डिजाइन तैयार किया गया था। नहर, माईनर आदि सम्पूर्ण सिस्टम तैयार है लेकिन पूरा पानी नहीं मिलने के कारण किसान आंदोलित हैं। राजस्थान सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले ताकि इस क्षेत्र के किसानों को अकाल से राहत मिल सके।

*__DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR) :__ In relation to the discussion, I would like to opine that most of the States of our country namely, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal, etc. are facing the drought situation due to erratic behavior of Monsoon. The failure of south west monsoon has affected severely the people in different parts of our country. It is to be noted that around seventy five percentages of rainfall occurs during the period from June to September. So, the water we get during the monsoon should be harvested appropriately so that the shortage of water could be addressed at the time of necessity. It is known to all that once monsoon fails in the country, the livelihood of majority of rural populace gets affected. Subsequently, the country faces crop failure leading to increase in prices of food items as well as other essential materials. It is not only that agriculture is affected because of the scanty rainfall, but also the industrial sector which needs a lot of water for the purpose of production.

Recently, the suicide by farmers has become common news in all parts of the country. This is happening when the farmers are unable to meet the expectation to produce the quantity of crops for their livelihood. If the same could not happen, might be, because of crop failure due to lack of rainfall leading to drought or due to excess rainfall leading to flood, he does not see any other option to lead his life and to feed his family. Consequently, the loser is the farmer who is depending on agriculture. It is a matter of question as to what is responsible for this type of natural calamities.

The level of pollution has increased manifold over the period of time. As we are relying more upon industrial economy as one of the most important parameters of development, the level of pollution is bound to increase. We are also not showing seriousness towards forest management which is the source of water cycle. Over the period of time, the rapid depletion of forest cover has become responsible for water stress leading to drought. India has a forest cover of

---

* Speech was laid on the Table.

76 million hectares which is 23% of its total geographical area. This area is much lower than the prescribed global norm of 33%. The forest protests soil erosion, increases rainfall and controls floods and landslide, etc. So, the loss of forest is directly responsible for destruction caused by climate change.

I would like to state further that even after 68 years of independence, we have failed to approach an efficient irrigation system and water management policy as per the requirement of different geographical areas of our country. I feel, we have to strengthen the community based water harvesting system as well as irrigation system in the country, especially in the areas where there is no river system or any other source of water.

At the other end, we have also emphasized upon river-linking project. The river linking project will definitely sort out the problem either caused by flood or drought. So, the same would be immensely beneficial for farmers of both the flood prone as well as drought hit areas all over the country. We should wholeheartedly expedite the process of river linking project in all the states.

In this regard, I would like to tell that we do not have any direct control over the rainfall or on monsoon. But we can have the control to harvest water in scientific ways for the purpose. So, the initiative for the purpose should also be taken into consideration in order to protect the farmers from drought.

* **SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA)** : 2015 is the second straight year of drought in India. 302 of the 640 districts have received deficit rainfall of at least 20% compared to normal. Two consecutive years of drought translates into 4 failed cropping seasons. This state of affairs has wreaked havoc in the lives of farmers in the 9 drought affected states of the country.

According to the Socio Economic and Caste Census data, 833 million people that is 73% of India's population lives in rural areas. Out of this 833 million, 670 million people live below the poverty line i.e. earning less that Rs.33 per person per day. Independent surveys designed by economists Jean Dreze and Reetika Khera have reported that eight of every ten households in western UP's Bundelkhand region are eating rotis with spices and salt. Upto 17% of all households in Bundelkhand have replaced regular meals with rotis made of grass and half of all household had not eaten vegetables in over 10 days.

The crises in the 9 drought affected states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh and Telangana have been further aggravated by the poor health of the rural economy and mounting farm debts.

Host of factors like drought, unseasonal rainfall, hailstroms, floods and structural factors like rising farm debt, high input costs, small size of land holdings, low Minimum Support Price for crops, poor availability of institutional finance, low investment in rural infrastructure and slow rate of farm modernization have left the farmers in distress.

In 2014, the number of suicide by farmers and farm labourers was 5% higher than in 2013. The Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) report published by the National Crime Records Bureau (NCRB) put the number of people who committed suicide in 2014 at 12,360. 5650 were farmers and 6710 were agricultural labourers. 20.6% of the 5650 farmer suicides were due to bankruptcy and indebtedness and 16.8% were because of crop failure.

---

* Speech was laid on the Table.

While these are just numbers, let us imagine the plight of the families these farmers left behind. There are scores of ageing parents whose sons committed suicide because of the adverse farming environment in the country, scores of school going children who were forced to drop out of school work as labourers to support their families. We would fail as a nation if we cannot wipe tears from farmers' eyes.

There are various reasons for agrarian crises in India today and we must address the root cause of the problems.

The small landholdings in the country are further getting reduced every year. In Andhra Pradesh, the average size of the land holdings have declined from 2.5 hectares in the early 1970s to 1.20 hectares in 2005-06. This only shows that the peasants are increasingly being marginalised. The NCRB data on farmer suicides for the year 2014 shows that 72.4% of the farmers who committed suicide were small and marginal farmers with less than 2 hectares of land.

In rural areas, the informal lenders are charging interests rates of upto 50% per annum. In this situation, even one season of crop failure forces farmers into a vicious cycle of debt. Here we are talking about four failed cropping seasons.

The major cause reported by most of the victims' households is accumulated debt for digging or deepening of wells and repeated crop losses or the failure of bore wells. According to a case study, in one village thirty years ago there were only six tube wells and the water table was at shallow level of six feet from the surface. But by 1998, there were 1800 borewells, half of which were dry and water table was at 240 feet. As per a study done by agricultural economist P Sainath, in Musapally village in Nalgonda district of undivided Andhra Pradesh there were 6000 borewells dug to cultivate an area of 2000 acres. Out of these 6000 wells, 85% have failed. Attempts to source ground water for irrigation are proving to be a costly affair as the water table further recedes.

The case is similar in most states; traditional ways of cultivation have given way to water intensive ways. The states of Punjab and Haryana are suffering a

similar decline in water table. Planting of water intensive crops in arid regions is wreaking havoc on the environment, damaging soil, and causing agrarian distress.

During a recent interaction in Hyderabad, hon. Minister of Rural Development Chaudhary Birender Singh ji shared the idea of revival of traditional village ponds and water bodies in the country. I did a little search and found out that this is a very sustainable and successful model. There are numerous examples of villages which have ensured adequate water supply throughout the year by using ponds and traditional water bodies. Farmers in Punjab, Dewas in Madhya Pradesh are actively using ponds for irrigation purpose.

India's Waterman Rajender Singh has shown that revival of traditional water systems can enable cultivation in even deserts. In a span of two decades he has worked to revive over 8600 'Johads' or traditional water structures in Rajasthan. These ancient structures were used to collect rainwater around 1500 BC and have helped improve ground water levels apart from storing water for daily use. In many places where 'Johads' were developed, the depth of underground water rose from about 100 meters to between 13 and 3 meters. The area under cropping increased from 11% to 70% and the area under double cropping went from 3% to 50%. Further, the forest cover expanded from 7% to 40% . We must replicate this model in other drought hit regions of the country.

My constituency of Vijayawada suffers from water shortages even though the Krishna River flows through the region. We should create a strong network for irrigation using surface water. In the state of Andhra Pradesh, we have Krishna and Godavari rivers; still major parts of the state are reeling under acute drought. Under the visionary leadership of our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh launched the Neeru Chettu Program. The program aims to plant trees in all districts of the state and rejuvenate water bodies in the state. Water tanks and bodies were desilted on a massive scale and this had led to an increase in water storage capacity of the tanks. This farsighted program has been a boon to the farmers. The Neeru Chettu program has the following objectives.

(1)Inventory of existing water harvesting structures and repairs needed.

(2)Construction of new water harvesting structures using remote sensing technology.

(3)Construction of targeted recharge structures (root water harvesting, artificial recharge of aquifers and defunct wells).

(4) Restoration of major, medium and minor irrigation systems (repair of breach of structures and supply channels, desilting of tanks.

(5) Participatory Hydrological Monitoring (surface and groundwater) for community water audit and crop water budgeting.

(6)Promoting sustainable water use by improved Irrigation and Agricultural practices.

Our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu's commitment to farmers is such that the state successfully completed the Pattiseema lift irrigation project in record time of six months.

The Pattiseema lift irrigation project, taps surplus Godavari river water flowing into the sea and diverts it to the Krishna river for supply to the Krishna delta and Rayalaseema. 80tmc of water is being transferred from Godavari river to Krishna delta. Of the 80TMC of Godavari water, 10TMC will be diverted to domestic and industrial users in major towns in Krishna and West Godavari districts. The remaining 70 TMC will be released for irrigation in Krishna and West Godavari districts, enough to irrigate 7 lakh acres of paddy fileds. Additional 80 TMC of Godavari water in the Krishna delta means the pressure to supply water from river Krishna eases and the Krishna water can be saved and stored at Srisailam dam, from where it can be supplied to the drought-prone Rayalaseema region.

These timely and visionary interventions by the state government has definitely helped in reducing the severity of drought in some regions but still 7 of the 13 districts in the state of Andhra Pradesh are reeling under drought. The situation in Rayalaseema and Uttar Andhra is severe and farmers need immediate

support. We urge the Central Government to provide drought relief funds to the State of Andhra Pradesh at the earliest. Further, I request the Central Government to disburse its share of funds for the Pollavaram project and support the state government for the completion of the project on a war footing. Pollavaram will help bring water to the parched parts of the state and improve rural livelihood.

The government's effort to bring in more and more people into the formal lending sector are laudable but clearly more needs to be done. Crop insurance and claim making has become a painful process. Sometimes, land surveyors are not even visiting the field for the survey but just basing their numbers as per who gives them more bribes. In the case where the survey takes place, it is both very late and just by means of eye estimation. We need to reassure our farmers through better means of crop insurance and quicker delivery mechanism in times of crop damage and failure.

Last month, we visited National Remote Sensing Centre in Hyderabad as part of the Consultative Committee of Rural Development's tour. The kind of advances in satellite imaging and analysis that our scientists have achieved is remarkable. We understand that there are means to estimate crop damage in case of natural calamities by comparing pre and post calamity image of the fields. Use of this technology will aid in faster assessment of crop damage based assessment of crop damage will be a major improvement over the manual assessment that takes eternity to complete and is fraught with manpower hurdles and corruption. Further, we can use drone technology for quicker assessment of crop damage and disburse funds to farmers at the earliest. In an age, where we are technology behemoth, not using technology to help our farmers is almost criminal.

Another important reason for farm distress is the low or sometimes negative returns on many agricultural produce. As per studies done by Agricultural Economist Ashok Gulati on the data collected by Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP), there is a small positive return of 6.5% on paddy and this too only in states where the MSP system is strong. In the case of

groundnut, Ragi, Moong and Sun Flower seed there is a negative return of 4%, 20%, 3.5% and 8% respectively. Such losses on farm produce are pushing farmers to the wall.

The targeted rate of growth of agriculture sector accroding to the 12th Five Year Plan is 4%, however a severe drought situation could lead to negative growth in the sector that grew at a dismal rate of 0.2% in 2014-15. The biggest challenge is to provide immediate income support to the farmers as we take steps to fix structual anomalies in the system. This immediate support could be in the form of increased spending on jobs guarantee scheme and rural infrastructure creation. In the long run we need to make structural changes in pricing strategy for farm produce, provide effective crop insurance, organised credit and ensure that best technologies are used at farms that conserve resources and improve yields. The example of drip irrigation from Israel is worth mentioning. Drip Irrigation is Israel has helped the desert nation conserve water and ensure food security. We can draw lessons from there.

Further, we need to intensify efforts to develop drought and flood tolerant crops. There are numerous varieties of crops that have been traditionally tolerant to droughts. We should encourage merging of this drought tolerant gene into the high yielding variety of grains. I am happy to learn that Kerala Agriculture University has developed a saline tolerant variety of rice and is using it in coastal areas. Similar work has been done using traditional genes from the Sunderbans in West Bengal. The rich plant diversity in our country provides a vast gene pool to develop drought and flood tolerant crops.

I believe that the next stage of food security challenge to India will come from the unpredictable weather. We must develop a comprehensive plan to insure ourselves against the vagaries of climate change, even as we work with other nations to reach an agreement on Climate Change in Paris. The farmers of the country deserve our utmost attention and we must create an eco system where farmers don't barely survive but thrive. I urge the Central Government to look into

the immediate demands of the 9 drought affected states, including Andhra Pradesh and release necessary funds so that the states farmers suffer no more.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) देश में सूखा एक बहुत बड़ी समस्या है।...(व्यवधान) यह समस्या कोई इस वर्ष की अकेले नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार देश को एक बड़े सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा है।...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र श्री ज्योतिरादित्य जी ने नियम-193 के तहत इस मामले को उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने सदन में सवाल तो खड़ा कर दिया और वे खुद सदन में नहीं हैं, उनकी पूरी पार्टी नहीं है। अच्छा होता कि वे अन्य माननीय सदस्यों की बातों को भी सुनते।

महोदय, देश में लगभग 50% खेती मॉनसून पर निर्भर है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की जो बारिश है, वह सोलह फीसदी से कम है। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अभी हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पेरिस गए थे। जलवायु परिवर्तन पर पूरे विश्व के लोग बैठे थे। सभी ने गहरी चिंता प्रकट की है। प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। बेमौसम बारिश से भी कभी-कभी बड़ा नुकसान होता है। बादल फटते हैं। अभी चेन्नई में जो बारिश हुई, उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि पिछले एक सौ वर्षों में भी इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। इसमें बहुत तबाही हुई। हमारी भारत सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग में प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया है। मैं मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने सूखे को, पाले को, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, आग, भूस्खलन, बादल फटना, हिमस्खलन जैसे तमाम प्राकृतिक आपदाओं को उसमें शामिल किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। पहले की सरकार की जो नीति थी, उसमें प्राकृतिक आपदाओं से जब किसी फसल को नुकसान होता था, तो यदि उसमें 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ही उसमें उसे शामिल करते थे। इस तरह से कभी किसी क्षेत्र को उसमें फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन, हमारे प्रधान मंत्री जी ने नुकसानी की सीमा को घटाते हुए कहा है कि अगर खेतों को 33% भी नुकसान हुआ है, तो हम उसको प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में लेंगे और उसके लिए राहत राशि देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सहायता राशि के प्रावधान को भी 50% बढ़ाया है। यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारी केन्द्र सरकार के मानक ब्यूरो ने प्राकृतिक आपदाओं के कुछ क्षेत्र चिन्ह्ति किए हैं। भूकंप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें चार ऐसे क्षेत्रों को चिन्ह्ति किया गया है। अत्यधिक वर्षा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और वहीं से मिट्टी का कटाव भी सर्वाधिक होता है। बारह प्रतिशत मिट्टी का कटाव उन नदियों के माध्यम से होता है, जो समुद्र में जाकर गिरती हैं। लगभग 5,700 किलोमीटर का सुनामी क्षेत्र चिन्ह्ति

हुआ है। देश की कुल खेती योग्य भूमि का 68% हिस्सा सूखा प्रभावित चिन्हित हुआ है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हमारी जितनी खेती है, उसका 68% हिस्सा हमेशा सूखे की चपेट में रहता है। यह वाक़ई में बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके बचाव एवं राहत के लिए सरकार ने क्या किया? पहले की सरकारों ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन, वर्तमान में हमारी जो सरकार है, उसमें हमारे प्रधान मंत्री जी किसानों की मदद के लिए बहुत चिंतित हैं। फसलों को नुकसान हो रहा है। खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है। देश की जरूरत के आधार पर अनाजों का उत्पादन हो, चाहे वह दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, सभी तरह की फसलें समान रूप से पैदा हों, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शुरूआत की देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के साथ जोड़ेंगे, पर्याप्त बिजली देने का काम करेंगे, बड़ी-बड़ी जल संरचनाओं को बनायेंगे।

जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक योजना शुरू की थी। जितने आधे-अधूरे बांध देश के विभिन्न राज्यों में पड़े थे, उनको पूरा करने के लिए हर साल बजट में पैसा जाएगा, ऐसी फास्ट ट्रैक योजना उन्होंने शुरू की थी। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो आधे-अधूरे बांध पड़े थे, उनका काम पूरा हुआ है। इससे सिंचाई का रकबा बढ़ा है, विद्युत का उत्पादन बढ़ा है, नए रोजगार पैदा हुए हैं और खेती की गुणवत्ता बढ़ी है।

महोदय, जहां सूखा पड़ता है, वहां केन्द्रीय अध्ययन दल जाता है। मध्य प्रदेश में भी अध्ययन दल गया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा का स्पेशल सत्र बुलाया। साढ़े आठ हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया। उन्होंने एक-एक खेत में, चाहे वह छोटा किसान हो, चाहे वह बड़ा किसान हो, सभी के नुकसान का आंकलन कराया। उन्होंने एक उच्च स्तरीय टीम भेजी, अधिकारियों की, मंत्रियों की, खुद मुख्यमंत्री जी भी गए और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर उन्होंने उसका आंकलन कराया। उन्होंने उसके लिए व्यवस्था की।

भारत सरकार ने, 1 दिसंबर के इसी सदन में हमारे मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि देश के 614 जिलो में से 180 जिलों में सूखा है। मैं मानता हूं कि ये 180 जिले से भी ज्यादा हैं। देश का एक-तिहाई हिस्सा सूखा है। ऐसी स्थिति में मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के 45 जिले सूखे हैं, 268 तहसीलें सूखी हैं, 38,898 गांव प्रभावित हुए हैं, 59,30,196 किसान प्रभावित हुए हैं और 56,72,679 हेक्टेअर फसलें सूखे की चपेट में आ गई हैं। हमारी राज्य सरकार ने केन्द्र से 4,017 करोड़ की सहायता राशि मांगी है। हमारी राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के लिए जो राहत दी है, वह मैं बाद में बताऊंगा। कर्नाटक में 27 जिले सूखे हैं, छत्तीसगढ़ में 25 जिले सूखे हैं, महाराष्ट्र में 21 जिले सूखे हैं, उड़ीसा में 21 जिले, आन्ध्र प्रदेश में 7 जिले, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 50 जिले, तेलंगाना में 7 जिले सूखे

की चपेट में हैं। सभी राज्यों ने प्रथम दृष्टया भारत सरकार से 23,739.79 करोड़ की सहायता राशि माँगी है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आईएमसीटी ने जो राज्यवार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से सहायता की सिफारिश की है, उसमें कितनी-कितनी राशि, किन-किन राज्यों को अभी तक जारी की गई है? जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो इस बारे में निश्चित तौर पर बताएं।

मैं मध्य प्रदेश के बारे में उनसे कहूंगा कि मध्य प्रदेश को एनडीआरएफ के माध्यम से वर्ष 2012-13 में एक रूपया भी नहीं मिला, जबकि 3-4 सालों से हमारे प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। वर्ष 2013-14 में 502.59 करोड़ मिले, वर्ष 2014-15 में 83.13 करोड़ मात्र मिले, जबकि वर्ष 2015-16 में अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वह नोटिस में जरूर लें।

हमारे प्रदेश से कांग्रेस के हमारे मित्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना से जीतकर आते हैं। अभी वह सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने अपने भाषण में प्रदेश सरकार पर झूठे जो आरोप लगाये थे तो मैं उनको बताना चाहता हूं। जहां से वह जीतकर आते हैं, उनके जिले की 5 तहसील 632 गांव प्रभावित हैं, 24,920 किसान प्रभावित हैं और 20,149 हेक्टेअर क्षेत्र सूखा प्रभावित हुआ है। उनके जिले से 1,508.5 लाख रूपए की मांग आई थी। राज्य सरकार ने 1,369 लाख रूपए जारी कर दिए। राज्य सरकार ने न सिर्फ आबंटन किया, बल्कि पैसा दे दिया। यहां पर वे कह रहे थे कि एक पैसा नहीं मिला। इसके बाद वे कह रहे थे कि हमारी राज्य सरकार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 में कुछ परिवर्तन करके कहा है कि ऐसे किसानों को हम लाभान्वित नहीं करेंगे, जो आयकर दाता है, को नहीं देंगे, वृत्तिकर दाता को नहीं, सेवाकर वालों को नहीं देंगे।

ऐसा एक पत्र जरूर हमारे राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने 6 नवम्बर और 20 नवम्बर को जारी हुआ था। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को मिली, उन्होंने तत्काल उसको रोका। उन्होंने उसे 1 दिसम्बर को रोक दिया और उन्होंने 2 दिसम्बर को निर्देश जारी किया कि जो राजस्व पुस्तक क्रमांक 6 एवं 4 में जो प्रावधान है, इसी सरकार ने किया था, उसी आधार पर, सभी को पात्रता के आधार पर सभी किसानों को हम उसमें शामिल करेंगे। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने 43 जिलों में 3132 करोड़ रुपये किसानों को राहत देने के लिए जारी कर दिये हैं। उसमें 8 दिसम्बर तक 795 करोड़ 80 लाख 473 रुपये का भुगतान भी हो चुका है। मैं कांग्रेस के एक दूसरे मित्र जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जो माननीय सदस्य चुन कर आये हैं, मैं उनके बारे में भी कहूंगा कि उनके जिले की 14 तहसीलें प्रभावित हुयी हैं, 1732 गांव प्रभावित हुए हैं और 1,39,000 किसान प्रभावित हुये हैं, 96290 हेक्टेयर भूमि में बोयी गयी फसलें प्रभावित हुयी हैं। उनके जिले

की मांग 6759 लाख रुपये की थी। हमारी राज्य सरकार ने उन्हें एक-एक पैसा देने का काम किया है। झाबुआ संसदीय क्षेत्र से कांति लाल भूरिया जी चुनाव जीत कर आये हैं, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा। उनके क्षेत्र की तीन तहसीलें प्रभावित हुयी हैं, 317 गांव और 59108 किसान प्रभावित हुए हैं, 86125 हेक्टेयर भूमि में बोयी हुयी फसल सूखे की चपेट में आयी है। वहां की मांग 6562 लाख रुपये की थी, वहां भी राज्य सरकार ने एक-एक पैसे का भुगतान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां कांग्रेस के सांसद श्री सिंधिया जी ने बयानबाजी और झूठे भाषणबाजी कर रहे थे वह पूरी तरह से अनुचित है, तथ्यों के खिलाफ है, तथा आधारहीन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र की बात भी बताना चाहता हूं। मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में 10 तहसीलें हैं, और सभी तहसीलें सूखी हैं। वहां 1665 गांव प्रभावित हुये हैं, 256873 किसान प्रभावित हुये हैं, 94781 हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है। हमारे जिले से 119 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी राज्य सरकार से एक-एक पैसा हमारे जिले को भी मिला है। उनमें से 33 प्रतिशत का भुगतान भी हो चुका है। ऐसे ही हमारे रीवा संभाग के रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना और महाकौशल में, बुंदेलखंड में, हमारे पड़ोसी राज्य यूपी का भी क्षेत्र आता है, वह भी इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा की सूखे से निपटने के लिए सिर्फ राहत राशि देना पर्याप्त नहीं है। सरकार को कुछ नयी नीतियों की तरफ ध्यान देना होगा। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, वे दिनोंदिन गरीब होते जा रहे हैं, अगर उनकी फसल को हम प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हम कम से कम एक नयी कारगर फसल बीमा योजना बनाकर उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। जब तक कारगर फसल बीमा योजना नहीं होगी, तब तक उनको कोई भी मदद नहीं मिल सकती है। अभी जो फसल बीमा योजना है, वह उन्हें लाभ नहीं दे रही है। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और किसान उससे संतुष्ट भी नहीं हैं। ऋणी किसानों को तो कुछ थोड़ा-बहुत मिलता भी है लेकिन गैरऋणी किसानों को एक पैसे भी नहीं मिलते हैं। हमारी मध्यप्रदेश की सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार जीरो प्रतिशत ब्याज पर सभी किसानों को ऋण दे रही है। हम बोनस भी दे रहे थे, लेकिन खाद्य सुरक्षा के कानून के कारण केन्द्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि जो राज्य सरकार बोनस देती हैं, उनको वह बंद करना पड़ेगा ताकि एक समान व्यवस्था देश में चलती रहे। हमारी सरकार ने उतना ही बोनस, किसानों को एक लाख रुपये का ऋण लेने पर तो उनको उस पर ब्याज भी नहीं देना हैं और एक लाख रुपये में से मात्र 90 हजार रुपये उन्हें जमा करने हैं, उनमें 10 हजार रुपये की छूट है। हमारी सरकार ने 10 घंटे बिजली देने की योजना बनायी है। कांग्रेस के समय में वर्ष 2003 में सात लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, लेकिन आज हमारे यहां 36 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। वर्ष 2018 पूरा

होते-होते, हमारी सरकार 50 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का काम पूरा करेंगी। तीन बार "कृषि क्रर्मण" पुरस्कार हमारे राज्य को मिला है। प्रदेश की कृषि विकास दर 24 प्रतिशत है, जो देश में नम्बर एक स्थान पर है। हमारे राज्य ने किसानों के लिए इतना कुछ किया लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार से मदद की जरूरत है।

हमारी राज्य सरकार एक और बात पर विचार कर रही है। यह अन्य राज्यों से जो सांसद आते हैं, मैं उनके लिए यह जानकारी दे रहा हूं। हमारी राज्य सरकार ने कहा है कि यदि केन्द्र सरकार हमें मंजूरी दे दे तो हम अलग से फसल बीमा योजना बनाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ उपाय निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। प्रधान मंत्री जी ने मृदा परीक्षण की एक योजना चलाई है। निश्चित तौर पर उसका असर हुआ है। सिंचाई योजना का असर हुआ है, नदियां जोड़ने का असर हुआ है। देश में मध्य प्रदेश ही अकेला राज्य है जहां नदियां जोड़ने का काम शुरू है। हमारी सरकार ने नर्मदा और शिप्रा को जोड़ दिया। केन, बेतवा और काली सिंधु को जोड़ने की तैयारी में लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि उन योजनाओं को पैसा केन्द्र सरकार से पहुंचे। हमारी जो अधूरी सिंचाई योजनाएं पड़ी हैं, जैसे बर्गी बांध की योजना की दाईं तट नहर के लिए हम चाहते थे कि उसे बजट मिल जाए। उसका राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करके बजट करीब पौने चार हजार करोड़ रुपये है। वह आज तक नहीं मिला। मैं निवेदन करूंगा कि उसका पैसा मिल जाए। नहरों के निर्माण का जो पैसा बकाया है, वह मिल जाए। जो वाटरशैड की योजनाएं थीं, हम छोटे-छोटे तालाब बनाना चाहते हैं, बरसात के पानी को रोकना चाहते हैं। उसके लिए हमें फंडिंग की जरूरत है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरे देश की 60 से 65 फीसदी आबादी की जीविका लगी हुई है। ...(व्यवधान) मैं चाहता हूं उत्पादन खर्च कम किया जाए, फसलों का उचित मूल्य तय करे तभी किसान मजबूत हो पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** सूखा नाम लेते ही आंखों के सामने एक ऐसी भयावह तस्वीर सामने आती है जिसके बारे में देश को गम्भीरता पूर्वक विचार कर इसका समाधान करना चाहिए। सूखे की वजह से जमीन के ऊपर व जमीन के नीचे पानी समाप्त हो जाता है, सारे कुंए नदिया, तालाब, खेत सूख जाते हैं। इसकी वजह से समस्याओं का एक दौर शुरू होता है जिसकी सबसे अधिक मार किसानों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि सूखा पड़ते ही किसान की जीवन रेखा, उसकी खेती तबाह और बर्बाद हो जाती है और इसी बर्बादी की वजह से देश में हजारों किसानों ने अब तक आत्महत्याएं की हैं।

सूखे की वजह से सभी प्रकार के अनाजों एवं दलहनों का उत्पादन कम अथवा नगण्य हो जाता है और अन्नदाता भूखे मरने को मजबूर हो जाते हैं। साथ ही समाज पर इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बड़े नुकसानदायक होते हैं जैसे कि पशुओं को चारा एवं पानी नहीं मिलने की वजह से पशुधन एवं दूध की कमी, कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी, आम लोगों की क्रय शक्ति में कमी, पीने के पानी की कमी, महंगाई दर में वृद्धि, गरीब तबके में कुपोषण की समस्या एवं अन्य प्रकार की बीमारियां, किसानों के द्वारा जमीन और गहने गिरवी रखने से साहूकारों द्वारा उनका आर्थिक शोषण, किसानों एवं लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जीवन यापन के लिए पलायन, लोगों के आत्मविश्वास में कमी की वजह से सामाजिक तनाव, झगड़े, अपराधों में वृद्धि इत्यादि, और इन सब दुष्प्रभावों का सबसे अधिक नुकसान किसान को, गरीब को, दलित को, महिलाओं को उठाना पड़ता है।

जब पूरे देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा हो रही है, मैं बताना चाहूंगा कि देश की लगभग 12 प्रतिशत जनता सूखे की मार से पीड़ित है। सिंचाई आयोग के द्वारा 74 जिलों को सूखे से पीड़ित माना गया है जिसमें कि मेरा राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य प्रभावित रहे हैं।

मैं राजस्थान के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में 11 जिले सूखे से अति पीड़ित हैं एवं अन्य जिले सूखे से पीड़ित हैं। राजस्थान में भूमि जल स्तर 250 से 400 फीट गहरा हो चुका है। दुर्भाग्य से बादलों की कृपा भी राजस्थान पर कम होती है। जिसकी वजह से एक वर्ष में राजस्थान में औसत वर्षा सिर्फ 164 मिमी होती है। राजस्थान का 57 प्रतिशत हिस्सा सूखे पीड़ित जोन में आता है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों ने अपने-अपने तरीकों से सभी प्रयत्न किए लेकिन दुर्भाग्य से अरबों रूपये खर्च करने के बाद भी इसका स्थाई समाधान नहीं हो पाया।

---

* Speech was laid on the Table.

मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के सपने प्रत्येक खेत को पानी से काफी उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश की नदियों को जोड़ कर बाढ़ एवं सूखे की स्थिति पर नियंत्रण करने का सपना माननीय नरेन्द्र भाई मोदी पूरा करेंगे।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस समस्या से किसानों एवं आम जन को राहत पहुंचाने के लिए देश के पहले राज्य के रूप में नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। मैं आशा करता हूं कि कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के विजन एवं कठिन परिश्रम से ये कार्य पूर्ण हो सकता है। क्योंकि राजस्थान सरकार यह कार्य आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से कठिनाई महसूस कर सकती है। अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि राजस्थान में नदियों को जोड़ने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा एवं सहयोग करेंगे।

***DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR) :** Drought is a condition which happens to be an impact of short term environmental mishaps as well as a continuous long term process. Interactive environmental changes tropical monsoon character of the country less amount of rainfall in our country by south west monsoon and global climatic change, leads to soil erosion, soil devastation, increase in ground water level depth, reduction in river bed and less water reserves in lakes and other water reserves. About one sixth of land area, 12% of population is drought prone.

At this moment 302 districts of eight states are affected by drought. In West Bengal after flood and due to less rainfall, yields of crops is suspected to be less in Bengal this year. Drought affects the life, society and nation in various ways and losses are enormous and sometimes irreversible. Meteorological drought reduces soil moisture and enables recharge of soil moisture, leads to surface run off and reduction of ground water level.

Two third of our agricultural land is water fed so it leads to less cultivation and shortfall of agricultural products as well as fodder feed. Import of foodgrains become extreme necessity which leads to economic burden. However, India manages to build a buffer stock because it partly retains green field.

Impact is drastic in case of social structure and economy which leads to poverty, famine, ill health, malnutrition and increases death rate and reduces the productive population and children and cattle.

Economic loss is due to crop and fodder deficiency, more monitory loss due to irrigation and water supply maintenance. Even the business related to water transport and hydro electric power generation is hampered.

Environmental impact is disruption of eco-balance of fish, cattle and wild life habitat. Wild life migration is another burden over the nearby villages. There is lack of drinking water for man and animal and the poor quality of soil produces damage to further food production. In this situation not only the drought affected

---

* Speech was laid on the Table.

areas are suffering but in other areas people migrates in search of job, food and shelter which creates big problem for the whole nation.

Drought is a continuous and recurrent problem. The immediate help from government and non-government agencies is a temporary relief but actually it needs a permanent solution. As a temporary measure Central Disaster Management and the State Disaster Management are supplementing with food and money. There is a plan for seed subsidy and diesel subsidy which is very necessary for the present and future situation.

As drought is a recurrent phenomenon like in West Bengal, Jharkhand and it comes in every 5-6 years and in other states like Maharastra, Karnataka the frequency is 2-3 years, we should seek permanent solution, methods of prevention and early management.

For global warming, it needs international interference, international rules on carbon emission, sea water pollution, etc. Preservation of natural lakes, improvement of depth of river beds, rain water harvesting, etc. is required More of water needs to be taken through canals from rivers. There is need for implementation of interventions on perennial horticulture crops under MIDH and additional fodder development programme under RKVY. Scientists are researching on artificial rain by cloud seedling.

So, drought is a universal problem. We should deal with it on a war footing.

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) :** मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख में किसानों की बदहाली की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश का मिश्रिख संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तीन जिलों तक फैला है- सीतापुर, हरदोई और कानपुर। यहां की 90 प्रतिशत आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है, और इसी से लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। उपरोक्त तीनों जिले भारत के सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हैं। यहां उद्योग धंधे न के बराबर हैं। यहां जो खेती करते हैं वो भी कमर्शियल खेती नहीं है। खेती, सिर्फ जीविका का साधन मात्र है। मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं जिनके पास पट्टे पर मिली छोटी-छोटी जमीनें हैं। ये लोग पूरे साल इन्हीं जमीनों में खुद को खपाये रहते हैं कि थोड़ा बहुत अनाज हो जाए ताकि इनकी जिन्दगी बसर हो सके और कुछ नहीं तो कम से कम खाने के लिए अन्न पैदा हो सके।

मैं अक्सर शनिवार और रविवार के दिन अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करती हूं। वहां के दूरदराज के गांवों में जाती हूं। मुझे बड़े भारी मन से और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में अब भी लोग 18वीं सदी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। ऐसी हालत में जी रहे हैं लोग। कांग्रेस ने अपने 60-70 वर्षों के शासन में इनके लिए कुछ नहीं किया। खेती करने वालों पर कुदरत आए दिन कहर बरपा करती रहती है। पिछले साल जब इनकी रबी की फसल तैयार होने को थी, तब बे-मौसम की बारिश ने रबी की फसल चौपट कर दी। गेहूं सरसों की सारी फसल खराब हो गई। जैसे-तैसे, कर्ज लेकर किसानों ने धान-मक्का बोया तो सूखा पड़ गया, खरीफ की सारी फसल चौपट हो गई। एक दाना भी लोगों के घर नहीं पहुंचा। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। जिन्दा रहने के लिए लोग गांवों से दिल्ली जैसे महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

हमारे क्षेत्र में फसल बीमा कम्पनियां बिल्कुल प्रभावी नहीं हैं। कुल कृषि क्षेत्र का 10 प्रतिशत हिस्सा भी बीमा कम्पनियों द्वारा कवर नहीं है। छोटी-छोटी जोत वाले किसानों में फसल बीमा संबंधी कोई जागरूकता नहीं है और जो किसान फसल बीमा करवाते हैं, फसल बीमा कंपनियां उन्हें भी तकनीकी कारण बताकर कोई लाभ नहीं देती हैं। इससे दूसरे किसान हतोत्साहित हो जाते हैं और वो फसल बीमा कंपनियों के पास नहीं जाते।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में तत्काल कदम उठाए और हमारे जिन किसान भाइयों का, बेमौसम की बारिश और सूखा से नुकसान हुआ है उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उन्हें तत्काल मुआवजा और हर्जाना दिया जाए।

---

* Speech was laid on the Table.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने सूखे पर चल रही इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया है। हाल ही में पैरिस में जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए आज चिन्ता का कारण बना हुआ है। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। सूखे ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में दस्तक दी है और देशभर के बीस राज्यों में 300 से अधिक जिले इससे प्रभावित हैं। इन बीस राज्यों में एक मेरा राज्य उत्तर प्रदेश भी है जहां के कुल 75 जिलों में से 50 जिलों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है। उसमें से एक जिला मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भी है। वैसे तो राज्य सरकार को सूखाग्रस्त घोषित करने का काम बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह काम अत्यधिक विलंब से किया है और हमेशा की तरह इसका खामियाजा हमारे प्रदेश के किसानों को ही भुगतना पड़ेगा।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि हमारी राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत के नाम पर 2057 करोड़ रुपये की मांग की है। मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र सरकार हमेशा की तरह राज्य सरकार को धनराशि देकर किसानों की मदद करने का प्रयास भी करेगी। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहती हूं। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह जरूर कहना चाहती हूं कि जब केन्द्र से राज्यों को आपदा राहत के नाम पर बहुत मोटी धनराशि देते हैं तो क्या कभी यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह पैसा किसानों तक पहुंचा या नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले वर्ष भी जब सूखा पड़ा तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की मदद के लिए 777 करोड़ रुपये दिए। इस वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल माह में जब ओला वृष्टि और भीषण बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुईं तब भी 2081 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को दिए गए। लेकिन जब जमीन पर जाकर किसानों से पूछो कि उन्हें मुआवजे की रकम मिली या नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश के गांव में किसानों के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि उन तक मुआवजे की कोई धनराशि नहीं पहुंच पाई। आज हालात यह हो चुके हैं कि केन्द्र सरकार का पैसा है लेकिन उसका मालिक राजस्व विभाग का एक छोटा सा कर्मचारी एक तहसीलदार बन चुका है जिसकी जिम्मेदारी है कि गांव में जाए और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआयना करे। लेकिन तहसीलदार गांव में जाते नहीं हैं, मुआयना नहीं करते हैं और अपनी रिपोर्ट लिख देते हैं। किसानों के भाग्य का फैसला एक तहसीलदार कर रहा है और रकम भेजने का काम केन्द्र सरकार कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में यह हुआ कि जो आपदा राहत के नाम पर पैसा भेजा गया, वह या तो किसानों तक नहीं पहुंचा या अगर बांटा गया तो केवल लोहिया ग्रामो में बांटा गया क्योंकि लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लोहिया गांव में पैसा बांटने से उत्तर प्रदेश सरकार को वाह-वाही लूटने का

मौका मिल रहा है। ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा दूसरे कार्यों में इस पैसे को डायवर्ट कर दिया गया है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने तो किसानों की आत्महत्या को लेकर यहां तक बयान दिए हैं कि किसान अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक परेशानियों के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहे क्योंकि उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है। वे यह सोचकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं कि उनके कर्ज का बोझ वे कहां से पूरा करेंगे। वे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इस तरह के बयान हमारे प्रदेश के किसानों को लेकर दिए गए हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जो पैसा केन्द्र सरकार से आपदा राहत के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाता है, आप सख्ती से पूछे कि वह पैसा किस तरीके से वितरित किया जाता है। आज पूरे प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है, पेयजल का संकट गहरा गया है, खरीफ की फसल चौपट हो गई है, आज किसान को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या बेचे, कहां से पैसा लाए, कहां से खाद-बीज खरीदे और रबी की बुआई कैसे करे? इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रबी की फसल की पैदावार भी प्रभावित हो जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्र के लिए शर्म का विषय है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाला देश आज तक बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाया है, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। फसल बीमा योजनाओं में तमाम तरह की विसंगतियां हैं, हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को भी फसल बीमा योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, प्रीमियम की राशि भी उनको नहीं मिल पा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे और इस बात की जांच कराई जाए कि फसल बीमा की जो योजनाएं चल रही हैं वह कितनी प्रभावशाली साबित हुई हैं। स्वामीनाथन आयोग बनाया गया, उसकी सिफारिशों में हमारे देश के किसानों की तमाम समस्याओं का निराकरण छिपा हुआ है, लेकिन हम उन सिफारिशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी होती है कि हमारी सरकार कृषि आयोग बनाने जा रही है। उस आयोग के माध्यम से हम इन समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहेंगे यह मेरे लिए उत्सुकता का विषय है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस आयोग के माध्यम से स्थायी समाधान निकालेगी।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : माननीय सदस्या ने किसान आयोग की चर्चा की है, अखबारों ने ऐसी खबरें छापी हैं। मैं मानता हूं कि अगर किसी विषय को टालना है तो आयोग बना दीजिए। वर्ष 2007 में आयोग बना, 2009 में किसान नीति बनी, इसके सात-आठ वर्ष हो गए इसलिए इसका रिव्यू होना चाहिए, इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जो जल्द से जल्द रिव्यू करके रिपोर्ट देगी।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: माननीय मंत्री जी की बात सुनकर विश्वास हुआ है कि एनडीए सरकार किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब होगी। मेरा निवेदन है कि जो पैसा केन्द्र से भेजा जा रहा है, उसका हिसाब-किताब राज्य से पूरी तरीके से लिया जाना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Once again I want to bring to the notice of the hon. Members that the hon. Minister is going to reply today itself. So, we have to complete the discussion somewhat early.

Also, I am having a list of nearly 20 Members who are yet to speak. If any Member wants to lay his written speech on the Table of the House, that is allowed. Therefore, Members can do that also.

***श्री संजय काका पाटील (सांगली) :** सूखा एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्याधि है जिसके परिणामस्वरूप कई किसान और कृषक श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं। सूखा मात्र कृषि अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु इसका असर उद्योग, वाणिज्य निर्यात इत्यादि सहित शेयर बाजार तक पर पड़ता है। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि देश में प्रतिवर्ष भू-जल स्तर गिरता जा रहा है, जिसके कारण किसान को अपने कुओं को और अधिक गहरा कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हाल के इतिहास में वर्तमान सूखा भारत का सबसे बड़ा सूखा है। पूरा देश के लगभग 302 जिल सूखे की मार झेल रहे हैं। ैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर किसान सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

देश में सूखे और चक्रवात जैसी आपदा से निपटने के लिए एक स्थायी पद्धति होनी चाहिए। वर्तमान में केवल 40 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान ही बैंक से लोन ल पाते हैं। जिन क्षेत्रों में किसानों की गलती के बिना मौसम की मार से फसलें नष्ट होती हैं और वहां फसल बीमा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसानों के ऋणों को तत्काल माफ करने क लिए बैंकों को सकारात्मक भूमिका पर विचार करना चाहिए।

गत वर्ष देश में 20 प्रतिशत बारीश कम हुई, जिसके कारण गेहूं की फसल 28 प्रतिशत होने से देश के किसानों की आमदनी कम हुई और वह आज बहुत परेशान है। देश में वर्षा का पानी बर्बाद न हो इसके लिए योजना होनी चाहिए। चैक डैम्स बनाने होंगे, ताकी पानी की उपलब्धि तो बनी रहे। फसल बीमा स्कीम में इंश्योरेंश बहुत कम है, उसे बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। हमें किसानों को राष्ट्रीय बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने की जरूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसानों से ऋण वसूली की प्रक्रिया भी किसानों के संबंध में जो कानून बनाये हुए हैं उनमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। जैसा कि मनरेगा देश का एक कार्यक्रम है जिसके तहत इस्टिमेट रेशो के आधार देश के 40 टक्का कुशल मजदूरों को और 60 टक्का अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलता है और रोजगार नहीं मिलने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। देश के किसान और मजदूर 365 दिन अपने खेती में रोजगार देते हैं। मेरा अनुरोध है कि मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूर किसान के खेत में काम करता है, उनको 100 दिन की मजदूरी किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूरों को दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

---

* Speech was laid on the Table.

देश में मुफ्त बिजली देने से किसानों का मनोबल बढ़ेगा। तालाबों और झीलों की गाद हटाने का कार्य लगातार किया जाना चाहिए। मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि सूखे से निपटने के लिए सभी गंभीर प्रयास करने चाहिए। हस्तक्षेप कर राज्य सरकारों को कुशलता और समयबद्ध तरीके से किसानों को दी जाने वाली सुविधा हेतु धनराशि का उपयोग करने का निर्देश देने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

श्री रावसाहेब पाटील दानवे (जालना) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में हर साल कहीं न कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है लेकिन महाराष्ट्र में गत तीन सालों से लगातार सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण किसानों की अड़चन हर साल बढ़ती जा रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब पहले सूखा होता था जब तक 50% किसानों का नुकसान नहीं होता था तब तक सूखा डिक्लेयर नहीं होता था लेकिन इस बार 33% नुकसान होने पर भी सूखा डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में गत तीन सालों से सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। सूखा एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक वेदी है, जिसके परिणाम केवल किसानों को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां के रोजगार और उद्योग पर भी उसका असर बहुत ज्यादा होता है। आज महाराष्ट्र में सूखे के कारण रोजगार कम हुए हैं और मुझे लगता है कि वहां के उद्योग भी लगभग बंद होने के कगार पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से जो राहत पैकेज मांगा है, वह दिया जाये। पिछले साल महाराष्ट्र ने जो राहत पैकेज मांगा था, उसमें से 1957 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये थे। ...(व्यवधान) यह बात भी सही है कि इतना पैसा पहले कभी भी नहीं मिला। इस राशि में से 1427 करोड़ रुपये सूखे और 530 करोड़ रुपये अतिवृष्टि के लिए दिये थे। केन्द्र सरकार ने कुल मिलाकर 1957 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को दिये। वहां काफी समय से सूखा है, लेकिन इतने पैसे महाराष्ट्र को पहले कभी नहीं मिले। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और कृषि मंत्री जी का आभार मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जैसे बताया कि महाराष्ट्र में इस साल सूखे की स्थिति पिछली बार से भी ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र के 21 जिले सूखे की चपेट में आये हैं जिसमें से विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति बहुत खराब है। जालना, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली आदि जिलों में बहुत ही खराब स्थिति है। उसमें सांगली, सतारा, बुलढाना और उत्तर महाराष्ट्र में भी लगातार सूखा पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से जो राहत पैकेज मांगा है, उसमें 4 हजार 2 करोड़ रुपये हमने सूखे के लिए मांगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार ने हमें आज तक सूखे के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट से सूखे के लिए किसानों को पैकेज दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कई उपाय किये हैं। लोन स्ट्रक्चरिंग का जो काम है, जहां पर सूखा है, वहां किसानों को बैंक का लोन मुहैया नहीं कराया गया। इसके लिए लोन रीस्ट्रक्चर महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसके बाद बिजली का बिल महाराष्ट्र सरकार ने माफ किया है। जिस दिन से महाराष्ट्र

में सूखा डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से पूरे साल का बिजली का बिल महाराष्ट्र सरकार ने देने का निर्णय किया है। हमारे जो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, उनकी परीक्षा फीस को भी माफ कर दिया गया है। जहां पर सूखा डिक्लेयर हुआ, वहां पर पीने के पानी की दिक्कत है। वहां पर भी महाराष्ट्र सरकार ने टैंकर लगाने की व्यवस्था की है। जानवरों के लिए जो छावनी होती है, उसके लिए गवर्नमैंट ने पैसा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये सारे उपाय अपने बजट में से किये हैं। महाराष्ट्र में किसान को जो नुकसान हुआ, उसे जांचने के लिए केन्द्र सरकार की टीम गयी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी तरफ से वहां के नुकसान का अंदाजा लगाकर केन्द्र सरकार से राहत पैकेज मांगा है। मुझे ऐसा लगता है कि वह 4 हजार 2 करोड़ रुपये का राहत पैकेज महाराष्ट्र सरकार को दिया गया, तो उससे सूखे की स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 4 हजार 2 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[*] **श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** देश के विभिन्न भागों में तथा उत्तर प्रदेश में सूखा तथा विगत मार्च-अप्रैल माह में हुई बेमौसम बरसात, भयंकर ओलागर्दी एवं तूफानी हवाओं के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ था। पर्यावरण में आया आकस्मिक परिवर्तन घोर आपदा का कारण बन रहा है। उत्तर प्रदेश एवं मेरी लोक सभा क्षेत्र के कई जगहों पर भारी वर्षा और कई जगहों पर पानी की एक बूंद तक नहीं पड़ी। जिसके कारण खरीफ व जायद की फसल पूर्णतयाः नष्ट हो गई। किसान भुखमरी की कगार पर है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत में हुई दैवीय आपदा पीड़ित किसानों के नुकसान की भरपाई के स्पष्ट निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जा रही है। जिसके कारण लगभग 60 प्रतिशत किसानों को अब तक मदद नहीं मिल सकी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की कमर टूट चुकी थी, अब सूखे पर किसान असहाय होने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है।

आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेरी लोक सभा के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के किसानों पर राज्य सरकार द्वारा पक्षपात किए जाने के कारण जनपद कानपुर देहात द्वारा प्रेषित कृषि क्षति धनराशि रू0 19458 लाख की अपेक्षा में मात्र 7102 लाख का आवंटन किया, जिससे अभी तक 4917 लाख ही किसानों को मुहैया कराया जा सका है। इसी तरह जनपद कानपुर नगर में 9301 लाख की अपेक्षा में 7756 लाख का आवंटन किया गया, जिसमें 6376 लाख रू0 ही वितरित किए गए। जबकि जनपद इटावा में प्रेषित क्षति धनराशि 6036 लाख की अपेक्षा में 6036 लाख की सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की गई एवं सम्पूर्ण धनराशि किसानों में वितरित भी कर दी गयी। यह तो एक उदाहरण मात्र है।

इसी तरह के पक्षपात में किसानों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.04.2015 को संशोधित मानकों एवं दरों में दैवीय आपदा की वजह असामयिक मृत्यु पर मृतकों के परिवार को अहैतुक सहायता 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गयी थी, जिसे 4 लाख भारत सरकार एवं 3 लाख रू0 राज्य सरकार से देने का निर्देश किया गया था। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी लोक सभा क्षेत्र के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमौर, तहसील घाटमपुर के किसान शिवकुमार की मृत्यु दिनांक 07.04..2015 को हुई थी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी एवं आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के संबंध में दिनांक 03.05.2015 को जिलाधिकारी, कानपुर नगर से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था एवं मेरे द्वारा दिनांक 05.05.2015 को भी शून्यकाल में उक्त प्रकरण से अवगत कराया था। मृतक के परिवारजनों द्वारा कई बार अनुरोध के उपरान्त अभी तक उक्त मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई है। जिसके कारण मृतक के परिवारजन भी भूखों मरने की कगार पर है। इसी प्रकार

---

[*] Speech was laid on the Table.

विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बिठूर विधानसभा के विकास खण्ड बिधनू के ग्राम ओरछी के किसान श्री हाकिम सिंह की मृत्यु विद्युत करंट लगने के कारण हुई। आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु का मुआवजा भी प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित नहे किया गया है तथा अभी भी किसानों की सदमों से मौत हो रही है। उन्हें भी प्रशासन द्वारा स्वाभाविक मौत बताकर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। यह स्थिति मेरी लोक सभा के अलावा अन्य जनपदों की भी है।

मेरी लोक सभा क्षेत्र में किसानों को दी जा रही राहत धनराशि के आवंटन पर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा गोलमाल किया जा रही है। भारत सरकार द्वारा मुआवजा धनराशि डेढ़ गुना किए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश के किसानों को पुराने रेट 9000/-रूपए सिंचित एवं 4500/-रू0 असिंचित के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। उस पर किसी को भी एक समान धनराशि आवंटित नहे की जा रही है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बराबर भूमि के किसानों को अलग-अलग धनराशि की चेकों का वितरण किया जा रहा है।

जिन परिस्थितियों का सामना आज किसान कर रहा है, वह अत्यन्त विकट एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम सभी लोग किसानों के हितैषी होने का पुरजोर दावा तो करते हैं लेकिन इन सबके बावजूद किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान की है और जब किसान, हमारा अन्नदाता, ही खुशहाल नहीं रहेगा तो देश की तरक्की की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तय करना होगा कि जब अकाल पड़ता है, सूखा आता है, भूकम्प आता है या कोई अन्य दैवीय आपदा आती है, तो इन आपदाओं से किसानों की किस प्रकार रक्षा की जाये। ऐसी क्या व्यवस्था स्थापित की जाए कि इससे किसानों को कम से कम नुकसान हो। अगर आप सूखे पर विचार कर के लिए खड़े हैं तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण भी किसानों को सूखे का दंश झेलना पड़ता है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जो कि निचली नहर गंग के अंतिम छोर पर अवस्थित है जिसके कारण से पिछले कई दशकों से यह क्षेत्र नहरी सिंचाई से शून्य है, राजबहों, नहरों, बम्बों की सफाई न होने एवं पानी न आने के कारण भी किसानों के खेतों पर पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे जनपद कानपुर देहात के रूरा से वन्नाजारवा से निकलते हुए घुघुवा के पास से नोन नदी में मिलने वाला माइनर कई महीनों से पानी न आने के कारण सूखा पड़ा है। जिससे फसल सूख कर बर्बाद हो जाती है। इस संबंध में मैंने प्रदेश सरकार के विभागीय अधिकारियों को अपने लोक सभा क्षेत्र से संबंधित रजबहों, माइनरों, बम्बों एवं नहरों में सिल्ट सफाई न होने एवं पानी न होने के कारण किसानों की सूख रही फसल के संबंध में दिनांक 09.04.2015 एवं दिनांक 02.06.2015 के पत्रों के माध्यम से उक्त समस्या के निदान की अपेक्षा की थी, किन्तु प्रदेश सरकार के

अधिकारियों की उदासीनता के कारण समस्या जस की तस बनी रही। जनपद कानपुर देहात में यमुना नदी पर अमराहट पम्प कैनाल योजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, जिसका अभी तक मात्र एक चरण ही पूर्ण हो पाया है। उक्त कैनाल के चालू होने से जनपद कानपुर देहात के किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या का निदान हो सकता था किन्तु प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते उक्त योजना अभी जस की तस है। रजबहों एवं बम्बों तक में पानी नहीं है। नहर सिंचाई के बाद सिंचाई का जो दूसरा साधन है वह है बिजली, जिसकी आपूर्ति भी अत्यन्त दयनीय स्थिति में होने के कारण खेतों की सिंचाई हो पाना असंभव होता है। किसानों को समय पर बिजली न मिल पाने के कारण, चाहे वो निजी नलकूप हों या फिर राजकीय नलकूप सभी के सभी ठप्प पड़े हैं, किसानों को समय पर बिजली न के बराबर मिल पाती है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत केन्द्र सरकार पूरी तरह से सहयोग को तत्पर है किन्तु यह योजना अपने लक्ष्यों को पाने में क्यों विफल हो रही है, यह चिन्ता का विषय है जिन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है, वहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति नहीं है तथा अनेकानेक गांव ऐसे हैं जहां का विद्युतीकरण अभी होना है तथा समयावधि के बीतने के बाद भी इन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। पूरे प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की सख्त जरूरत है। इस बात के बावजूद कि संबंधित सांसद को इस व्यवस्था से सम्बद्ध किया गया है फिर भी प्रदेश के अधिकारियों के रवैये के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। पुनर्मूल्यांकन में विद्युतीकरण गांवों की परिभाषा, विद्युत आपूर्ति की समयावधि, फीडर सेपरेशन व ट्रांसफार्मर की क्षमता व गुणवत्ता तथा इसके क्रियान्वयन में शामिल एजेंसियों की भूमिका भी शामिल होनीचाहिए, जिससे कि सरकार की मंशा के अनुरूप कुछ हासिल किया जा सके।

[*] **डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड):** सदन में सूखे पर चर्चा हो और उसमें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग से और उस पर भी बीड जिले से होने के नाते अगर मैं अपनी आवाज न उठाऊं, तो यह केवल गैरजिम्मेदाराना ही नहीं होगा बल्कि यह चर्चा पूरी ही नहीं होगी ।

आज जिस जिले से बीड से मैं चुनकर संसद में आयी हूं, उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। मेरे जिले में 1403 गांव हैं और दुर्दशा देखिए कि 1403 गांवों में सूखा घोषित हो चुका है । यह समस्या केवल आज की नहीं लगातार चौथा साल हम सूखे का मुकाबला कर रह हैं । किस सरकार की क्या खामियां रहीं, कौन सी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसे न खत्म होने वाली बहस को मैं हवा नहीं देना चाहती ।

सदन में चर्चा इस पर हो कि अब क्या करना चाहिए? सृष्टि के चक्र को क्या हम अपने किसानों को इतना सबल नहीं बना सकते कि वे इस सूखे से सामना करने की लड़ाई में हार के अपनी जान न गवायें ।

आज मेरे चुनाव क्षेत्र में 1403 गांव हैं, जिसमें से हर एक गांव में सूखा घोषित हो चुका है। फसल की उत्पादकता 40 प्रतिशत से कम है । आज की तारीख में 800 टैंकर चल रहे हैं । आने वाले समय में स्थिति और गंभीर होगी । राहत के लिए एक बात जरूर है कि 350 करोड़ का फसल बीमा हमारे जिले में बंट चुका है, खरीफ की फसल के लिए और रबी का अब शुरू है । जिन लोगों ने यह आलोचना की थी कि बीमा राशि किसानों तक नहीं पहुंची, उनको यह बताना चाहती हूं कि जिला प्रशासन और हम जनता के प्रतिनिधि मिलकर इसके लिए प्रयास करें तो यह संभव है । सिर्फ बड़े-बड़े पैकेजेज की मांग करना या सरकार द्वारा उनकी घोषणा होना काफी नहीं है । उनकी जरूरत है । परन्तु एक डॉक्टर होने के नाते मैं Prevention is better then cure में सच्चा विश्वास रखती हूं और इंसान की जिन्दगी की जान की मेरे लिए बहुत अहमियत भी है । पैकेजेज दुखी परिवार के माली कष्ट थोड़ी मात्रा में दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य को वापिस नहीं ला सकते । अपने क्षेत्र का अनुभव ध्यान में रखते हुए मैं कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

जलयुक्त शिवार- इस योजना के चलते सारी नदियों-नालों को चौड़ा और गहरा करने का जो काम चल रहा है, वे बेहद ही उपयुक्त और एक पारदर्शी काम रहा है । राजस्थान से भी समिति आकर इस योजना की जानकारी ले चुके हैं । महाराष्ट्र सरकार की यह सबसे सफल और लोकप्रिय योजना रही है । अन्य राज्य इससे प्रेरणा लेकर अपने राज्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं ।

---

[*] Speech was laid on the Table.

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के चलते महाराष्ट्र में आई.डब्ल्यू.एम.पी. को बंद करने की चर्चा है । PMKSY यह एक बेहद ही उपयुक्त योजना है । इसके तहत हर खेत को पानी और Every drop more crop महाराष्ट्र में खेती का कुल क्षेत्र 17,386 हजार हैक्टेयर है जिसमें से सिंचाई क्षेत्र केवल 3000 और 14000 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बारीश के पानी पर निर्भर है ।

इन लक्ष्यों को सामने रखा गया है । इनकी पूर्ति तो महाराष्ट्र से शायद सूखे का निशान ही मिटा दे, पर कम से कम आने वाले 2 सालों तक आई.डब्ल्यू.एम.पी. को राज्य में बंद न किया जाये।

इस भीषण सूखे का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा में 100 दिनों से ज्यादा काम हो तो वह भी मनरेगा में शामिल करने का निर्णय लिया है । यह जो राशि उपलब्ध करवायी है उसको सूखा पीड़ित गांवों में ही विनियोग करने का निर्देश दिये जायें ।

महिला सबलीकरण- National Rural Livelihood Mission को सूखा प्रभावित क्षेत्र में Intensive Phase में चलाकर महिलाओं को घर में आर्थिक सहायता करने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि फसल को तबाह होने पर हमारे किसानों पर खुदकुशी करने की नौबत न आये ।

आसान, कृषक अनुकूल तथा आसानी से भुगतान योग्य ऋण योजनाएं लाना चाहिए। ऐसे कुछ मुद्दों पर ध्यान देकर जो पीड़ित किसान हैं, उनको हो चुके नुकसान का मुआवजा और आने वाली मुश्किलों का सामना करने की ताकत हम दे सकते हैं ।

अंत में इतना ही कहूंगी कि देश में हर मुंह को निवाला देने वाले अन्नदाता के घर में चूल्हा जलना चाहिए, न कि उसकी चिता ''जय जवान जय किसान'' को सिर्फ एक नारा बनाकर नहीं रखना है ।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मराठी भाषा में अपना भाषण देना चाहता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, we will call you next as the interpreter is not there.

श्री प्रतापराव जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में अपना भाषण दे देता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay.

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, हमारे देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन आज देश के किसानों की हालत ऐसी है कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश में रेल के लिए बजट लाया जाता है। यहां सबसे ज्यादा जनता, 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस देश में कृषि के लिए अलग से बजट लाया जाता है ताकि किसानों को राहत मिल सके।

महोदय, मुझ से पहले कई साथियों ने कहा कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। आज कृषि की हालत बहुत बदतर है। यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, हमारी सरकार ने पिछले साल सूखे की वजह से किसानों के लिए कर्ज के पुनर्गठन का एलान किया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जांच कीजिए क्योंकि महाराष्ट्र के 50 परसेंट किसानों के कर्जे का पुनर्गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो भी पुनर्गठन हुआ, समय पर नहीं हुआ। किसान उधार में बीज लाए, खाद लाए, बुआई की, व्यापारियों को ज्यादा पैसे दिए और उसके बाद दो-तीन महीने बाद बैंक वालों ने मर्जी से कर्ज का पुनर्गठन किया जो किसानों के हित में नहीं था और किसानों को इससे कुछ भी फायदा नहीं मिला।

महोदय, किसानों की एक मांग रहती है कि फसल के खर्चे पर आधारित दाम मिले। लेकिन क्या होता है? अभी मैं आपके सामने दाल का उदाहरण रखता हूं। हमारे देश में दाल की पैदावार कम हुई है इसलिए सरकार और सबको मालूम था कि इस साल दाल के भाव थोड़े बढ़ेंगे। इस कारण बड़े व्यापारियों ने स्टाक कर लिया, तूहर की दाल के भाव बढ़ गए। तब हमारी सरकार जागी और अन्य देशों से दाल का आयात किया। दाल क्या भाव मिली? दाल के आयात के कारण 12000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा दाम हो गया। किसान जो तूहर का उत्पादन करते हैं, उन्हें कितना दाम दे रहे हैं? अगर उनको उत्पाद का अच्छा भाव नहीं मिलेगा तो किसान कैसे उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा? आज की स्थिति ऐसी है कि तूहर का दाम 8000-8500 रुपए प्रति क्विंटल है। अब आयात की गई दाल भी पोर्ट पर आना शुरु हो गई है। आयात की गई दाल चार या पांच लाख टन है, वह भी देश में आएगी और अगर इधर किसानों की फसल का बाजार में आने का समय एक ही होगा तो किसान को उत्पाद का सही दाम नहीं मिलेगा। अगर किसान

को सही दाम नहीं मिला तो अगले साल बुआई कम होगी, इस कारण अगले साल भी दाल का दाम बढ़ेगा और सरकार को दाल का आयात करना पड़ेगा।

महोदय, बहुत सालों से बीमा योजना किसानों के लिए है, फसल के लिए है। फसल बीमा का फायदा किसानों को कितना होता है? किसान जितनी इंस्टालमेंट भरते हैं उतना भी पैसा बीमा कंपनी किसानों को नहीं देती है। सरकार से ज्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं, किसानों से पैसा ऐंठ लेते हैं और जब किसानों को देने का समय आता है तो सब बीमा कंपनियां मनमर्जी से उत्पादन का एवरेज निकालकर बीमा राशि समय पर नहीं देती हैं।

महोदय, महाराष्ट्र में जो भी किसान आत्महत्या करता है, महाराष्ट्र सरकार उसके लिए एक लाख रुपए का मुआवजा देती है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर दारु पीकर कोई मरता है तो उसके घर के लोगों को दो-तीन लाख रुपए की मदद दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने भी चार लाख रुपए की मदद की है। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो बहुत नियम लगाए जाते हैं, क्या उसके ऊपर कर्जा है, क्या बैंक ने नोटिस भेजा है? महोदय, किसानों के बारे में सोचते समय जो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वह कलैक्टर हो, चाहे वह तहसीलदार हो, या जिले की कमेटी हो, इतनी बारीकी से क्यों देखते हैं? इसके बाद जब भी किसी कर्मचारी के लिए कानून बना है, उनको भी बहुत सारी सहूलियतें हमने दीं, फिर उनको सहूलियतें देते समय इतनी बारीकी से क्यों नहीं देखा जाता?

मैं उदाहरण के तौर पर यहां पर बताना चाहूंगा कि कोई कर्मचारी यदि ऑन ड्यूटी मर जाता है तो उसके घर के किसी लड़के या लड़की को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जाती है। क्या यह कभी देखा जाता है कि वह दारू पीकर मर गया या कैसे मरा? देश में कई कर्मचारी हैं, जो अपने मुख्यालय पर नहीं रहें तो भी वे घर-भाड़ा वसूल करते हैं।...(व्यवधान) जो कर्मचारी यहां पर मेडिकल बिल्स लेते हैं, तो पांच लाख रुपये के बिल भी ले जाते हैं. मैं कृषि मंत्री जी से मांग करूंगा कि किसी भी कारण से अगर किसी भी किसान के घर में आत्महत्या किसी काम करने वाले की या प्रमुख व्यक्ति की होती है तो वहां पर मुआवजा या मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए।

हम मनरेगा की योजना लेकर आए। मनरेगा का अर्थ क्या है? मनरेगा का अर्थ यह है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं. उनको कम से कम सौ दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी बताना चाहूंगा कि इस देश में अगर अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देने वाला अगर कोई होगा तो वह किसान है, खेती है, तो फिर क्यों न हम इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ें कि अगर कोई मजदूर किसान

के खेत में काम करे तो भी सौ दिन की मजदूरी मनरेगा के माध्यम से किसानों को इंवाल्व करके मजदूरों को अगर हम देंगे, उससे भी किसानों को लाभ होगा, राष्ट्रीय उत्पाद भी बढ़ेगा और अनस्किल्ड लोगों को काम देने की जो हमारी सोच है, इससे उनको मदद मिलेगी।

अभी मैं एक ही मांग करूंगा कि हमने बहुत सारे पैकेज दिए। पिछली यूपीए की सरकार के समय में भी महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। उन्होंने पैकेज दिया। पैकेज यह था कि जिनके खेत में बिजली नहीं, उनको बिजली की मोटर दी गई। जिनके खेत में बावड़ी नहीं, कुंआ नहीं, उनको इंजन दिया गया। जिसके पास बैल नहीं, उनको खेती के औजार दिये गये और फिर लोगों ने भी उनको जमा किया और बाजार में बेच दिये। मैं यहां पर यह मांग करूंगा कि अभी महाराष्ट्र में हमारे शिव सेना के उद्धव ठाकरे साहब ने हर जिले में हर किसान के घर में जाकर जिस जिस किसान ने आत्महत्या की है, उस किसान को सीधे मदद देने का काम किया और आज भी हमारे नेता हर महीने एक जिले में मदद देने का काम कर रहे हैं। उनकी भी यही मांग है कि अगर किसानों को सही राहत देनी है तो एक बार किसानों को सौ प्रतिशत कर्जा मुक्ति दो। कर्जा माफी नहीं। माफी तो उसे दी जाती है जो गुनहगार होता है। किसानों ने कर्जा लिया है, लेकिन उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है।

किसानों ने कर्जा लिया लेकिन वहां पर नैसर्गिक आपत्ति आ गई। कभी सूखा पड़ गया या कभी ओले गिर गये, कभी ज्यादा बरसात हो गई। प्राकृतिक आपत्ति के कारण से किसान अपना कर्जा नहीं चुका सके। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है कि किसानों को सौ प्रतिशत यदि हम कर्जे से मुक्ति दे देंगे तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पूरे देश में सूखे की जो गंभीर स्थिति पर चर्चा हो रही है और सदन में किसानों के इस विपरीत समय पर जो चर्चा हो रही है, वह सदन की और इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचय देता है। मैं आपको और पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सदन की इस सार्थक चर्चा से आने वाले समय में इन कठिन परिस्थितियों में हम किसानों के हितों की बात को जमीन तक पहुंचा पाएंगे।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र राजनंदगांव और छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति को बयान करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। महोदय, हर वर्ष नवम्बर और दिसम्बर माह में जब धान की कटाई का समय आता था, तब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में उत्सव और त्योहार का माहौल हो जाता था। हर गांव में किसानों के चेहरे पर खुशी दिखती थी लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा सूखा इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में पड़ा है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 13 तहसीले हैं और 13 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 27 जिलों में से 25 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और 146 तहसीलों में से 117 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में जा कर जमीनी दौरा कर चुकी है और राज्य सरकार का सूखा राहत का प्रस्ताव लगभग 6034 करोड़ रुपयों का आदरणीय मंत्री जी के पास पहुंच चुका है। यह स्थिति पिछले 12 सालों में पहली बार आई है। हालांकि जब छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हुआ था, तब बहुत विपरीत परिस्थितियां पूरे प्रदेश में थीं। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत मात्र 21 था जो आज बढ़कर 33 प्रतिशत हो चुका है लेकिन उसके बाद भी हम नेशनल एवरेज जो कि 45 प्रतिशत है, उससे काफी पीछे हैं।

मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए जिनकी सिंचाई का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाएं। इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ में पिछले 12 सालों में प्रयास हुआ है कि खेती की लागत कम की जाए। खेती की मेहनत का उचित मूल्य किसानों को मिल सके और इसके लिए लगातार कई प्रयास हुए हैं। वर्ष 2000 में किसानों को 13 प्रतिशत की ब्याज पर ऋण दिया जाता था और आज हम जीरो प्रतिशत पर किसानों को ऋण दे रहे हैं। वर्ष 2003 का आंकड़ा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। किसानों को कुल ऋण का जो वितरण हुआ करता था, वह 250 करोड़ रुपयों के आस-पास का आंकड़ा था जो आज बढ़कर 2900 करोड़ रुपयों के आस-पास पहुंच चुका है। जीरो परसेंट ब्याज पर 2900 करोड़ रुपयों का ऋण हम आज किसानों को दे रहे हैं। इसके साथ-साथ 4,75,000 किसानों को हम वर्ष 2000 में लोन देते थे लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 13 लाख हो चुकी है। इन सभी आंकड़ों पर ध्यान

डालने के बाद भी इस बार जो सूखा आया है, उसने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहद चोट पहुंचाई है इसलिए मैं केंद्र सरकार से, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी राज्यों की ओर से और केंद्रीय दल की रिपोर्ट के अनुसार सूखा राहत राशि की मांग की गई है, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के किसानों को मुहैया कराई जाए।

महोदय, छत्तीसगढ़ 42 प्रतिशत वन सम्पदा से आच्छादित क्षेत्र है। इस वजह से सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं पर्यावरण और फारेस्ट क्लीयरेंस की वजह से लम्बित हैं। वे सभी राज्य जहां ज्यादा जंगल हैं, वहां सिंचाई की परियोजनाओं के विस्तार में पिछले दशकों में बहुत कमी आई है। इसके साथ-साथ मेरी लोकसभा का क्षेत्र छायावृष्टि क्षेत्र के अंदर आता है और पूरे देश के अनुपात में औसत वर्षा सामान्य से हमेशा कम रहती है। मेरा निवेदन है कि पूरे देश के छायावृष्टि के क्षेत्र चिह्नित किए जाएं और उनके लिए हम सिंचाई की एक वृहद परियोजना बनाएं ताकि सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को आगे ले जा सकें। इसके साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्र कृषि आधारित हर विकास खंड में उपस्थित होने चाहिए जिससे कि किसानों को कृषि की मार्डन टेक्नोलोजी को समझने में और जमीन पर उतारने में एक्सटेंशन में मदद मिल सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती से जुड़ी है लेकिन आज भी कृषि अनुसंधान को स्टेट सूची में रखा गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि को कृषि अनुसंधान को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।

मैं अंत में छत्तीसगढ़ के किसानों की संवेदना को व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ी की दो पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा।

" सूखा लेतै मत डर संगी, सूखा लेतै मत डर संगी
हर किसान हमर मितान हय, जेन माटी के पांव पखारो
जेन माटी के पांव पखारो, उही भुइयां भगवान हय।"

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy Speaker Sir, the drought situation in the country is very grave and never in the last 15 years have we seen such kind of drought in our country. I propose to the Government that it is very important and it is the need of the hour that the hon. Prime Minister calls a meeting of all the seven States who are suffering an unprecedented drought. That meeting has to be chaired immediately by the Prime Minister if he cannot visit these drought-affected States.

The second point is that in Uttar Pradesh, especially in Bundelkhand, we have seen that because of severe drought, poor people are consuming *rotis* made of grass and *sabzis* made of wheat. What we are seeing is that the ruling party over there is celebrating birthday parties and eating cakes and the poor people are force to eat *rotis* made of grass and *sabzis* made of wheat. It is really shameful. This is not said by me but it is a survey done by Shri Yogendra Yadav under Swaraj Abhiyan which says that out of seven districts in Uttar Pradesh, 80 per cent of the households have decreased consumption of *daal* and milk for the small children. This is an emergency situation and I hope that the Government will respond. … (*Interruptions*) I also want to ask the hon. Minister of Agriculture to please find out if this is a man-made situation in Bundelkhand. A special package of Rs 7,266 crore was also given as drought relief in 2009. What has happened to that? Where has that money gone? It is the Government of India money.

The next point is regarding MGNREGA. If a State declares a drought, under MGNREGA, one is entitled for 150 days of work. But you can find out that not even 100 days' work is given in any State. I also want to know why this Government has brought a bad name to the legacy of Shri Vajpayee. This Government has phased out the Antyodaya scheme. Specially when States are facing drought, you have issued executive order whereby no new Antyodaya Card can be given, you have made Aadhar mandatory and you have freezed the whole coverage. Can you relax that? Your executive order was issued on March 28 by

the Department of Food and Public Distribution. Please amend it or remove it because things are very bad on the ground.

Now I come to my home State of Telangana. Already my State has spent Rs 118 crore under SDRF. That is not enough but that is the most the State Government can do. They have declared 231 mandals as drought-affected and in the last 20 years Telangana has faced 18 years of drought. That is why the State Government is asking the Central Government for Rs 2,514 crore. The Government has Rs 5,690 crore under NDRF. It is high time that Telangana is given its rightful share. My State is demanding Rs 2,514 and this is very important because Rs 134 crore is required for drinking water for Hyderabad city alone.

Lastly, I come to Maharashtra. About 15,000 villages have been declared as drought-affected. In Marathwada, more than 1,500 farmers have committed suicide, the highest being in Beed, Nanded, Aurangabad and other places. I do not know what the Government is doing. Why can you not call the national banks and tell them, 'For God's sake, give them new loans, and restructure the new loans.' If you have the power, please waive off the loans because 1500 farmers have committed suicide in Marathwada alone. With the beef ban imposed by the State Government, the poor farmer cannot even go and sell his cattle now and even if he wants to sell it, no one will buy it. Can this Government also take a policy decision that they will not allow any more sugar mills in the dry area of Marathwada? It is because those sugar mills have taken away all the ground water. There is no drinking water. There is severe situation in Maharashtra and that is why Rs 4,000 crore has been demanded by Maharashtra Government. Let them have it because under NDRF you have Rs 5,690 crore. You have the money, you have the finances. There is no point in standing here and saying, 'whatever is your need, we will give you.'

It is high time the Prime Minister went there, visited these States, called a meeting in Delhi and told the whole nation what this Government proposed to do. It is a very emergency situation; it is very grave. I hope the Government responds.

Thank you.

*श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): नियम 193 के अन्तर्गत सूखे के संदर्भ में हुई चर्चा के विषय में लिखित में आपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ । सूखा भारत के लिए विकट समस्या बन गया है । मैंने विभिन्न विद्वान सदस्यों को सुना हे अनेक सदस्यों ने बहुत ही शोधपूर्वक सार्थक विचार प्रस्तुत किये हैं । विषय यह है कि समस्या के कारण और निवारण दोनों ही विषयों पर गंभीरता से सोचना आवश्यक है । इस समस्या में प्रमुख कारण है जलवायु प्रदूषण, धीरे-धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है । जो सर्दी नवंबर में होनी थी वह दिसम्बर अन्त में आ रही है इसी प्रकार गर्मी व वर्षा की स्थिति है । देश के अनेक प्रान्त इस समस्या से जूझ रहे हैं । देश की वर्तमान मोदी सरकार इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है । परंतु इस विषय में त्वरित समाधान के साथ-साथ स्थाई समाधान पर विचार करना पड़ेगा ।

मैं राजस्थान के सीकर क्षेत्र से सांसद हूँ । राजस्थान प्रान्त का हर जिला सूखे की चपेट में रहता हे । राजस्थान में सदैव मानसून का अभाव रहता है । विशेष रूप से अकाल के समय पशुधन का 10 % अकेले राजस्थान में है दिल्ली में भी दूध राजस्थान से ही आता है परंतु अकाल के समय किसान के लिए पशुपालन एक समस्या बन जाती है । जिस पशु से उसको रोजगार मिलता था वहीं पशु किसान के लिए अभिशाप बन जाता है । अतः सूखे की समस्या से निपटे बिना किसान को बचाना कठिन है और यदि किसान नहीं बचा तो कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि जनता के लिए अन्न, दूध, फल व सब्जियां सभी किसान देता है । यह समस्या मात्र किसान की समस्या नहीं है यह राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है । अतः इस समस्या से निपटने हेतु मेरे कुछ सुझाव हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. पर्याप्त वर्षा हेतु-जलवायु को संतुलित करना। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करना । वृक्षों के दोहन को बन्द करना ।
2. प्लास्टिक की थैलियों को बन्द करना ।
3. प्राचीन भारतीय परंपरा यज्ञ को प्रोत्साहन करना, यज्ञ पर अनुसंधान करना ।
4. उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक यंत्र लगाना ।
5. नदियों के पानी को रोककर उससे तालाबों में पानी संकलित करना ।
6. नदियों को जोड़कर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी को ले जाना ।
7. समय-समय पर किसानों की स्थिति पर विचार करना । इस हेतु आयोग का गठन हो।
8. अकाल की समस्या के समाधान हेतु एक स्थाई समिति या आयोग का गठन करना ।

---

* Speech was laid on the Table.

इसके अतिरिक्त राजस्थान के विषय में कहना चाहूंगा कि इस प्रान्त हेतु विशेष योजना बने तथा इस प्रान्त हेतु पेयजल तथा सिंचाई हेतु विशेष सहायता दी जानी चाहिये । इस प्रान्त में पंजाब की नदियां, सतलज, रावी व व्यास नदी के पानी को लाने की योजना बनाई जाये । वर्षा ऋतु के समय इन नदियों का पानी बहकर पाकिस्तान जाता है बाढ़ की स्थिति में भारत सरकार को पाकिस्तान की सरकार को सहायता देनी हाती है ।

अतः इस पानी को रोककर राजस्थान में लाया जाए । इसके लिए पंजाब के हरिके हैड से नदी खोदकर लाई जाए तथा पश्चिमि राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुन, नागौर, जयपुर ग्रामीण, इत्यादि जिलों को पानी दिया जा सकता है । अतः मेरा भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, व माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए तथा राजस्थान प्रान्त हेतु एक विशेष योजना बनाई जाए । अकेला राजस्थान ही देश की खाद्यान्न व दूध की समस्या के समाधान हेतु सक्षम है । अतः देश हित में विशेष योजना की आवश्यकता है ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का 25 प्रतिशत से ज्यादा भूभाग सूखे की भयंकर चपेट में है। लगभग 300 से ज्यादा जिले, 18 से ज्यादा राज्य और लगभग 66 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है, जिसकी चर्चा अभी ओवैसी जी कर रहे थे। वहां पर लगातार कई वर्षों से सूखे के कारण हालात बहुत खराब हो गए हैं। लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस वर्ष फिर सूखा पड़ने से न तो खरीफ की फसल हुई है और न ही रबी की बुआई की गयी है। केन्द्र की एक टीम भी गयी थी जो हालात का जायजा लेकर आई है। प्रदेश सरकार ने सूखे की रिपोर्ट देर से ही सही, केन्द्र सरकार को भेज दी है। प्रदेश सरकार ने भी इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई राहत कार्य नहीं शुरू कराए गए हैं, न ही राहत राशि जारी की गयी है। लगातार पिछले कई वर्षों से सूखे के कारण, पिछले वर्ष पड़े सूखे और फिर ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल नष्ट हो गयी थी, जिसका मुआवजा भी केन्द्र ने डेढ़ गुना बढ़ाकर 9000 से 13500 रुपये प्रति हेक्टेअर कर दिया था, लेकिन अभी भी हमारे यहां केवल 9000 रूपये प्रति हेक्टेअर ही बांटा गया है और उसमें भी आधे से अधिक लोग अभी भी बाकी हैं। बड़ी जोत वालों को भी दो हेक्टेअर तक का मुआवजा न देकर, केवल 9000 रुपये ही दिए गए हैं, बाकी सभी लोग अभी बाकी हैं। सबसे खराब हालत बंटाईदारों की है, जो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बीमा कंपनियों ने अभी तक फसल बीमा का पैसा नहीं दिया है और आधे से ज्यादा लोगों का फसल बीमा का पैसा बाकी है।

इस वर्ष खरीफ की फसल न होने से किसान परेशान हो गया है, वह आत्महत्या करने पर मजबूर है। रबी की फसल की भी आस अब तक बुआई न होने से नहीं रह गयी है। क्षेत्र में शादी-ब्याह तक किसानों ने रोक दिया है। गांवों में ताले पड़े हैं, पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र से करीब 62 लाख से ज्यादा लोग पिछले दस वर्षों में पलायन कर चुके हैं। केवल मेरे क्षेत्र बांदा से ही 7,37,920 किसान पलायन कर चुके हैं। मेरे दूसरे जनपद, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, चित्रकूट से लगभग 3,44,801 लोग पलायन कर चुके है। यही हाल महोबा जनपद का है जहां से 2,97,547 लोग पलायन कर चुके हैं। हमीरपुर से 4,17,489 लोग और उरई-जालौन से 5,38,147 लोग पलायन कर चुके हैं। झांसी से 5,58,377 लोग और ललितपुर से 3,81,316 लोग पलायन कर चुके हैं। आप अगर वहां जाएंगे तो आधे से ज्यादा घरों में ताले लटकते मिलेंगे। पिछले दस वर्षों में 4000 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। घरों में भोजन की व्यवस्था न होने के कारण बाहर दिहाड़ी के लिए गए लोग, यहां तक कि अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें वोट डालने के लिए भी नहीं आ पाए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र

की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, इसके लिए अलग से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। यह बहुत ही जरूरी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की परिस्थिति बहुत ही विषम है। समिति लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपाय सुझाए तथा वर्तमान हालात से लोगों को उबारने हेतु कारगर उपाय किए जाएं। इस क्षेत्र में कम पानी की फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाए, सभी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, परम्परागत जल स्रोतों एवं सिंचाई साधनों को बढ़ावा देने की विशेष योजनाएं लागू की जाएं। खेत का पानी खेत में रोकने और गांव का पानी गांव में रोकने हेतु योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन शीघ्र कराया जाए। ग्रामीण आधारित उद्योगों की शीघ्र स्थापना कराने हेतु व्यवस्था की जाए। किसानों को सीधे सहायता उनके खातों में भेजी जाए, जो कि प्रदेश में रुक जाती है, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि साढ़े 13 में से नौ ही दिए हैं। किसान ऋण कार्ड के खातों, लोन के ब्याज यथाशीघ्र माफ कर दिए जाएं, यह मेरा अनुरोध है। किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। प्रस्तावित नई गारंटीड फसल बीमा योजना है, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन कृषि राजनाथ सिंह जी के समय शुरू होने वाली थी, उसे यथाशीघ्र लागू किया जाए।

बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए, उसे यहां की सब समस्याओं के समाधान हेतु बजट और अधिकार दिए जाएं। इस क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा हेतु एक उच्च स्तरीय संस्थान खोला जाए, जो ऐसे सूखे की विषम स्थितियों में कृत्रिम वर्षा करा सके। क्षेत्र की नदियों से अवैध रेत खनन को रोका जाए। अवैध वन कटाई को रोकने के उपाय किए जाएं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए और चरागाहों को कब्जों से मुक्त कराया जाए।

पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को बिजली कटौती से मुक्त किया जाए और वहां 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान निजी साधनों से सिंचाई कर जीने के लायक फसल पैदा कर सके। पेयजल व्यवस्था के समाधान हेतु क्षेत्र के हैंडपम्पों को रीबोर कराकर शीघ्र उपाय किए जाएं। साथ ही नए गहरे हैंडपम्प लगाकर पेयजल समस्या से निजात दिलाई जाए।

प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में बुंदेलखंड के सभी जनपदों को शामिल कर इसी वर्ष प्रथम स्टेज पर ही वहां हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था हेतु पहल की जाए। यमुना आदि नदियों में जहां अभी जल उपलब्ध है, वहां नई लिफ्ट योजना लगाकर सिंचाई एवम् पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए एक कारगर योजना बनाई जाए। यमुना पर लिफ्ट योजनाओं की और अन्य नदियों में जहां जल पर्याप्त है, क्षमता बढ़ाई जाए और पूरे बुंदेलखंड की सूखे की समस्या के तुरंत समाधान हेतु सरकार से निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

[*] SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): I come from the western Rajasthan where drought or famine is a general phenomenon. We face the famine situation for four years out of five years.

I am surprised to know that this time that there is no district figures in the list of drought effected district of the country. The main reason behind it is that of the initial stage the rainfall was so-so but after 15th of August, there was no rainfall and hence the crops could not reap and almost 50% to 65% crops damaged and farmers suffered because of it. This matter was raised in State Assembly by the MLAs and reports were called by the Hon'ble Chief Minister. According to the reports from Collector, 19 districts are under drought situation where 50% and above crops were damaged. I would like to request hon'ble Agriculture Minister to kindly consider the report of the Government of Rajasthan and provided compensation to the poor farmers.

I would like to thank our Central Government and Hon'ble Prime Minister sir for launching good schemes for water conservation in the country.

1. one drop more crop.
2. 60% expenditure of MNREGA have been given for water conservation and others under Agriculture.
3. PMSY- Pradhan Mantri Sinchar Yojana is the best scheme for providing water to every field.
4. Restoring Irrigation Infrastructure by desilting the canals etc.

I would like to request the Central Government to implement the following short term and immediate measures to save the farmers.

1. By giving compensation as early as possible.
2. Diesel Subsidy
3. Stay on repayment of loans and that too on interest free for one year.

---

[*] Speech was laid on the Table.

4. Interest free loan to K.C.C. holder up to 1.5 lakh rupees.
5. Subsidies on sprinklers and solar pumping system.
6. Re-survey of dark zone.
7. New crop Insurance policy should be brought.

Long Term Policy requires the following:

1. Linking of rivers for water to those areas which does not have water.
2. Water conservation.
3. Artificial rainfall.
4. construction of new reservoir.
5. Studies on Al-Nino which is the major cause of weak monsoon.
6. Implementation of Report of Swaminathan Committee.

In the last, I would like to request the Hon'ble Agriculture Minister for immediate action for the followings:-

1. Compensation.
2. Temporary employment.
3. Arrangement of fodder.
4. Providing potable water to the public of famine affected areas.
5. Provide subsidized wheat, rice and pulses to the farmers.

I am highly thankful to your honour for providing me the time to participate in this debate on "Drought Situation in India". At the same time, I would like to welcome the decisions of our Prime Minister Shri Narenderji Modi for increasing the 50% compensation under NDRF and SDRF and decreasing the percentage of damage limit i.e. 50% to 33%. It is a historic decision of our Government.

***SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER) :** The farmers, throughout the country are facing a serious problem of heavy rainfall in few areas but at the same time drought conditions in some parts of the country. At some places heavy downpour badly affected the crops but in some areas there are drought conditions due to lack of adequate rainfall. In my State of Maharashtra, the percentage of agriculture produce is below 50% in the total 14708 rural areas. Moreover, the Kharip crops were also destroyed due to no rainfall since the month of July. In 15745 villages of Maharashtra, Government has declared drought and it has affected 53 lac hectare of cultivable land. Last year, farmers of Maharashtra were concerned about the overall situation but this year they have landed in trouble due to heavy as well as scanty rainfall.

To get higher yields, the farmers throughout India have been using chemical fertilizers excessively and hence the fertility of the soil has been compromised and it is decreasing day by day. Due to excessive use of chemical the natural atmosphere is affected and even normal seasonal cycle is also disturbed. It has brought no prosperity to the farmers but on the contrary our atmosphere is affected and polluted badly. Today, we are witnessing the side effects of it.

I think, the subsidy given for the chemical fertilzers is partly responsible for its excessive usage. Farmers do not get this kind of handsome subsidy on the organic fertilizers and it is also not readily available in the market at cheaper rates. Hence, the farmers use it excessively which lead to harming our natural resources. We can see, it has disturbed our seasonal cycle and also has resulted to climate change. Usage of organic fertilizers would not bring instant results but we will definitely see the difference in the next 3 to 4 years. A concrete change would be visible only after 8 to 10 years. Due to this disburbed seasonal cycle, we are witnessing irregular and unpredictable climate. We should encourage farmers for maximum use of organic manure. Simultaneously, we should focus on teaching

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

them the latest crop and cultivation techniques along with water usage and irrigation technologies. That would also help to some extent. Providing soil health card to farmers is a welcome step and I would like to thank the Government from the bottom of my heart. It would help the farmers in crop and water management which is turn would be helpful in encountering this climate change.

Government of Maharashtra is implementing different schemes through Department of agriculture and other departments. 'Jalyukta Shivar' is one of them which has received a massive support from people and it has also enhanced the availability of water. It has brought some positive changes in climate too. Through the scheme like NRHM, we can promote afforestration and by conservation of trees, we can slow down the process of climate change and that would also help to check pollution indirectly.

Our entire nation is embracing newer technology but at the same time we are neglecting our natural resources. We have to make a balance between them. To check and control the problems of flood and drought, we should take it as a mission. A committee comprising agriculture scientists, technologists and expert farmers should be constituted and on the basis of the recommendations made by them we should formulate a policy to take some concrete measures. Today, we can see the drastic changes in the atmosphere and climate and it has caused adverse effects on agriculture produce. To overcome this, wise use of water is essential. Rain-water harvesting, water conservation through ponds, lakes and micro irrigation and other special campaigns and programmes should be implemented extensively.

State and Central Government have extended their helping hand to the drought affected farmers. State Government has also paid the annual premiums of Rs.12/- of all the farmers under Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana. Every state has different method of assessment of drought affected area or value fixation which is usually decided within a fixed time. Hence, I would like to request the

Government through you that all the states should declare their facts and figures regarding the drought conditions to enable the Central Government to help them on time.

All the States have taken many such initiatives to help the farmers. But for fighting the climate changes, everybody should come forward to take responsibility to deal with this menace. Do not take it as a problem but as a chance to bring in some changes. A joint committee of states should take stock of the situation and also examine the various relief and assistance packages and programmes formulated by different State Governments. A comprehensive policy should be made in this respect to take some futuristic steps.

*__SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI)__ : River linking and cloud seeding are two essential technologies that the government of India should consider given the frequencies at which we face either flooding or droughts. River linking is the process by which two or more rivers are linked by creating a network of manually created canals and providing land areas that otherwise do not have river water access. Whereas cloud seeding is a form of weather modification used for changing the amount of precipitation that falls from clouds.

In India the rainfall over the country is primarily orographic. The summer monsoon accounts for more than 85 per cent of the precipitation. The uncertainty of occurrence of rainfall marked by prolonged dry spells and fluctuations in seasonal and annual rainfalls is a serious problem for the country.

Countries such as Japan and Brazil excessively use cloud seeding technologies for irrigation of crops where as country like US and UK have created a well connected inland water link.

Given the background that large states such as Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, coasts of Tamil Nadu and Kerala and the North Eastern Regions are all prone to flooding and droughts, such technologies would help in resolving the current state of affairs.

In India, roughly 40 million hectare of land is prone to flooding, whereas droughts have led to major famine across the country. By engaging in developing these two technologies, we will be successful in gauging safe river water levels in flood prone areas and divert the excessive water across water links to drought prone areas.

I, therefore, humbly request the government to actively pursue the two technologies and constitute a board to identify the drought and flood prone areas and then map the possible water links to balance the areas with either of the two extremities.

---

* Speech was laid on the Table.

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :** ऐसा देखा गया है कि गुजरात के लगभग तीन वर्षों में एक बार सूखा पड़ता है जबकि राजस्थान, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में यदि हम पिछले पांच वर्षों की बात करें तो लगभग प्रत्येक दो वर्षों में एक बार सूखा पड़ता है। उपरोक्त राज्यों मे सूखे का मुख्य कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून में बारिश होना। लगभग 75 प्रतिशत कम वर्षा होने के कारण इन राज्यों में सूखे ने एक भयावह समस्या का रूप ले लिया है।

गुजरात सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2012 में कम बारिश हुई और वर्ष 2015 में यह बारिश वर्ष 2012 की तुलना में और भी कम हुई है। वर्ष 2014 में कम बारिश के कारण गुजरात के कच्छ तथा उत्तर गुजरात के कुछ क्षेत्र भी मुख्यतः सूखे से प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात तथा सेंट्रल गुजरात में कम वर्षा के कारण कई क्षेत्रे सूखे से प्रभावित रहे।

मैं केन्द सरकार से आग्रह करता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के अंतर्गत सूखा नियंत्रण केन्द्र हर एक राज्य में स्थापित किए जाएं जो कि सूखा पड़ने की संभावनाओं संबंधित और उससे निपटने के उपाय राज्यों तथा राज्य के किसानों के समक्ष रखें। इसके दूसरे चरण में इस प्रकार के केन्द्र राज्य के हर एक जिले में, जिनमें सूखा पड़ने की संभावना हो, खोले जाएं, जिससे किसानों तथा राज्यों की आर्थिक हानि को रोका जा सके। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। इसे कृषकों का देश कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों में हजारों-हजार किसानों ने आत्महत्या की। क्यूं आज आजादी के 66 सालों बाद भी किसान की स्थिति वहीं की वहीं है। हम हरेक सत्र में सूखे और किसानो के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आज किसान जो फसल उगाता है, उसकी लागत मूल्य नहीं मिलता है। आज अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कॉटन की खेती होती है, पूरे देश में जो कॉटन होती है, उसका 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले गुजरात उत्पादन करता है। लेकिन आज उसका एमएसपी बहुत कम है। इसमें किसान को घाटा होता है, तो कैसे वह किसान जिन्दा रहेगा। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि एमएसपी को बढ़ाया जाए।

* Speech was laid on the Table.

*श्री संजय धोत्रे (अकोला) : गत 3 वर्षों से सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी तूफान कई दिनों तक वर्षा न होना और एक ही समय ज्यादा बारीस होना इस तरह की आपदा का सामना हमारा किसान कर रहा है । इसके पूर्व की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की हालत पहले ही बहुत गंभीर थी । कांग्रेस सरकार कर्ज माफी का ढोल पीटती रही । इस कर्ज माफी का फायदा किसानों को बिल्कुल नहीं हुआ । इसका लाभ सिर्फ बांकी को हुआ । कांग्रेस सरकार ने किसानों को कुपोषित और कमजोर किया और कर्ज माफी जैसी बेकार दवा दी ।

देश के किसानों की हालत बहुत ही गंभीर और दयनीय है वह पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, किसानों की आत्महत्यायें बढ़ रही है । कोई भी व्यक्ति निराश होता कोई उम्मीद नहीं बचती तब आत्महत्या करने पर मजबूर होता । मेरे क्षेत्र में विदर्भ में सबसे ज्यादा आत्महत्यायें हुई और करीब करीब रोज 2-3 आत्महत्यों हो रही इसका कारण गत 3 वर्षों से औसतन उत्पाद के सिर्फ 10 % से 50 % फसल का उत्पाद होना । अब ऐसे हालात पैदा हुये कि उसका गुजारा भी नहीं हो सकता । बच्चें की पढ़ाई किताबों के लिए पैसे नहीं खेती के लागत के लिए पैसे नहीं 15 दिन पहले मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक किसान के बेटे ने किताबें खरीदने के लिये पैसे नहीं इसलिये आत्महत्या की ।

विदर्भ की प्रमुख फसल कपास, सोयाबीन और तुअर है । कपास के दाम पिछले दस साल पहले 4000 से 5000 रही या कभी तो उससे भी कम दाम किसानों को मिल रहे हैं ।

सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा वह किसान है जहां ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वह है और यही किसान हमारी अन्तसुरक्षा पूरी करता है । इसकी हालत बहुत गंभीर है, क्रिटिकल है ।

हमें देश का विकास करना है देश को मजबूत बनाना है तो किसानों को मजबूत सशक्त बनाना होगा । किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है किसानों को सुरक्षा होगी तो ही खाद्य सुरक्षा होगी ।

इसके लिए कुछ तत्कालीन और दीर्घकालीन उपाय और योजनाए बनानी होगी और पुरानी योजनायों जिसके कारण किसान का नुकसान हुआ उनकी समीक्षा करनी होगी । कई योजनाये ऐसी है जिनमें बहुत ज्यादा लिकेज है इसका लाभ दूसरे ही उठाते हैं । हमारी योजना बनाने वाले लोग जिन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं वे लोग योजना बनाते है और वे योजना फेल हो जाती है, फिर भी वह जारी रहती है । काँग्रेस सरकार की योजना (1). खाद्य सुरक्षा एवं (2) मनरेगा से किसान का बहुत नुकसान हुआ इनमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है । खाद्य सुरक्षा मतलब किसान की असुरक्षा, मनरेगा मतलब किसान मरेगा और देश डूबेगा ।

* Speech was laid on the Table.

मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं । यह सरकार कृषि और किसान को नई दिशा देने का काम कर रही है । जैसा कि हर खेत को मिट्टी की जांच और स्वायल हेल्थ कार्ड बनाना । इससे पता चलेगा कि मिट्टी की स्थिति क्या है और किसान सही मात्रा में खाद माइक्रोन्यूट्रीशीएन्ट दे सकेगा । उसकी लागत कम होगी और उत्पाद बढ़ेगा ।

दूसरी योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है । इसके कारण अनइरिगेटेड जमीन इरिगेटेड हो जायेगी ।

इसके साथ ही जनधन योजना, दुर्घटना बीमा योजना, मुद्रा बैंक, कृषि आधारित उद्योग, हाईटेक एग्रीकल्चर वैल्यू एडीशन, मार्केटिंग सपोर्ट ऐसी कई योजनायें इस सरकार ने बनाई मैं प्रधानमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद देता हूँ ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं ।

1. हमारा पश्चिम विदर्भ जिसकी सिंचन क्षमता 10 % से भी कम है यहां बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट पेंडिंग है इसके पूरा किया जाए ।
2. फर्टीलाइजर सब्सिडी किसानों को दी जाए, मैन्यूफैक्चरर को नहीं ।
3. एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पुनर्निर्धारित की जाए । किसानों को लागत के कम से कम 50% शुद्ध लाभ मिले ।
4. कृषि फसल बीमा इसकी समीक्षा की जाए । सभी फसलों के लिए लागू हो । इसका निर्धारण क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा न हो ।
5. जंगली जानवर जैसे की हिरण, सुअर , नीलगाय इसके कारण फसलों का भारी मात्रा में नुकसान होता है । इसके लिए व्यक्तिगत किसान के खेत के लिए नहीं तो पूरे गों की सीमा को फेंसिंग लगाने की योजना तैयार की जाए । मुझे विश्वास है सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी ।

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त महीने में सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए 4500 करोड़ की मदद मांगी था। केन्द्र सरकार ने 1500 करोड़ दिये उसके लिए धन्यवाद। अगस्त के बाद हालत और बिगड़े हैं। इस आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि तुरंत 10,000 करोड़ की सहायता राशि महाराष्ट्र सरकार को देने की कृपा करे ।

* **श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) :** सूखे से महाराष्ट्र राज्य पूरी तरह से प्रभावित है और माननीय कृषि मंत्री जी के निर्देश पर एक केन्द्रीय टीम महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के सूखाग्रस्त जिलों का सर्वे करने गयी थी।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए मराठवाड़ा क्षेत्र से सटे मेरे संसदीय जिले अहमदनगर के सूखाग्रस्त इलाकों का भी सर्वे करने का निर्देश केन्द्रीय टीम को दिया था और केन्द्रीय टीम द्वारा मेरे संसदीय जिले अहमदनगर का भी सर्वे किया गया। लेकिन, अभी तक विशेषकर मेरे संसदीय जिले अहमदनगर के सूखाग्रस्त किसानों को कोई राहत नहीं मिली है, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

मेरा संसदीय जिला अहमदनगर ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र राज्य इस समय भारी सूखे की चपेट में है। इस संबंध में मेरा एक मुख्य सुझाव यह है कि ठाणे क्षेत्र से लगभग 154 टी0एम0सी0 पानी, जो आर्वी समुद्र में जाता है, उसको समुद्र में जाने से रोककर नीलवण्डे भण्डारदारा डैम में पहुंचा दिया जाए, तो इससे अहमदनगर जिला ही नहीं नासिक एवं मराठवाड़ा क्षेत्र में निरंतर पड़ने वाले सूखे से बचा जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित अपर प्रवरा नीलवंडे डैम आधे से अधिक खाली है, जिसकी वजह से प्रचुर मात्रा में पानी न उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप और अधिक भयंकर समस्या अहमदनगर जिले के किसानों के लिए हो गयी है। पानी की विकट समस्या से अहमदनगर के किसानों, शुगर मिलों, पशुओं आदि की बहुत ही बुरी दुर्दशा है।

आजादी के बाद वर्ष 1972 में महाराष्ट्र राज्य भयंकर सूखे की चपेट में आया था। लेकिन, विगत 2-3 वर्षें से महाराष्ट्र राज्य में जो सूखा पड़ रहा है, वह उससे भी कहीं अधिक भयंकर है। किसानों की हालत बहुत ही खराब है। वे कर्जे से डूबे हुए हैं। फसल उगाने के लिए उनके पास संसाधन एवं पैसा नहीं है।

अतः किसानों के हित में निम्नांकित कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है :-

1- किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएं।

2- किसानों के विद्युत बिल माफ किए जाएं।

3- किसानों के स्कूली बच्चों की फीस माफ की जाए।

---

* Speech was laid on the Table.

4- चारा डिपो की जिस-जिस गांव में आवश्यकता है, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत स्थापित किए जाएं।

5- दो-तीन वर्ष पूर्व किसानों को 27/- रू0 प्रति लीटर दूध का मूल्य मिलता था, लेकिन आज किसान को दूध की कीमत 27/- रू0 से घटकर 15/- रू0 प्रति लीटर मिल रही है। जबकि आज उसको पशु आहार, पानी, विद्युत, मजदूर आदि की ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। दुग्ध कृषकों को दूध का मूल्य कम से कम 35/- रू0 प्रति लीटर निर्धारित किया जाए।

6- महाराष्ट्र का किसान अपने दुधारू जानवर जो उसने 70 हजार रू0 की कीमत में खरीदे हैं, बदहाली की स्थिति में वह अपने दुधारू जानवर को 70 हजार रू0 के स्थान पर 40-50 हजार रू0 में बेचने पर मजबूर हो रहे हैं।

7- महाराष्ट्र के किसान पानी के अभाव में गन्ना की खेती करने में असमर्थ हैं। अतः उनको आगामी तीमाही के लिए उगाही जाने वाली फसल यथा - कांदा, कपास, टमाटर, आलू, भाजीपाला आदि हेतु केन्द्रीय स्तर से मदद उपलब्ध करवायी जाए।

महाराष्ट्र राज्य की जनता की ओर से केन्द्र की एन0डी0ए0 सरकार को भरपूर समर्थन मिला है तथा आज महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार बनी है, उसमें भी महाराष्ट्र राज्य की जनता ने अपना भरपूर समर्थन दिया था, तभी राज्य में सरकार बनी। अतः राज्य एवं केन्द्र सरकार का यह पूरा दायित्व बनता है कि वह राज्य के किसानों को बुरी स्थिति से बचाकर उनको अपना भरपूर सहयोग देते हुए उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाए और उनको सूखे से बचाकर यह दिखाए कि दुःख की घड़ी में राज्य एवं केन्द्र सरकार उनके साथ है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से अपनी बात कह दूं। आज नियम 193 के तहत सूखे पर चर्चा हो रही है। पूरे देश के अंदर खास तौर पर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और अन्य राज्यों में सूखे की वजह से किसान पूरे तौर पर टूटा हुआ है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रदेश हरियाणा में इस बार छठी बार सूखा पड़ा है। पिछली बार जब सरकार से हमने सहायता की मांग की थी तो कृषि मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर विश्वास दिलाया था कि किसानों के साथ न्याय करने का काम सरकार करेगी। लेकिन पिछले दिनों जब प्रश्न काल के दौरान सरकार से जवाब मांगा गया तो बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उस जवाब के अंदर कहा गया कि हरियाणा में कोई सूखा नहीं है और न ही किसी मक्खी के प्रकोप की वजह से फसल बर्बाद हुई है। हमारी मंत्री जी से निरंतर इस पर चर्चा भी हुई। मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया कि सरकार इस पर गहन चिंतन के साथ विचार करेगी।

आज यहां देश के तीनों कृषि मंत्री जी मौजूद हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के नहीं, बल्कि देश के किसान की बात करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त बजट यहां पेश किया जाता है। आज जरूरत है कि सब मिलकर हमारे देश के किसानों के लिए बजट लाने का काम करें। जिस तरह से वित्त आयोग इस देश के भविष्य को तय करने का काम करता है, क्यों नहीं हमारे देश के किसानों के लिए भी एक कमीशन बनाया जाए, जो किसानों के भविष्य को तय करने का काम करे।

यह तो इतिहास बताता है कि जिस तरह से किसान ने अपनी मेहनत से और लगन से सूखे में भी पानी लाकर खेती करने की शुरूआत की है, उसका नतीजा है कि अगले 20 वर्षों में हमारे देश में तीन गुना और पानी की जरूरत पड़ेगी। माननीय प्रधान मंत्री जी का भी यह सपना है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपना था और उन्होंने शुरूआत भी की कि हम नदियों को जोड़ने का काम करें। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर सूखे की मार से किसान को बचाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा करना होगा, जिससे हम देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ कर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सकें। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस पर सोचना का काम करें।

आज हमारे देश में प्राइवेट कम्पनीज आकर अच्छी क्वालिटी के बीज बताकर सीड्स को बेचने का काम करती हैं और कहती हैं कि इसमें कम पानी लगेगा और उपज ज्यादा होगी। ऐसी बातें करके ये कम्पनीज महंगे दामों पर किसानों को अपने बीज बेचने का काम करती हैं।

<u>16.00hours</u>

हमारे देश के अंदर बीटी-2 कॉटन सीड आया। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उस कंपनी ने उसका इतनी अच्छी तरीके से मार्किटिंग की कि उसके लिए पानी की कम जरूरत पड़ेगी, कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और किसान को भारी मात्रा में कॉटन मिलेगा। हम भुक्तभोगी हैं। मेरी लोक सभा क्षेत्र में

छः ऐसे गांव हैं, जहां एक ईंच भी नरमे की फसल नहीं पड़ी, क्योंकि बीटी-2 कॉटन में सबसे ज्यादा अटैक व्हाइटफ्लाई नामक इंसैक्ट का हुआ। हमने सरकार से मांग की कि उस की इनक्वायरी होनी चाहिए और किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज उस बात को चार महीने का समय हो चुका है, लेकिन किसी ने भी प्रदेश या केन्द्र सरकार की ओर से उन बीज मालिकों के खिलाफ कोई कदम उठाने का काम किया और न ही व्हाइटफ्लाई की चपेट में आए किसानों को किसी तरह का मुआवजा दिया गया।

महोदय, जब हम किसान की बात करते हैं तो हम उसकी मूलभूत सुविधा की बात नहीं करते हैं। आज स्पिंकलर सेट एक ऐसा अल्टरेनेटिव है, जो सूखे इलाकों में या जहां सूखा पड़ता है, वहां किसानों को मजबूती दे सकता है। मगर जहां तक सब्सिडी की बात है तो उस समय की सरकार द्वारा बहुत अच्छी शुरूआत की गयी थी और 70-75 परसेंट तक सब्सिडी स्प्रिंकलर सेट पर दी गयी। लेकिन जैसे-जैसे किसानों ने उसका ज्यादा उपयोग करना शुरू किया, वैसे-वैसे उस पर सब्सिडी खत्म करने का काम किया गया। आज जो सब्सिडी कम्पनियां देती हैं, वह उन पर देती है, जो साल-डेढ़ साल में खराब हो जाते हैं। आज हमें देखना होगा कि हम किस तरह से सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसानों तक सस्ते दामों तक पहुंचा पाएं। रेतीले और सुखे से प्रभावित इलाकों में अल्टरनेटिव इक्युपमेंट्स यदि प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे हमारे किसान को कम पानी में ज्यादा उपज मिलेगी तो मेरा यह मानना है कि तब हमारा किसान समृद्ध होगा।

महोदय, आज हरियाणा में 21 में से 10 जिले सूखे की चपेट में हैं। लेकिन हमारे प्रदेश या केन्द्र की सरकार ने किसानों की तरफ देखने का काम नहीं किया है। मैं यह मांग आपके माध्यम से सरकार से करता हूं कि हरियाणा में केन्द्र सरकार की ओर से एक टीम भिजवा कर सफेद मक्खी के प्रकोप से पीड़ित किसानों और सूखे से पीड़ित किसानों के लिए मजबूती से सहारा बन कर उनकी आर्थिक मदद करने का काम सरकार करे। हमारे सांसद साथियों ने एक मांग उठायी है कि अगर सरकार चाहे तो पिछली तीन फसलों से चाहे बेमौसम बारिश हो या सूखा हो, हमारा किसान पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए उनका कर्ज माफ केन्द्र सरकार करे। अगर हमारा किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। आज हमारे देश की आबादी का 62 प्रतिशत हिस्सा खेती से संबंधित रखता है। यदि किसान टूटता है तो उसकी अगली पीढ़ी का बच्चा खेती छोड़ कर दूसरे धंधों में जाएगा। यह तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो आप यह मानकर चलना की दो या तीन परसेंट की कमी की वजह से भी आपको 50 परसेंट अनाज इस देश में इम्पोर्ट करना होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से तीनों कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हरियाणा में आपकी सरकार है और हरियाणा की ओर देख कर सफेद मक्खी के प्रकोप से, जिस तरह से

हमारे किसान टूटे हैं, उनके लिए कम से कम दो हज़ार करोड़ रुपये का मुआवजा देने का काम करें। खास तौर पर सूखे की चपेट में आयी हुई फसलों का जल्दी से जल्दी सर्वे करा कर आर्थिक मदद देने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) :** बाढ़ और सुखाड़ से पूरा देश तबाह है। खास करके, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों से जूझना पड़ता है। बिहार में कोशी, कमला, बागमती इत्यादि कई नदियां ऐसी हैं जिससे प्रत्येक साल लोगों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है और बाढ़ चले जाने के बाद सुखाड़ पड़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के समक्ष भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसी छोटी-छोटी नदियां हैं, जैसे- सुगरवे, बिहुल, बछराजा, अधवार इत्यादि। यदि जगह-जगह पर स्लूस गेट की व्यवस्था कर दी जाती है तो लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो जाएगी। हम सुखाड़ से निजात पा सकते हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत इन सभी जगहों पर स्लूस गेट की व्यवस्था करवायी जाए।

* Speech was laid on the Table.

***श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) :** सूखा बाढ़, अतिवृष्टि, यह हमारे देश के किसानों के लिए एक विकट समस्या है, इसके तत्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होगी। प्राकृतिक आपदाएं तब आती हैं जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब हम उसक स्वभाव को बिगाड़ना प्रारंभ किया जंगल(पेड़-पौधे) आज देश में कितने हैं प्रदूषण पर्यावरण को आज हमने किस स्थिति में पहुंचाया है। नदियों की बाढ़ जहां तांडव मचा रही है वहीं हमने घर में अपने घर बना लिए हैं। नदियों ने हमें नहीं डुबाया बल्कि हम खुद निदियों में डूबने गए, दोष बाढ़ को दे रहे हैं। डूब क्षेत्र में बड़े-बड़े निर्माण हो गए, किसने इन्हें बनाने की अनुमति दी उस पर भी जवाब देना चाहिए। आज देश सूखे सू जूझ रहा है, किसान परेशान है उसकी फसल का लागत मूल्य जब साधारण मौसम में ही नहीं निकल रहा तो सूखे में उसको आत्महत्या या दर-दर की ठोकरें खाने के सिवा और क्या रहेगा।

हमें दीर्घकालीन योजनाएं बनानी पड़ेंगी, नदियों को नदियों से जोड़ना, बड़े-बड़े पानी के तलाब, बांध इसके साथ ही खाली पड़े भूभाग पर भारी मात्रा में वृक्षारोपण, जैविक खाद को बढ़ावा देना ताकि रासायनिक खाद की तपन से सूखे में भी मिट्टी की तपन में सान्ध्रता बनी रहे। प्रत्येक शहर का नक्शा उसका निर्माण और अतिक्रमण किसके कार्यकाल में किया गया उस व्यक्ति की जवाबदेही सुनिश्चित कर एक-एक बूंद पानी का कैसे उपयोग हो कम पानी में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देना साथ ही नदियों से नदियों को जोड़कर जहां बांध है सूखे की और मोड़ कर समाधान जैसी योजनाएं जितनी जल्दी क्रियान्वित होगी उतना ही जल्द समाज को लाभ मिलेगा।

* Speech was laid on the Table.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है।

महोदय, आजादी के 67 वर्ष के बाद भी हम सूखे के विषय पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा होता कि पिछली सरकारें इस पर ध्यान देतीं। सूखे पर किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति बनायी होती, किसी प्रकार का शोध किया होता और कोई ठोस कदम उठाए होते तो शायद किसान की आज यह हालत नहीं होती। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें बैक-टू-बैक चौथी बार हम लोगों को सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। इससे न केवल कृषि प्रभावित हुई अपितु पीने के पानी का गंभीर संकट भी हमारे सामने खड़ा हो गया है। मैं राजस्थान से आती हूं। राजस्थान का बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनु जिला और पूरा शेखावटी क्षेत्र पीने के पानी की गंभीर पीड़ा में पहुंच गया है। सूखा प्रकृति की देन नहीं है, किसी को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सूखा आदमी की देन है। इंसान ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, सूखा उसी का परिणाम है। लोग कहीं पानी और बाढ़ से मर रहे हैं तो कहीं पानी के अभाव से मर रहे हैं। यानी पानी ही है जो मृत्यु का कारण बनता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन भारत में पानी से हमारा जीवन कहीं न कहीं एक संतुलित तालमेल बैठाकर चलता था। कुएं से हम उतना ही पानी निकालते थे, जितनी हमें जरूरत होती थी। लेकिन अब हम पानी की इस कदर बेकद्री कर रहे हैं कि जिस भारत में जल को देवता माना गया, वही देवता आज हमसे रुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रकृति का नियम है कि उसने जो रचा है, उसका पालन-पोषण भी वही करती है। अगर पेड़ जंगल में लगा है तो उसका पालन-पोषण प्रकृति ही करती है। परंतु अगर कहीं पेड़ सूख रहा है या मनुष्य मर रहे हैं या पशु मर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं नाराजगी इस बात की दिखाई दे रही है कि प्रकृति हमसे रूठ गई है, उसकी नाराजगी के संकेत हमें निरंतर मिल रहे हैं। प्रकृति की एक भाषा होती है, जो संकेतों में बात करती है। इस जनजीवन का पोषण प्रकृति का जिम्मा है। इसलिए अगर कहीं सूखा है तो हमने कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। देश में हर साल कहीं न कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं न कहीं बाढ़ की मार भी हम झेल रहे होते हैं। इसलिए सभ्यता के इस दौर में हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा और प्रकृति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य और संतुलन बैठाना पड़ेगा। जिस देश में मेघों को देवता, जल को देवता, वृक्षों को देवता और नदियों को माता कहकर पुकारा जाता था, यदि वहां सूखा पड़ता है तो निश्चित तौर पर हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए।

महोदय, इस वर्ष महाराष्ट्र में करीब 90 लाख लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि विदर्भ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। सूखे के कारण उन पशुओं को हमने घरों से जंगलों में धकेल दिया, जिनके नाम हम अपने बच्चों के नाम से निकाला करते थे। इससे गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती। कई प्रदेशों में लोग सूखे के कारण खेती-बाड़ी व्यवसाय को तरजीह नहीं दे रहे हैं और इस वजह से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है तथा झुग्गी और झोंपड़ियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि सूखे को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। सूखे को लेकर बच्चों के स्कूल में ही बच्चों को प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने की शिक्षा दी जाए। यदि यही संस्कार और तालमेल की शिक्षा हम अपनी आगामी पीढ़ी को देंगे तो निश्चित तौर पर लोग जागरूक होंगे और प्रकृति की नाराजगी को हम ठीक कर पायेंगे। इसलिए हमें स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी प्राकृतिक संसाधनों के ठीक से रख-रखाव को शामिल करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 15-20 सालों में हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें जो प्रकृति के महत्व को समझे और सूखे पर एक राष्ट्रीय नीति बनें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy-Speaker, what I would like to suggest is that we would continue this discussion on drought tomorrow also because some more hon. Members want to speak on this subject. So, we may now take up the Bills and continue this discussion on drought tomorrow.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड प्रदेश से आता हूं। हर वर्ष देश में कहीं न कहीं सुखाड़ आता है या बाढ़ आती है और लोक सभा में उस पर चर्चा होती है और उसके बाद जो किसानों की समस्या है, वह यथावत रह जाती है। हम अगर देखें तो जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, इस पर अगर हम कोई रिसर्च न करें, हमारे वैज्ञानिक अगर इस पर चिंतन न करें तो इस समस्या का निदान इस बहस के मुताबिक नहीं हो सकता है। अभी लगातार चार वर्षों से झारखंड में सूखे की स्थिति बनी हुई है। जो पुरानी सिंचाई की परियोजना है, कोणार सिंचाई परियोजना पिछले 30 वर्षों से ज्वाइंट बिहार के समय से अवरुद्ध पड़ी हुई है।

उसी ढंग से विद्युत सिंचाई योजना भी अधूरी पड़ी हुई है। चांडिल डैम 40 साल से आज भी अधूरा पड़ा हुआ है और जिसकी सरकारी एस्टिमेट सौ गुना ज्यादा बढ़ गई है। हमें याद है, हम सब लोग इसी हाऊस में थे, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पीने के पानी के लिए होगा। जब तक हम नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की शुरूआत नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक इस सूखे और बाढ़ से हमें निजात नहीं मिलने वाली है। हम मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे, ये झारखण्ड गए, इन्होंने वहां अवलोकन भी किया, कृषि अनुसंधान केंद्र में भी गए और हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वहां से सुखाड़ के लिए 1140.77 करोड़ पैकेज की मांग की। हम चाहेंगे कि भारत सरकार यह सूखा राहत अविलंब उपलब्ध करवाए। आपको जान कर ताज्जुब लगेगा कि जो ऋण पूर्व की सरकार ने किसानों का माफ कर दिया था, उसकी उगाही के लिए अभी किसानों पर दबाव दिया जा रहा है। चाहे उनका बिजली का बिल हो, चाहे मालगुजारी हो, चाहे जो कृषि ऋण है, वह अविलंब उसका माफ किया जाए और झारखण्ड में पुरानी बंद पड़ी हुई सिंचाई परियोजनाओं को अविलंब पूर्ण कराने का भारत सरकार से मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें।

HON. DEPUTY SPEAKER: The discussion under Rule 193 will continue tomorrow.

16.12 hours

COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS BILL, 2015 – Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the House may take up item No. 14, namely, further consideration of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Sir, yesterday, with some introductory remarks on the Bill, I sought the permission of the Chair to take up the Bill for consideration.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015 is no doubt very important for the economic growth of the country. It is also an urgent legislation but today, I have submitted, on behalf of the Committee, the 78th Report on the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015. In the Report, at least 25 important recommendations have been made and the debate on the Bill has already been ensured.

Sir, the debate on this Bill be deferred for the next week? Meanwhile, I request the hon. Minister that the Report of the Committee with respect to the 25 very important recommendations may be taken into consideration and if, after considering them, the Government is of the view that these recommendations are useful, then those recommendations may be placed on the Floor of the House as official amendments. Otherwise, the Report of the Committee will be a futile exercise. We have presented the Report today. So, I request the hon. Minister through you, Sir, that the recommendations of the Joint Parliamentary Committee may be taken into consideration, and thereafter, the debate may be ensured.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I am also of the same opinion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, if you look at the Business List today, you may find that Item No. 12 mentions about the positioning of the Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the Commercial Courts, Commercial Divisions and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015.

Immediately after that, Item No. 14 is listed which is the consideration and passing of the Bill. As the Report has been presented on the same day, there could be some issues and points. So, we suggest that, if the House agrees and if that is the sense of the House, the Government may look into the recommendations and if they want to incorporate any suggestions which are there in the Standing Committee's Report, the Government can consider them.

Meanwhile, we can take up the following Bill which is related to the Ministry of Commerce and Industry. We may ask Shrimati Nirmala Sitharaman to move that Bill, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I do not agree with Shri Tathagata Satpathy that there was some match fixing or spot fixing. It is not true.

SHRI BHARTRUHARI MAHTRB (CUTTACK): Good sense has prevailed.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb. Let the hon. Minister speak.

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I do not know how these two issues came together. So, it is not match fixing by the Government or from my side. But the observations made by Shri P.P. Chaudhary are well taken by the Government. Certainly we will go through the Report submitted by the Committee. If some suggestions need to be incorporated, certainly we will consider.

HON. DEPUTY-SPEAKER: I think the House will agree for deferring this Bill. We will take it up later.

16.17 hours

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 15, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be taken into consideration."

With your permission, I wish to move this Bill for consideration and passing. If there is any need for further details, I can get into the details.

However, I would like to say a few words about the Bill and its importance. Here, we are coming in front of the august House for an amendment in the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, so that we are able to transfer the authority to regulate potable alcohol to States, as was recommended by the Law Commission in its 158th Report. So, the proposal that we have come up with, is the heading 26th of the First Schedule of the Industries Act, 1951, which essentially gives powers to the Union Government in regard to the regulation of the industry be amended to read as under. The Amendment that we are wishing is 26 to read as "Fermentation Industries (other than potable alcohol), the existing words are "Fermentation Industries (1) alcohol; (2) other products of fermentation industries", that we want to change as "Fermentation Industries (other than potable alcohol)", which actually reflects what the Law Commission's 158th Report states.

The reason why this amendment is now being brought before the House is, all this while, because of the way it was represented as fermentation industries,

this was actually subject to a lot of litigation because the First Schedule industry under the Industries (Development and Regulation) Act, in terms of the provisions, has alcohol included under the Union List and the subject 'intoxicating liquors' was included in the State List. So, that was the first ground on the basis of which a lot of litigation was happening.

A constitution bench of the hon. Supreme Court, in the case of M/s. Synthetic & Chemicals, held that the power to issue licences to manufacture, both potable and non-potable alcohol, vested with the Central Government. That was in 1991. Then, subsequently, a Division Bench of the Supreme Court revised that judgement in the Bihar Distilleries Vs. Union of India case, for which the verdict was pronounced on 29th January, 1997. In that, the Supreme Court held that manufacturing alcohol, for potable purposes, shall be under the total and exclusive control of the States in all respects, including the establishment of the distillery and levy of Central Excise Duty and so on.

So, the amendment, actually, should have, immediately, been done. But there was a lot of engagement with the Law Commission and we have taken the Law Commission's recommendations on board. As a result of that, we have now come before this House with the Amendment that the 26th Heading of the First Schedule under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be read as 'Fermentation Industries (other than potable alcohol)' be considered and passed by this House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be taken into consideration."

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy Speaker, Sir, this Bill, that is, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill is coming up after many years because the Supreme Court, in its judgement on 23rd January, 1997 which the hon. Minister just referred to, demarcated the regulation and production of alcohol between Centre and States.

Now, what is the necessity that it has come up today? The most recent happening, of course, - please don't get irked – is the result of the Bihar Election and the newly elected Chief Minister of Bihar Shri Nitish Kumar announcing that he would ban alcohol in the State has acted as a catalyst or as a starter for the Government of India to bring forth this Bill. This is a very small Bill and obviously, if we go into the judgement of the Supreme Court, there is an interesting background to this. Way back in 1997, this case refers to Bihar Distillery and Others *versus* the Union of India and Others. This was pre-meditated at that time that Bihar will remain a party for this major change in the 1951 Act, which provided for development and regulation of certain industries, including metallurgical, telecommunications, transportation and fermentation which includes production of alcohol amongst others. This Act was enacted in 1951 and now we are changing a very small provision that except industrial alcohol, all other alcohol, mostly the ones that are consumed by human beings, will be under the control of the States. If we see this amendment, *prima facie* there is no reason for opposition to this Bill. But my point is, by perpetuating this process, are we not continuing the Licence *Raj* that, obviously, everybody wants to get rid of? It states that separate licences are to be acquired for new industrial undertakings which are mentioned in Schedule I and this Bill gives complete control to the Government to issue or revoke licences if the products do not meet their standards, that is, the State Government's standards, which is good.

Sir, you come from the State of Tamil Nadu which is an industrial and a developed State and you also know that it is time the Central Government decides

and takes positive action to relinquish the holding powers that it has which mess up the governance system of this country.

But there is also another suspicion. Has the ban by the States really helped them in controlling the consumption of alcohol? We have a bright example here. We always, all of us – given an opportunity – look at models, I am talking about State models.

In this instance, obviously the brightest model in the hemisphere today is the Gujarat model. Gujarat has been a dry State, as far as I know, from 1960 till date. But the story in Gujarat is very interesting. Anybody who has travelled to Gujarat – if they do not get swayed by all the publicity that our colleagues in the Treasury Benches are now propagating – and actually looked at the State, it is still having intense poverty. Except pockets of flashing prosperity, it has intense poverty all over the State. Coupled with this poverty, this ban on alcohol has actually damaged the economy of the State and of the people. What is happening in Gujarat is that at every street corner, every bend of the road, you have a hooch dealer, you have a tout, you have somebody. All you have to do is call up that number on the mobile phone and one can get alcohol delivered at home which is not available even in the AAP-ruled State of Delhi. So, what is happening today? Alcohol is available in plenty in all the States which have a ban imposed in those States. The other States which are following suit, I am very doubtful whether they will really be able to handle the mafia that will automatically in developing the trade of illicit alcohol. On one side, there will be the mafia which will have lots of money, lot of muscle power and, on the other side, we have so many instances where young people are having small get together as modern people. You know, many modern people will say, they have parties at home, not political parties. We only know about political parties. But these people have parties at home and in these parties if they are giving out to their close friends some alcoholic drinks, the police comes in, harasses these children, these young people, gets their names, their fathers' and mothers' names, their addresses, their mobile numbers,

everything published in the newspaper the next day. It is a torture of the young people who indulge in very simple, private enjoyment in the confines of their own homes. Ban is something that, I do not believe, has actually helped society anywhere.

If we take the case of the US where there was a ban imposed from 1920 to 1933, it was a nation-wide Constitutional ban. If you know the Blues numbers, if you hear any of the songs or poetry of that era, all of them are stories of sadness and are heart-rending stories which tell you how families had broken up, how the mafia tortured people, how people were harmed by these bands.

So, *per se*, I support the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015. We do not oppose it. But, it is also the bounden duty of the Central Government to advise the States and to assist them that they should not impose bans on alcohol. If they do, then we have to set up a system in the neighbouring States that alcohol also is not available for import into those States which have imposed the ban on alcohol which will eventually be based on the potable alcohol which you are handing over as a responsibility to the States.

As the hon. Minister of Parliamentary Affairs said, I have no interest in alcohol and I am a person opposed to the alcohol lobby. I think it harms the health and it harms the thinking process of the youth. So, I am not supporting alcohol in any way. But, on the other hand, in my villages, when I go to my constituency, people, old people, vulnerable people use to smoke marijuana. They use to smoke natural marijuana. Today, by imposing ban on natural substances, which people have been using for ages from the times of Lord Shiva or may be earlier than that, we have actually forced a lot of these people to move on to alcohol. *Bhang* was a very common intoxicant in a holy city of Puri. You could get it on the roadside. It was legally available there. It is available in Varanasi also. You have made it illegal and it has been replaced by alcohol. You can see today the crime rate, the number of rapes, the number of burglaries, the number of violent incidents. We have heard that during the Bihar elections one of the strongest parties, which had

very high hopes of forming Government in Bihar, has distributed alcohol in truckloads to people. I am not naming any party. People drank the alcohol merrily and spoiled their health but after realising that it is bad for them and that these people are giving them bad stuff they voted elsewhere. We saw the results also.

So, Sir, I would suggest that if at all alcohol is to be banned, it should not be piecemeal. It should not be only in Bihar. It should be widespread and let people live a natural life. I thank the hon. Minister for handing over powers to the State Governments. I would suggest that the Central Government in totality should look at all the laws and should try to relinquish too much of rein holding. They should allow states to develop their own policies, develop their own abilities and strong points to become prosperous. The Central Government should only play the role of a mediator or an arbitrator and not play the role of a big brother governing from the top.

Thank you very much.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो 'द इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2015' को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके बारे में बोलने की आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति टी-टोटलर है। सौभाग्य से, मैं पिछले चालीस-पचास वर्षों से न चाय पीता हूं, न कॉफी पीता हूं और मुझे एक ऐसे विषय पर हमारे चीफ व्हिप साहब ने कह दिया कि आपको बोलना है। इस बिल के संबंध में माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से कहा है। माननीय सत्पथी जी ने बिल के साथ-साथ देश के राज्यों में इस पर जो बैन की बात है, या जो नशाबंदी की बात है, उन्होंने उसको पीसमील में नहीं, बल्कि टोटैलिटी की बात कही है। लेकिन, यह बिल एक ऐसा बिल है, जिसके लिए बधाई देने की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1997 में कोई फैसला किया और पिछले अठारह वर्षों से उस फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में या उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को कानून बनाने में अगर वक्त लगा, तो मैं समझता हूं कि कम से कम यह सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है कि चाहे देर से ही यह कानून बन रहा है, लेकिन यह एक दुरूस्त कानून बन रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देता हूं। यह इसलिए क्योंकि अधिकार वही थे। अगर आज आप देखें तो अभी तक इस एक्ट में जिस फर्स्ट शेड्यूल की बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि any industry engaged in the manufacture or production of any of the articles mentioned in each of the following headings or sub-headings, namely fermentation industry - अभी तक फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में जो था, वह अल्कोहल था - and other products of fermentation industries. अभी तक इस बिल में पूरे अल्कोहल को, चाहे वह पोटेबल अल्कोहल हो, या इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो, दोनों को अल्कोहल की ही परिधि में ही रखा गया था, जबकि अधिकार-क्षेत्र अलग-अलग थे। जो पोटेबल अल्कोहल था, उस पर टैक्सेशन, या उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, या उस पर रेगुलेशन बनाने का अधिकार राज्यों को ही था। उस प्रक्रिया को करने का अधिकार राज्यों को था।

जहां तक इंडस्ट्रियल एल्कोहल की बात है, फर्मुल्टेशन में चाहे परफ्यूम हो या कोई और हो, जिस तरीके से फर्मुल्टेशन इंडस्ट्रीज में आते हैं, उसका अधिकार संघ क्षेत्र को था या गवर्नमेंट आफ इंडिया को था। इसको लेकर जिस तरह का विवाद था और उस विवाद में मैं समझता हूं कि यह एक्ट उस संघीय ढांचे को और मजबूत करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद फोर्टींथ फाइनेंस कमीशन में

32 परसेंट से 42 परसेंट डिवाइडेशन किया। हर राज्य को पांच, दस, ग्यारह हजार या जिस तरीके से राज्यों को संसाधन बढ़ाया है, मैं समझता हूं कि इस सरकार का पहले दिन से यह दृष्टिकोण और लक्ष्य है कि हम इस संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार के पास जो बहुत से अधिकार थे, वह राज्यों को चाहे वित्तीय अधिकार दिए जा रहे हों या इस तरह के टैक्सेशन के अधिकार दिए जा रहे हों, यह पहली बार संविधान की उस मंशा के अनुरूप हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं।

आज इस एक्ट के आने से जो स्थिति है, जैसा कहा गया कि लॉ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काफी एग्जामिन किया। लॉ कमीशन के उस फैसले के बाद एल्कोहल को जिस तरीके से उन्होंने रखा था, वह शायद स्टेट के क्षेत्र में आ जाता। इसलिए भी इस एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ गई। अगर यह एक्ट नहीं बनता, तो शायद फिर इंडस्ट्रियल एल्कोहल और पोर्टेबल एल्कोहल का जो एक डिमार्केशन होना चाहिए था, वह नहीं होता। It says:

> "The recommendation of the Law Commission of India was examined in depth by the Government. If the subject "Alcohol" is taken out of the First Schedule to the Act, both industrial alcohol and potable alcohol would come under the purview of the State Government which is not in consonance with the judgment of the Supreme Court. …"

सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसकी एक स्पष्ट मंशा थी कि राज्य के पास जो अधिकार हैं या राज्य को जो टैक्सेशन का अधिकार है, वह राज्य के परव्यू में रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रेग्युलेशन बनाने का अधिकार है या टैक्सेशन करने का या फर्मुल्टेशन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का अधिकार है, तो लॉ कमीशन के उस रिकमेंडेशन को लिया गया। मैं समझता हूं कि यह बिल पूरी क्लेरिटी कर रहा है। कम से कम इस बिल से राज्यों में और संघ के अधिकार क्षेत्र में जो अभी भ्रम की स्थिति थी, कहीं अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता था या उन मामलों को लेकर कहीं हाई कोर्ट में, सम्मानित उच्चतम न्यायालय में विवाद पैदा होते थे और वर्षों चलते थे। कम से कम इस एक्ट के आने के बाद अब भविष्य में संघ और राज्यों के किसी अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई डिस्प्यूट की स्थिति पैदा नहीं होगी, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, लिटिगेशन की स्थिति पैदा नहीं होगी, किसी वाद-विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। आप जानते हैं कि delayed justice is denied justice. यह एक फार्मूला है। मैं समझता हूं कि वह अपने आप में यह स्पष्ट कर रहा है।

सतपथी जी ने उल्लेख किया कि Bihar Distillery and another versus Union of India and others (AIR 1997 SC 1208) का जो था, तो यह किसी राज्य के लिए एक्ट नहीं बन

रहा है कि बिहार के चुनाव या नीतीश जी, किसी राज्य में नशाबंदी या पोर्टेबल लिकर को बैन करना, यह उस राज्य के अधिकार का क्षेत्र है। यह केवल राज्य को और अधिकार देने की बात है। जो राज्य के अधिकार में आता है तो भविष्य में राज्यों को यह कठिनाई न हो कि यह राज्य के क्षेत्र में होगा या केन्द्र के क्षेत्र में होगा या संघ के क्षेत्र में होगा। हमारे जो इंडस्ट्रियल एल्कोहल हैं, उसको लेकर भी यह है।

लॉ कमीशन की जो 158वीं रिपोर्ट आई है। जो समय-समय पर फैसलों को एग्जामिन करती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के लिए या संघ के एक जरूरत हो गई थी कि अब लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस फैसले के आधार पर एक कानून बनाने की आवश्यकता थी, जिससे एक क्लेरिटी हो। वह स्पष्टीकरण और एक लाइन ऑफ डिमार्केशन स्पष्ट तौर से होगा। जिस एल्कोहल की बात थी, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एल्कोहल को रखा जाए, तो उस एल्कोहल को भी डिफाइन किया गया। एल्कोहल केवल एक तरह का नहीं होता है। एक एल्कोहल होता है, जो ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं, लोग पीते हैं और दूसरा एल्कोहल होता है, जो इंडस्ट्रीज में काम आता है या फर्मुल्टिंग इंडस्ट्रीज में बहुत जगह उस एल्कोहल की आवश्यकता होती है। इन दोनों इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों इंडस्ट्रीज के रेग्युलेशंस के लिए या जो अदर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मुल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए कौन, कैसे कानून बनाएगा, उस अधिकार क्षेत्र का इस एक्ट के माध्यम से लाइन ऑफ डिमार्केशन हुआ है।

मैं समझता हूं कि वाद-विवाद से नहीं बल्कि सदन सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करेगा। इस बिल के आने के बाद राज्यों की आय बढ़ेगी और केन्द्र की भी आय बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी ने भी अपने इनिशिएटिव या शुरू में जो उनका इंट्रोडक्ट्री रिमार्क था, उसमें उन बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। निश्चित तौर से, इस बिल के पारित होने से देश के उन राज्यों और केन्द्र के संघीय ढांचे में एक स्पष्ट विभाजन की रेखा होगी और वह राज्यों के हित में होगी और केन्द्र के हित में भी होगी। इसी के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to fully support this Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, which has been brought out by the hon. Commerce Minister.

The Amendment is very specific. It is as per the 1997 verdict of 'the Supreme Court in case of Bihar Distillery and another *versus* Union of India and others'; and also as per the Recommendations of the Law Commission. My colleague Shri Satpathy said, it is because of the result of the Bihar Government. It is not so. After the result, there was a UPA Government for so many years.

हिन्दी में कहा जाता है कि देर आये, दुरुस्त आये। हमारी सरकार उन्हें दुरुस्त करने का काम कर रही है। This Amendment is very small that the alcohol is being diverted to the State Government so that the full control of the State Government should be there. It would be in conformity with the judgment of the Supreme Court and also ensure that the industries engaged in the manufacture of alcohol meant for potable purposes shall be under the total and exclusive control of States in all respects.

If you look at the sugar industries, particularly in the State of Maharashtra and Uttar Pradesh, wherever there are sugar industries, you would find a lot of alcohol is also being produced there. That is why 'for the control and other things', it is the State subject. Whatever they have to do, they can just do it.

Only recently, the Bihar Government has announced to ban alcohol in their State. But our experience is that wherever there is a ban of alcohol, there is a lot of alcohol being produced and supplied illegally by mafias. These mafias are supplying spurious alcohol to the common people and poor people, which is very dangerous to their health. We hear so many incidents of many poor people dying after consuming such alcoholic wines etc.

So, if it is kept free, and not banned, the State Government will also get money in the form excise duties; and such incidents of people dying after consuming spurious alcohol would also not happen in future.

In the end, Sir, I would say that though it is a small Amendment yet it is a very important Amendment. With these few words, I fully support this Bill.

Thank you.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. On behalf of my Telugu Desam Party, I fully support this Amendment Bill.

But in this Bill, I have some small doubts, which I hope the hon. Commerce Minister would clarify while replying to the debate.

There is a tendency on the part of every States these days to ban alcohol. The alcohol which is mixed with methyl alcohol is consumed and people are dying in large number. Day before yesterday in Andhra Pradesh, there was a big tragedy. In order to give effect to the Supreme Court's Judgement and Law Commission's observations, we always make legislations here. Why do not we make a legislation *suo motu*? Instead of giving effect to the Supreme Court's Judgements, why do we not make legislations? It appears as if Supreme Court is dictating us and we are running the administration as per the Supreme Court's directions. Let us give an impression that the Lok Sabha is supreme. Let us make a law. I am not saying that the law should not be in conformity with the law of the land or Supreme Court's Judgements and directions. That is fine. You can have those things as persuasive or of some advisory nature. To give effect to the Supreme Court's Judgement, we are passing this amendment. Should we give importance to judiciary or should we give importance to the people of the country? They should have the free will to do whatever they like. Instead of mentioning it to give effect to the Supreme Court's judgement, we can also say that the people of India desire to have this amendment or desire to have these types of amendments in the Bill.

Whenever you talk of alcohol, as I said, it is spurious; now, in the GST Bill, there is a lot of talk whether this alcohol should be part of State GST or Central GST or IGST. So, this has already been taken care of by not putting it in a State GST. That means it will go to GST. I do not know what type of benefits the State Government will get when the taxes are not being levied and not allowed to be

collected from the State Government except for some licenses having in these manufacturing units.

Another thing is that we have a lot of pollution problems in our country presently because of petrol and diesel emissions. Therefore, there is a proposal all over the world that almost 20 to 30 per cent alcohol is being mixed with petrol so that emission will almost be zero per cent. There is a strong proposal from the Ministry of Petroleum and Natural Gas to allow the alcohol to be mixed with petrol and please give us the quota so that more alcohol can be allotted to the Ministry of Petroleum and subsequently, emissions will come down. It also gives a great relief to the sugar growing farmers. Sugar growing farmers are always at the mercy of sugar industries and lobbyists. Instead of doing like that, if the farmers are given the freedom to sell their alcohol products, molasses and other things to these manufacturers of petroleum and diesel refineries, it will also go a long way in addressing not only the ecological and emission problems but it will also take care of the problems of farmers. Since an alcohol topic has come, it has reminded me that alcohol should also be a part of mixing with petrol and diesel so that emission level will come down.

Last but not least my request always would be, as usual, that let us give an impression to our countrymen that the will of the people – Lok Sabha is supreme than anything in India. It is because we are again writing in the amendment that in order to give effect to the Supreme Court's Judgement, we are legislating. If that line is not there, we are having independent application of mind. We too can make amendment independent of the judiciary.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंडस्ट्रीज (डैवलपमैंट एंड रैगुलेशन) अमैंडमैट, 2015 पर बोलने का अवसर दिया। देखने में यह एक बहुत छोटा सा अमैंडमैंट है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाते हैं तो भारत सरकार के संघीय ढांचे के बंटवारे को लेकर बहुत लम्बे समय से जो विवाद था, उसे सुलझाने की केन्द्र सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए इंडस्ट्रीज (डैवलपमैंट एंड रैगुलेशन) एक्ट, 1951 को फर्स्ट शैडयूल में 19 (डी) को परिवर्तित करके 19 (ई) में समाहित किया है। मंत्री महोदया ने बताया कि इसमें 26थ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज अदर दैन पोर्टेबल ऐल्कोहल का सब्सटीट्यूट किया गया है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिहार डिस्टिलरी और भारत सरकार के बीच जो विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को इस विषय में एक निर्णय लेना पड़ा था। उन्होंने 20 जनवरी, 1997 को उस वक्त की संघीय सरकार को एक निर्णय दिया था कि इसे लागू किया जाए कि इसके रैगुलेशन बनाने और फर्मेंटेशन के यूनिट्स के साथ पीने लायक जो ऐल्कोहल है, उसे राज्य सरकार नियंत्रित करेगी या केन्द्र सरकार नियंत्रित करेगी। जो पीने लायक एल्कोहल है उसको राज्य सरकार नियंत्रित करेगी या केन्द्र सरकार नियंत्रित करेगी। उस वक्त सरकारों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया।

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, नरेन्द्र मोदी जी की भावना संघीय ढांचे को मजबूत करने का है, इसका इन्होंने सम्मान किया और जल्द से जल्द छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस बिल को लेकर आए। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से राज्य सरकारों को तरह तरह की शक्तियां दी गई हैं, निर्णय लेने के अधिकार दिए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भी किया है, इसी दिशा में यह बिल है। पहले इस बिल में अल्कोहल केन्द्र सरकार का विषय था, कुछ इन्टोक्सि फरमेन्टेशन मेटेरियल स्टेट के पास थे। इस बिल के बाद राज्य सरकारों को बड़ी शक्ति मिलेगी, राज्य अपने राज्यों में डिस्टीलरी यूनिट लगा सकते हैं, मैन्यूफ्रैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, अपने टैक्सेज खुद वसूल सकते हैं। हमारे साथी सत्तपथी जी की बातों से लगा कि कुछ राज्यों में बैन की बात कर रहे थे, माफिया और पुलिस टार्चर की बात कर रहे थे, इस बिल की मूल भावना का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैन्यूफ्रैक्चरिंग करना या नहीं करना यह राज्य सरकार की विवेक पर छोड़ना चाहिए, वहां की जनता के हित या राज्य इस पर बैन लगाती है या नहीं लगती, खुद प्रोडक्शन करती है या इम्पोर्ट करती है। वहां की राज्य सरकार स्वतंत्र निर्णय लेगी, वहां की जनता के हित में क्या होना चाहिए। जहां तक माफिया का सवाल है, माफिया वहां खड़ा होता है जहां आप किसी चीज को दबा कर रख देते हैं वहां अभेद रूप से काम करने के लिए यह आ जाती है। इस बिल के माध्यम से माफिया नहीं पनपेगा बल्कि खत्म होगा। राज्य सरकारें सक्षम हैं कि

इस बिल का सदुपयोग कर सकें और माफिया को समाप्त कर सकें। आपने पुलिस टार्चर का विषय उठाया था, पुलिस राज्य का विषय है, छोटी-छोटी चीजों पर कोई किसी को कैसे भी टार्चर कर सकता है। हमें राज्य सरकारों पर विश्वास करना चाहिए। राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी, अच्छा निर्णय लेगी।

मैं अपना पसर्नल व्यू सदन के सामने रखना चाहूंगा, कुछ राज्य सरकारों ने स्वतंत्र निर्णय लिए हैं उनको इस विषय पर बैन लगाना या नहीं लगाना है। राज्य सरकार नए रिर्सोज पैदा कर सकती है। समाज में अल्कोहल के रूप में जो बुराई है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसके कन्जम्शन को किस प्रकार से कम किया जाए। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करुंगा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए मजबूत निर्णय ले और अपने लिए आय के नए स्रोत पैदा करें। मैं इस बिल के समर्थन के लिए पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी और मंत्री जी की इस मंशा का समर्थन करें।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I am coming from Kerala, the most consuming State in the list of alcohol consuming States. So, we are very happy to include it in the State List.

Mr. Deputy Speaker, Sir, the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 was introduced in the Lok Sabha on 7th December, 2015. This Bill seeks to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. The 1951 Act provides for the development and regulation of certain industries, including metallurgical, telecommunications, transportation, fermentation (which includes the production of alcohol) and among others.

The First Schedule of the Act includes all industries that are regulated under this Act. Sir, this Bill seeks to amend the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 to exclude the production of alcohol for potable purpose from the ambit of the said Act. The Supreme Court of India in its judgement on February 20, 1997 demarcated the regulation of production of alcohol between the Centre and the States in 'Bihar Distillery *versus* Union of India and others' case. The court ruled that the Centre should regulate the production of alcohol for potable purpose, that is, domestic consumption. The Bill confines to the Supreme Court's decision.

Sir, we have to change the existing system. I would like to ask the hon. Minister what its affect will be on taxation and other things. We are going to introduce GST and alcohol is one of the subjects not covered under it. The Bill also says 'other industrial purpose'. Now, the Ministry of Petroleum and Natural Gas is going to introduce alcohol-diesel and alcohol-petrol, where alcohol will be mixed with diesel and petrol, in order to reduce pollution in this country. It is very difficult. I am a Member in the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas and we discussed in detail the introduction of such petroleum products in our country. It is very difficult to transfer them from one State to another. The PSUs approached us and said that it was difficult to hold consultation with all the stakeholders.

We have to change the old law. We have to amend the existing law and introduce new provisions not for the purpose of present only. This applies to all the laws. The Act which we seek to amend is of the year 1951. Yesterday we discussed the Indian Trusts Act of 1886. Whenever we amend any law, we have to change it for few more years, not for the present purpose only. Otherwise, we will have to come again to this House to seek amendment. As we know very well, the process takes a long time to enact a law in the Parliament and to prepare the rules. It takes so much of time. So, I would request the Government that whatever amendment to a law is placed before the House, it should not be to fulfil only the direction of a court. This Bill incorporates and gives effect to the direction of the Supreme Court. The 158th Report of the Law Commission also recommended to bring a change in the existing law.

Whatever comes before the Government, the Government should go through it in a detailed manner. Then only should it propose the amendment so that it may provide a clear direction to the nation.

Sir, this 1951 Act itself gives an advice to the Centre to prepare a Council. So, I would like to know from the Government whether the functioning of the Council is up to the mark. You have a detailed discussion on that as the functioning of the Council is very important. Just changing some sections will not provide the maximum benefit to the nation. So, I would request the Government and the hon. Minister to go through the other sections as well and say that effective functioning of the Council is also very much required to establish the system in a smooth way.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

17.00 hours

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उद्योग विकास विनियमन (संशोधन) विधेयक 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आज अपने आपको सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। पहली बार मैं इस सदन में 1989 में जीतकर आया था, तब मैंने सदन के रिकार्ड को खंगाला था। हो सकता है एल्कोहल शब्द के बारे में सबकी मान्यता अलग हो। मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। चाहे हम पावर एल्कोहल बनाएं, चाहे पीने वाली एल्कोहल बनाएं, चाहे स्पिरिटी बनाएं, इस उद्योग के बारे में जो धारणा है या जो परिणाम है, उसके बारे में तमाम बातें हो सकती हैं और बहुत से लोग अपनी बात कह सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि 1965 के बाद सदन में इस शब्द पर चर्चा नहीं हुई, इस उद्योग पर चर्चा नहीं हुई। यह पहला मौका है जब इस विषय पर चर्चा हो रही है इसलिए मैं सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। मैं नहीं मानता कि यह पूर्णता की तरफ है।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, उस समय मैं संसद सदस्य था। पीने की शराब की बात चल रही है, महुए से शराब बनती थी। यह विधान था। बिना सदन में लाए उसकी जगह पर मोलासिस का स्थान आ गया। उस समय महाराष्ट्र से मोलासिस मध्य प्रदेश में आता था, हमारे यहां शुगर मिल नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार की पालिसी थी कि वह राज्य ए ग्रेड का मोलासिस कभी किसी दूसरे राज्य को बेचता नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि राज्य सरकारों के बीच जब मैंने यह मामला उठाया था तब लिखकर आया कि हम लेते तो ए ग्रेड का हैं लेकिन महाराष्ट्र की पालिसी के आधार पर कागज में बी ग्रेड होता है। यह ऑन पेपर था। दुनिया में बी ग्रेड की खरीद होती है और ए ग्रेड लिखा जाता है। मैं साइंस का स्टुडेंट था इसलिए मुझे पता था कि बी ग्रेड और सी ग्रेड के मोलासिस से अगर शराब बनेगी तो मिथाइल एल्कोहल का परसेंटेज बढ़ेगा और मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। अगर एक तिहाई लोग मरेंगे तो दो तिहाई लोग अंधे होंगे। हिंदुस्तान का वर्ष 1990 से लेकर 1993 का इतिहास है, चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तीन राज्यों में ये घटनाएं घटी। इसके अलावा एक तिहाई लोग मरे और दो तिहाई लोग अंधे हुए। यह रेश्यो बिगड़ा नहीं, जो अनुमान था वह सही साबित हुआ इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें केंद्र के हिस्से में होनी चाहिए।

महोदय, मैं इस विधान के बारे में एक और उदारहण दूंगा। मैंने दुनिया के इतिहास को देखा हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चेकोस्लाविया की ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को जरूर देखें। चेकोस्लाविया दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने खर्च से लिक्कर का उद्योग शुरु किया। पूंजी सरकार ने दी, उद्योगपतियों को तैयार किया, संरक्षण दिया और विस्तार करने का भी काम सरकार ने किया। चेकोस्लाविया की सरकार को चार साल बाद समझ में आया कि इसका पुनर्निरीक्षण कराने की जरूरत है। इसके लिए समिति बनाई और पूरा आकलन किया गया। दो साल और कुछ महीने

समिति को अपनी रिपोर्ट देने में लगे। रिपोर्ट ने निर्णय दिया कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और कानून व्यवस्था में जो नुकसान हुआ है वह आय से दो तिहाई ज्यादा है और जो संस्कृति और संस्कारों का नुकसान हुआ है, उसकी कीमत लगाना मुश्किल है। इस तरह वह उद्योग बंद कर दिया गया।

महोदय, जब कानून बनता है तो परिणामों पर बात होनी चाहिए। यहां कई माननीय सदस्य टैक्स के बारे में कह रहे थे। इन सब बातों का ख्याल करना होगा। मैं इस सबके बावजूद सरकार को बधाई इस बात के लिए देता हूं कि इस चर्चा की शुरुआत हुई है, आज नहीं तो कल हम नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम एल्कोहल का उपयोग पीने के बजाय कार्यों में करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank each one of the Hon. Members who have participated in this debate and have given absolutely useful comments for me to take on board.

I wish to first refer to the first speaker, Shri Tathagata Satpathy, who has probably just gone out. He tried to bring a strange relationship with what is happening in Bihar to the introduction of this Bill here. I am very grateful to my colleague, Dr. Manoj, who clearly stated that there is absolutely no connection between that development in Bihar and this Bill. Of course, there is a case, which is the Bihar Distilleries Case, which is part of what we are talking about.

But I just want to broadly draw the timeline to say that after 1997 Judgment of the Supreme Court, it has taken a lot of time for this Bill to come here. Strictly speaking, till 2008, there were continuous litigations even after the 1997 Supreme Court's decision. In 1997, the Bihar Distilleries Case came to an end when the Supreme Court gave its verdict. In 1998, the Law Commission came up with its suggestions. Actually speaking, in 1999 itself, a proposal went to the, then Cabinet talking about amendment which could be brought in, but the then Cabinet was reminded that there was one more case related to Haryana State Government, which was also related to alcohol and related matters. It was then felt, therefore, by the Cabinet that it might as well wait for the result of that particular case, which was disposed of in 2002. However, the Department of Industrial Policy was made a party to it subsequently when there was an appeal in the Court, and it was only in 2008 that, that case got disposed of completely upholding the verdict which was given in the Bihar Distilleries Case -- in other words, upholding the position, that States will have the control over potable liquor.

Like many of the Members of Parliament have said, for which I am very grateful, under the leadership of Shri Narendra Modi, it is the mindset of this Government to share power with the States. It is a continuous process that is happening and this Bill is part of that, that after 2008 that which could have been

brought as an amendment like the one which we have brought now has actually waited all this while and in 2015, it is under the leadership of Shri Narendra Modi that this little Amendment, but a very important Amendment, has come on to the floor of this House. I am very grateful to several Members who have invoked that point that this Government under the leadership of Shri Narendra Modi believes in sharing power with the State Governments, believes in Federalism and believes in strengthening the hands of the States, and this Amendment is aimed at taking the power to the States.

I will certainly draw the attention of Dr. Ravindra Babu, Hon. Member from TDP, who has twice in his intervention said that instead of crediting the Supreme Court, it should be treated as an Amendment which is desired by the people of India and, therefore, the Parliament should take the credit for it. It is a very well argued point, and I accept that. But the amendment which is brought here whether in recognition or in following up of the Supreme Court's decision, or in following up of the Law Commission, it is actually happening here. It is not happening anywhere else. It is the will of the elected Members of the House, which is going to pass this. If you are all with me in this, you will pass it; or, you will amend it; or, you will reject it, but it is happening in this House thereby strengthening the hands of the elected representatives and the Parliament, and not necessarily obeying the orders given by the Supreme Court. Yes, we respect the verdict given by the Supreme Court; we respect what has been suggested by the Law Commission, but it is happening here, Mr. Deputy-Speaker, Sir, to which I would like to draw your attention and also duly draw the attention of the Member from the TDP.

Again, I fully agree with the suggestion made by the Hon. Member, Dr. Ravindra Babu, on ethanol mix for energy efficiency and also for the sake of protecting environment.

This Government is taking a lot of steps towards it. In doing so, we are ensuring that farmers get better price for their produce, the cane, whether it is going for crushing for sugar or for a certain portion of it which is going for the production of ethanol. The intention of the Government is, that better price goes to the farmer. So, the point which the Hon. Member has raised is well taken and the Government will certainly appreciate it.

I thank the Member from the Shiv Sena Shri Anandrao Adsul who rose to speak and support this Bill. I also thank the senior Member Shri Jagdambika Pal who identified rightly that it is a part of the process of this Central Government to strengthen the hands of the Government here. However, drawing the attention through you, the Member from the Communist Party Shri P.K. Biju ji, he has referred to aspects of taxation. About the GST, it is known. Whatever is going to happen in the process of getting GST, I do not need to speak about it. But one thing which will have to be very clearly voiced, is that, with this Bill, the Amendment that we are bringing in here is more to define with clarity what is with the State and what is with the Centre. The Central Excise Act will talk about the taxation, taxation related matter. They are not both one over the other; they are not included as one. Here the Bill talks only about what is within the power of the Centre and what is within the power of the State. I do not want to give any impression here that aspects of taxation are being talked. It is certainly not. That will be with the Central Excise Act. At present, the excise duty on potable alcohol is being levied by the State Governments. That comes under a separate Act and is not covered by this one at all.

Shri Prahlad Singh Patel has rightly raised a lot of relevant issues. I hope, eventually alcohol or ethanol which is produced goes towards energy efficiency, goes towards improving our use in the fuel efficiency, in motorable fuel rather than for production of potable alcohol which goes for human consumption, which all of us agree that it does have a detrimental effect on human health.

With these words, I hope, I have made sure that I have addressed the concerns raised by Members; some, who are present here and some others who were earlier present and voiced their concern. I think the Bill needs the unanimous support of all the Members here and the due passing of it.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Insertion of new section 29E

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of First Schedule

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – Not present

The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो विषय यहाँ पर उठा रहा हूँ, वह मेरे संसदीय क्षेत्र का है। आज पेट्रोलियम उत्पाद के रखरखाव अथवा लॉजिस्टिक्स ने पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हम लोग जानते हैं कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान पहले मूल्य-निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत स्वदेशी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता था। इस समय, यदि सरकार चाहती, तो पिछड़े पोट्र्स जैसे पिपावाव पोर्ट, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, उसका विकास अथवा डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित करके और वहाँ उपलब्ध वर्ल्ड क्लास स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग कर सकते थे। लेकिन इससे पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जा सकता था और देशहित में लोकहित के करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान होने से बचाया जा सकता था। लेकिन यूपीए सरकार की नीति जनविरोधी होने के कारण कभी ऐसा नहीं किया गया।

आज मैं, इस पिपावाव पोर्ट का डेजीग्नेशन पोर्ट न होने के अलावा हरेक देश के सभी पेट्रोलियम पीएसयूज, विदेशी कंपनियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करने हेतु अपने-अपने जहाजों को दूसरे पोट्र्स जैसे मुम्बई पोर्ट, जिक्का, मुंद्रा, वाड़िनार, दाहिज, जेएनपीटी इत्यादि पर पेट्रोलियम उत्पादों को उतारने के लिए काफी ट्रैफिक होता है और महंगे होते हैं। सप्ताह भर पेट्रोलियम उत्पाद उतारने वाली जहाजें लाइन में खड़ी रहती हैं और करोड़ों रुपये का पेट्रोलियम पीएसयूज को डैमरेज के रूप में भुगतान करना पड़ता है, जो कि पेट्रोलियम पीएसयू पिपावाव पोर्ट का सदुपयोग करके इस अतिरिक्त खर्च को बचा सकती है।

पेट्रोलियम उत्पादों के रखरखाव अथवा लॉजिस्टिक्स हेतु पिपावाव पोर्ट में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और दूसरे पोट्र्स की अपेक्षा काफी सस्ता है और भारत की कंपनियाँ, जो विदेशी कंपनियों की अपेक्षा काफी सस्ते दर पर पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। हमारा संसदीय क्षेत्र अमरेली एक विकसित-शिक्षित जिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार के शासनकाल में हमारे जिला का पूर्ण विकास होगा। पूरे देश के कोस्टल एरिया का ज्यादातर भाग, करीब

1600 किलोमीटर गुजरात में है। यहाँ पूरे देश के साथ-साथ हमारे गुजरात के विकास हेतु मुख्य कारक हैं। हमारे राज्य के विभिन्न पोर्ट्स में से एक पिपावास पोर्ट है, जो हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। इस पोर्ट को डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित करने हेतु पीपीएसी ने मंत्रालय को फाइल भेजने की सिफारिश की है। पिपावाव पोर्ट के डेजीग्नेशन पोर्ट घोषित हो जाने से ओएमसी यानी तेल कंपनियों को भारी फायदा होगा और इसके साथ ही देश को एक बड़े राजस्व का लाभ होगा। उसके साथ-साथ हमारे संसदीय क्षेत्र अमरेली का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki is permitted to associate with the issue raised by Shri Naranbhai Kachhadia.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे देश में सभी लोग कहते हैं कि एकता, अखंडता, समानता है लेकिन इस ज़माने में धर्मवाद-अधर्मवाद, सहिष्णुता-असहिष्णुता पर बहस का माहौल बन गया है। मेरा कहना है कि हमारे देश में सभी न्यायालयों में, अदालतों में जो गवाह या फरियादी हैं, उनका साक्ष्य लेते समय उन्हें शपथ दिलाई जाती है जिसमें हिंदू को गीता की शपथ, मुस्लिम को कुरान और क्रिश्चियन को बाईबल की शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेने की प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी लेकिन यह प्रथा आज तक चल रही है। आदरणीय हिंदू ह्रदय सम्राट शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बहुत बार और काफी समय पहले से कहा था कि इस देश में आजादी है, संविधान है तो न्यायालय में भी सभी को संविधान की शपथ दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी कहा है कि सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान महत्वपूर्ण है। हमारा ग्रंथ हमारे घर की चौखट के अंदर हमारी जाति, धर्म, पूजा है लेकिन इस देश में हम पैदा हुए हैं इसलिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू हैं। हिंदू यानी हमारी हिंदू संस्कृति है। हमें अपना संविधान हाथ में लेकर शपथ दिलानी चाहिए। मेरी मांग है कि जिस तरह से हमारे देश का हर नागरिक संविधान को सबसे ऊपर मानता है, इस देश में हमारी संसद ऐसा कुछ करे कि आगे चलकर न्यायालय में भी हमारे संविधान की शपथ लेते हुए बयान दिया जाए तो ही हमारे देश में एकता, अखंडता, समानता और बंधुता आएगी। मैं पुनः इस बात की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 2015 को हमारे माननीय पंत प्रधान जी ने मुद्रा लोन कार्यक्रम घोषित किया और पूरे देश में लागू भी किया। शिशु, किशोर और तरूण - इन तीन नामों

से यह योजना जाहिर की गयी। शिशु में 50,000 रुपये तक, किशोर योजना में पांच लाख रुपये तक और तरूण योजना में दस लाख रुपये तक का लोन बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी गारन्टी के बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे देश के बेरोजगार युवा खुश हुए। आज पूरे देश में बेरोजगारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, नौकरी मिलती नहीं है और अगर हम कुछ काम करना चाहें, अपना व्यवसाय खोलने के लिए जाएं तो हमारे पास भांडवल नहीं होने की वजह से काम रुक जाता है, तो मुद्रा लोन की वजह से सब लोग अपने कन्धे पर अपने परिवार का भार उठाने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहूंगा कि जो मुद्रा लोन बैंक के माध्यम से मिल रहा है, उसमें बैंक अधिकारियों का जो रवैया है, उन्होंने हर बैंक से यह मुद्रा लोन देना बन्द कर दिया है। अगर कोई अर्जी लेकर जाता है तो उसको कहा जाता है कि हमारा टारगेट खत्म हो गया। पंत प्रधान जी ने जब यह योजना जाहिर की थी तब कभी ऐसा नहीं बताया गया था कि किसी ब्रांच या किसी बैंक को इतना ही टारगेट रहेगा, उस समय यह नो लिमिट टारगेट का प्रोग्राम था। अभी तक इसमें जो केसेज हुए हैं, वे ज्यादातर शिशु योजना में ही हुए हैं, जिसमें किसी को 25 हजार रुपये, किसी को 30 हजार रुपये और किसी-किसी को दस हजार रुपये भी लोन दिया गया है। इतने पैसे से न तो उन लोगों का कोई कारोबार शुरू हो सका, न उन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आ सका। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बुलढाना जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई बड़ा शहर नहीं हैं, वहां कोई बड़े उद्योग नहीं हैं। वहां के बहुत से युवाओं ने हर बैंक शाखा में मुद्रा लोन के लिए अर्जी दी, लेकिन कोई भी बैंक उन तरूण बेरोजगार लोगों को मुद्रा स्कीम के माध्यम से 50 हजार से लेकर पांच लाख या पांच लाख से लेकर दस लाख रुपये तक लोन देने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मुद्रा लोन को सही ढंग से लागू करने के लिए बैंकों की भूमिका को सही किया जाए और उन्हें नवयुवकों को आवश्यक लोन देने के लिए निर्देश दिया जाए। किस बैंक ने कितना लोन दिया, इसकी समीक्षा की जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P.P.Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri Prataprao Jadhav.

17.23 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS ....Contd.

(ii) Re: Contamination of water in the villages of District Ballia, Uttar Pradesh

श्री भरत सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं पूर्वांचल के ऐसे स्थान से आता हूं, आज पूरा पूर्वांचल आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए बाध्य है। पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के भी दो-चार जिले ऐसे हैं, जहां लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं। उस आर्सेनिक युक्त पानी को पीने की वजह से पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को कैंसर हो रहा है, त्वचा का रोग हो रहा है, पेट की बीमारी हो रही है और पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। इसकी वजह से नाना किस्म की चीजें हमारे सामने आ रही हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पूरे पूर्वांचल में पेयजल का समुचित इंतजाम किया जाए। आर्सेनिक युक्त पानी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, वे अपर्याप्त हैं। इसलिए सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें। वह बिहार के ही रहने वाले हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप विशेष तौर इसके लिए कोई रूलिंग दे दीजिए जिससे मंत्री जी इस काम को करें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Ashwini Kumar Choubey are permitted to associate with the issue raised by Shri Bharat Singh.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर सवाल यहां उठाया है। मैं समझता हूं न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसे इलाके हैं जहां आर्सेनिक की समस्या है और सरकार इसे लेकर चिंतित भी है। सरकार की तरफ से विशेष राशि इन प्रभावित इलाकों के लिए सम्बन्धित राज्यों को उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ओर निदेश जारी किया गया है और यह राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आर्सेनिक से प्रभावित इलाकों की इस समस्या को दूर किया जा सके। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): उपाध्यक्ष महोदय, तेलंगाना में मेरा संसदीय क्षेत्र मेडक है। हैदराबाद सिटी से मुम्बई जाने के लिए नेशनल हाइवे नम्बर 65 इसमें आता है। यह हाइवे तेलंगाना में सबसे बड़ा है। हैदराबाद से 15 किलोमीटर दूर मेरा संसदीय क्षेत्र पड़ता है, वहां पर बीएचएल से लेकर संगारेड्डी तक दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं। वहीं पर बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी पिछले सात साल से बी.ओ.टी. के तहत रोड बनाई और उसका टोल वसूलने लगी। पिछले सात साल से यह कम्पनी टोल ले रही थी, लेकिन मेनटेनेंस के नाम पर इसने इस रोड पर कुछ नहीं किया। न तो वहां सर्विस रोड है, न ही लाइट की कोई व्यवस्था है, न ही ग्रीनरी मेनटेन की गई है, न ही ड्रेनेज सिस्टम सही है और न ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। हम केन्द्र सरकार से सात साल से इस बात की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन उस कांट्रेक्टर ने कोई ध्यान नहीं दिया और कोई मेनटेनेंस का काम नहीं किया। करीब तीन महीने पहले वह ठेकेदार टोल बूथ छोड़कर चला गया और रोड वैसे ही खराब हालत में है। इस रूट पर पुणे, शोलापुर, औरंगाबाद आदि शहर आते हैं। इसके अलावा दो संसदीय क्षेत्रों के जिला मुख्यालय भी इस रोड पर स्थित हैं। इसके अलावा यहां पर बी.एच.ई.एल., बी.डी.एल. डिफेंस आदि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। पूरे तेलंगाना में यह 30 किलोमीटर का स्ट्रेच इंडस्ट्रियल हब है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह इस नेशनल हाइवे को टेकओवर करके तुरंत वहां पर मेनटेनेंस के कार्य कराए।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजस्थान की एक ज्वलंत समस्या की ओर मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में दो दिन से अकाल पर चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं है। जबकि राजस्थान का पर्यायवाची शब्द ही अकाल है। Rajasthan is known as a drought area. राजस्थान में पहली वर्षा अच्छी हुई और मानसून समय पर आया। लेकिन 10 अगस्त के बाद राजस्थान से मानसून रिट्रीट कर गया, लौट गया। इस कारण से फसल पकने से पहले जो बारिश होनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। इस वजह से राजस्थान के 19 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा है। Nineteen districts are having famine and drought situation but the media did not give it the name 'drought'. इसका मेन कारण यह रहा है कि जुलाई और 15 अगस्त की बारिश देखकर किसान बहुत खुश हुआ कि बहुत अच्छी फसल होने जा रही है, लेकिन आखिरी बारिश नहीं होने से 19 जिलों में फसल को नुकसान पहुंचा। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार की जो रिपोर्ट आ रही है, उसे स्वीकार करें। साथ ही वहां सेंट्रल टीम भेजकर इन 19 जिलों को शामिल किया जाए। पिछली बार रबी की पूरी फसल खराब हो गई थी और इस बार 19 जिलों में खरीफ की फसल

प्रभावित हुई है। इस कारण किसानों को राहत देने के लिए पहला काम है मुआवजा देना, फिर रोजगार दिया जाए और उसके बाद पीने के पानी की समस्या जो काफी विकराल है, उसका उपाय किया जाए। मैं नागौर संसदीय क्षेत्र से आता हूं वहां पानी 900 फीट तक नहीं है, ट्यूबवैल्स में पानी नहीं आ रहा है। वहां पर टैंकर्स द्वारा सैंकड़ों गांवों को पानी सप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए विशेष पैकेज भी देना पड़ेगा। राजस्थान के इन 19 अकालग्रस्त जिलों को सहायता की जबरदस्त जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से और गृह मंत्री जी से, जिनके पास एनडीआरएफ का फंड है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि राजस्थान के इन जिलों पर ध्यान दें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri P.P. Chaudhary are permitted to associate with the issue raised by Shri C.R. Chaudhary.

I would request the hon. Members to be very brief.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जहां से होकर गंगा व गोमती नदियां बहती हैं। इन नदियों से बालू माफिया अवैध तरीके से बालू का खनन करके लाखों के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। बालू खनन माफियाओं द्वारा मिश्रिख तहसील में गोमती नदी से फूलपुर, झरिया, अजीजपुर, बरगदिया, तेरवा घाट, बरेठी, दधनामऊ तथा बिलग्राम तहसील में गंगा नदी से छिबरामऊ, मेहंदीघाट आदि स्थानों से रात के अंधेरे में बालू का खनन किया जा रहा है। अवैध खनन के कारण राजस्व तथा पर्यावरण को नुकसान तो होता ही है साथ ही इन नदियों के किनारे स्थित खेत भी गड्ढों में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि इन बालू माफियाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करके अवैध बालू खनन पर रोक लगाई जाए जिसके कारण प्रत्येक महीने हो रहे राजस्व के नुकसान तथा पर्यावरण को बचाया जा सके।

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Thank you, Sir. The Union Government has recently reduced the funding for Sarva Shiksha Abhiyan, which is a Centre-State Government funded scheme, by 50 per cent from its earlier funding of 65.35 per cent. This has caused huge financial burden on the State Government.

Sarva Shiksha Abhiyan is the Fundamental Right for ensuring free and compulsory education to children as per 86th amendment to the Constitution of

India. The Central Government has to provide at least 75 per cent of fund for Sarva Shiksha Abhiyan but it even reduced the existing 65.35 per cent funding which was envisaged in the scheme.

In the Union Budget 2015-16 the Central Government had assured that the scheme will continue as it is fully supported by the Central Government. On the contrary they have reduced the funding to 50 per cent. The Central Government has put an additional burden of Rs.6,000 crore per annum on Tamil Nadu Government.

The Tamil Nadu Government under the able and dynamic leadership of our hon. Leader Purathi Thalaivi Amma is giving importance to education by providing free laptops, free bicycles and free bus passes to students. Amma has allotted Rs.20,936.50 crore for school education this year, providing free education for children from 6 to 14 years.

Hon. Amma has also requested the Prime Minister of India in the first week of October to immediately intervene in this matter and restore the old 65.35 per cent funding of the scheme. Hence, I once again request the Prime Minister to act on the request of our Amma and direct the Finance Minister and the HRD Minister to roll back the Central Government's proposal and restore the funding of the scheme to 65.35 per cent.

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, हमारी लोक सभा धौरहरा में कई महीनों से एक नेशनल हाइवे 24 से जुड़ी 730ए रोड है, जिसका जीर्णोद्धार अति धीमी गति से हो रहा है। सारी रोड टूटी हुई है। कई जगह पर गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने मंत्रालय को इस संबंध में कई लेटर लिखे हैं।

अतः आप के माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस 730ए मैगलगंज-औरंगाबाद-मोहम्मदी होते हुए पीलीभीत की रोड को जल्द बनवाने का कष्ट करें।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with your kind permission I would like to draw the attention of the House to the fact that the important valleys of tea estate in West Bengal's Darjeeling hills, Dooars and Terai region are now converting into the valleys of deaths. Sir, there are 273 tea gardens. Till date more than 100 people have died due to starvation and malnutrition.

Sir, as per a report by Harsh Mandar, the Supreme Court's Special Commission on Right to Food in September, 2015-16, Duncan tea gardens owned by G.P. Goenka in Dooars and Darjeeling are in a state of limbo. They are neither closed nor open in the true sense of the term.

This situation has added one more chapter of shameful history of hunger in the tea industry. As per report, none of the estates has a functional hospital, no medicine or other facilities in the hospital.

Since April, 2015, the situation has become miserable in all these gardens. Wages payment and bonus disbursement became irregular and yet the State Government did not take any step.

Wages are also very low in West Bengal. It is only Rs.97 in West Bengal; Rs.115 in Assam; Rs.206 in Tamil Nadu; and Rs.228 in Karnataka.

Other facilities like housing, drinking water, sanitation and medial facilities are not up to even minimum requirement.

As a result, some 100 workers died due to starvation and some 25-40 per cent workers and their families have left tea gardens in search of jobs else where.

So, I urge upon the Government to take some fruitful action to save the poor tea garden workers and their families.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोंदिया, महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों की वित्तीय हालत खराब हो चुकी है और भारी तादाद में बुनकर समाज काम की तलाश में यहां से सूरत, अहमदाबाद, नागपुर आदि शहरों में पलायन कर चुका है। इस स्थिति में उन्हें उपलब्ध सुविधा के तहत रेशम का कच्चा माल खरीदना बहुत बड़ी समस्या है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर एवं गड़चिरोली में टसर

सिल्क का जंगलों में उत्पादन किया जाता है, जबकि भंडारा में मलबरी सिल्क बाहर से खरीदकर बुनाई का काम ज्यादा होता है। इसलिए मलबरी सिल्क की खेती भंडारा-गोंदिया से शुरू की जाए, जिसके लिए वस्त्र उद्योग मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता है। अगर मलबरी सिल्क का कच्चा माल भंडारा-गोंदिया में ही उपलब्ध हो जायेगा तो वह सस्ता भी पड़ेगा। धान की फसल पैदा करने वाला किसान मलबरी सिल्क की खेती करना शुरू कर देगा तथा किसान एवं बुनकर समाज की माली हालत में सुधार आ जायेगा। बशर्ते टसर सिल्क की खेती की तरह सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने हेतु मलबरी सिल्क की खेती को भी अनुमोदित किया जाए। यहां के किसान एवं बुनकर समाज को सरकार से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Kirit Solanki is permitted to associate with the issue raised by Shri Nana Patole.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Now-a-days Climate Change is directly influencing the lives of the people of India. Recent floods and heavy rains in Chennai, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Nepal earthquake, Kurnool submergence, and water flown over Srisailam dam are a few such examples. Natural calamities and man-made calamities are two different classifications. Heavy rains are natural calamities whereas floods are mostly man-made calamities. Preparedness of the Governments to face such eventualities is highly questionable.

We allow the people to encroach the banks of the rivers, drains, water bodies and what not? National Highways are working as check dams, arresting the free flow of water. Under the guise of development and urbanization, we are forgetting the very path and basic principles. Water goes down freely is the natural principle, which we always forget. The result is the Chennai devastation which we are witnessing with our naked eyes. Innocent people are put to great sufferings and loss of life. Let us at least find solutions now to these man-made calamities. Let us scientifically gear up the system.

I would request the Government to appoint a high level scientific committee to study and suggest remedies to put a full stop to these man-made calamities.

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir.

India's Human resource is its greatest strength. Millions and millions of student population are pursuing their higher education either in professional courses like B.E., B.Tech., MBBS, B.L., B.Sc., (Agri) and many other streams. Most of the students from poor economic backgrounds are having no other support except getting education loan from nationalized banks. Even in getting the loan for their education, they suffer a lot of hardships. Their misery continues even after they complete their courses. They heavily suffer due to unemployment problems and inadequate opportunities to get proper jobs which force them to take up any other job irrelevant to their professional education for a meagre salary. Therefore they find it extremely difficult to repay their educational loans with interest.

So, I would like to urge upon the Union Government to either waive off the educational loan completely or at least waive off the interest fully and provide them with more time to repay their loan amounts.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीएजी की एक रिपोर्ट की चर्चा आपके माध्यम से सदन में करना चाहता हूँ। बिहार में चारा घोटाले की तर्ज पर और चारा घोटाले से भी लगभग 40 गुना अधिक राशि का गबन हुआ है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक किसानों की धान की खरीद के नाम पर ...* कर दिया गया है। ये किसानों के जले हुए घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। किसानों को जब इस समाचार की जानकारी हुई तो उन लोगों का दिल दल गया। एक तरफ तो किसान सूखे से पीड़ित है, जिनकी फसल हुई भी है, सरकारी दर पर उनके धान की खरीद नहीं हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर ... * पिछले कई वित्तीय वर्षों में बिहार सरकार द्वारा किया गया है। देश के किसानों के लिए यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं शर्मनाक भी है। महोदय, उस रिपोर्ट में इस चर्चा या जिक्र है कि जिस तरह से चारा घोटाले में भूसा या चारा की ढुलाई

* Not recorded.

स्कूटर या मोटरसाइकल पर हुई थी, ठीक उसी तरह से इस धान खरीद के घोटाले में भी धान मीलों तक स्कूटर से, बाइक से ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: This is a State subject.

...(व्यवधान)

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH: Sir, this is not a State subject only. This is a big scam. ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Making allegations is not allowed.

... (*Interruptions*)

श्री सुशील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में यह सीएजी की रिपोर्ट है। ...(व्यवधान) पार्लियामेंट में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You can mention about the irregularities. But do not make a mention of so much of amount which you cannot substantiate. If you want to raise a thing like this, then you have to give in writing that you want to make these allegations, otherwise the allegations cannot go on record.

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह ... * है और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। ...(व्यवधान) अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी है। ...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए और जो भी इसके लिए दोषी हैं, जिन लोगों ने किसानों के नाम पर इतनी बड़ी राशि का घोटाला किया है, सीबीआई इसकी जांच करे। दूध का दूध पानी का पानी हो। जो दोषी हैं, देश के कानून के तहत उन्हें कड़ी से कड़ी मिले। मैं यह मांग आपके माध्यम से भारत सरकार से करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे एवं श्री सुनील कुमार सिंह को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, in the State of Tamil Nadu, Jallikattu (Bull – Taming Sport), a sport of bravery has been organized since time immemorial and from the origin of the Tamil language and culture. In the year 2013, hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma had

---

* Not recorded.

organized this event all over Tamil Nadu, especially in the Southern districts under the direction of the hon. Supreme Court.

In the last two years the hon. Supreme Court has banned the Jallikattu sport. In my Parliamentary constituency, the places like Alanganallur, Avaniapuram, Palamedu, Pallavarayanpatti, Ayyampatti are very famous all over the world for this sport of bravery, namely, Jallikattu. The Government of Tamil Nadu organize Jallikattu during January 16 and 17 every year to along with out most important Pongal festival which is attended by a large number of foreign tourists from all over the world.

Hence, I urge upon the Government of India to take necessary steps to ensure the organizing of this brave sport Jallikattu every year in Tamil Nadu.

Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सब्जेक्ट भी वही है, प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में है। इसके पहले हमारे एक साथी प्रतापराव जाधव जी ने अच्छी तरह से उसके ऊपर अपने विचार रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के बेराज़गार युवक और युवतियों को आधार देने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरूआत की है। नौकरी तो मिलती नहीं हैं और बेराज़गारी बढ़ती जाती है। इसी वक्त ऐसे बेरोज़गार लोगों को मदद करने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक के माध्यम से अर्थ सहायता दे कर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधान मंत्री जी के विचार से शुरू हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से यह हो रहा है कि कई बैंको ने, इस योजना का जो उद्देश्य है, उसको दूर रखकर अपना फायदा कैसे हो सकता है, यह देखकर कई लोगों को जिनका एकाउंट ऑलरेडी बैंक में है, ऐसे एकाउंट होल्डर को ही पैसा देना शुरू किया। जिनको मदद चाहिए थी, जो असलियत में लाभार्थी थे, उनको इस योजना का फायदा नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंकों ने इस योजना को बंद करके रखा है और इस योजना के माध्यम से लोगों को जो मदद करनी चाहिए थी, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से विनती है कि प्रधानमंत्री जी की यह योजना है, इस योजना पर सही से अमल होना चाहिए।

SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Sir, my Parliamentary constituency, Tiruvannamalai comprises important towns like Thirupathur, Jolarpettai, Kalasapakkam, Keezh Pennathur and Chengam. There are a lot of families of ex-servicemen living in my constituency which require Kendriya Vidyalaya schools for their children to get quality education at a minimum cost but the entire area has only one KVS at Tiruvannamalai. Even today, the families of thousands of Defence personnel and soldiers serving our Armed Forces are living in and around Thirupathur Municipal Town. There is an urgent need to increase the quota of Members of Parliament from the present 6 to 20 to nominate students in getting admission in KVS as the number of deserving students seeking admission in KVS is increasing.

Therefore, I urge upon the Union Government to give permission for starting a new KVS at Thirupathur town and to increase the number of students from the MPs quota to 20.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महोदय, परसों सोमवार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र कांदीवली दामूनगर में एक बहुत बड़ी भयंकर आग लगी, जिसमें 1500 सौ से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए और दो लोगों की मृत्यु भी हो गई है। हमारे मंत्री महोदय प्रकाश मेहता जी और रामदास कदम जी ने तुरन्त वहाँ विजिट किया। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष सेलार जी ने मृतकों को कुछ राशि भी उपलब्ध कराई।

मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग है कि केन्द्र सरकार की जो आवास योजना है, उस आवास योजना के माध्यम से इन 1500 से अधिक लोगों को राज्य सरकार के साथ कोआर्डिनेशन करके तुरन्त अच्छे घर बनाकर दिए जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश यहाँ से निर्गमित हो, यह मेरी अपेक्षा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए लोगों को परमानेंट घर देने के लिए दस साल पहले आदेश दिये, लेकिन पिछली सरकार के आवास न बनाने की वजह से उनको अभी तक घर नहीं मिला है। ऐसे सारे लोगों का इस आग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार से विनती करना चाहूँगा कि घर जलने के कारण जिनका भी नुकसान हुआ है, उन सारे लोगों को पैसे दिए जाए। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की जमीन पर बसे हुए सारे लोगों को प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, स्वच्छ भारत के माध्यम से स्वच्छ पानी, लाइट और

शौचालय तुरन्त उपलब्ध कराए जाएँ। मैं यह माँग भी जीरो ऑवर में आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Deputy-Speaker Sir, in view of the flood situation in Tamil Nadu, the hon. Minister of Road Transport has ordered suspension of toll collection on National Highways in the State of Tamil Nadu till today.

This order has been issued by the Government mainly to help the affected people in different parts of the State and to ease the rescue and relief operations being undertaken by various agencies but it is unfortunate that the staff of the toll plazas on the Highways are forcing the people to pay the toll fee which has thrown the orders in the air. Particularly toll plazas in Trichy, Samayapuram, Vikravandi, Ulundurpettai and other toll plazas have collected toll fee against the orders of the Government.

The inhuman attitude of toll plazas has intensified the pain of people who have already been affected by the massive floods in Tamil Nadu.

Therefore, I urge the hon. Minister to inquire into the matter by sending high level officials of NHAI and take penal action against those toll plaza contractors who collected toll fee forcibly from the vehicles in Tamil Nadu.

I also request the hon. Minister to extend the suspension of toll fee collection till the end of December.

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मरे निर्वाचन क्षेत्र के मांझी, मँझवा, सौंरा व पठारी जनजाति के लोगों को सूची में शामिल होने के बाद भी रोमन लिपि में लिखे जाने, उच्चारण में अंतर होने, मात्रा अथवा वर्तनी की त्रुटि होने जैसे कारणों से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाने के कारण संवैधानिक लाभों से वंचित होना पड़ रहा है।

महोदय, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी प्रकार प्रदेश की अन्य जनजातियों, जैसे भरिया, भुंइहर, पंडोह, गदबा, गोंड़, नागवंशी, तँवर क्षत्री, खैरवार, गोंद, गोड़ाकू, भांगड़, पठारी की विसंगतियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से प्रस्ताव सहित आग्रह किया है जिस पर माननीय मंत्री जी

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अवगत कराया है कि कार्यदल ने अपनी अनुशंसा सहित सरकार को विचार के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

सरकार से मेरी मांग है कि इस प्रकार जाति के नामों में मात्रात्मक वर्तनी, ध्वन्यात्मक विसंगति को दूर करने पर शीघ्र विचार करें तथा इन जनजातियों के परिवारों को शिक्षा, नौकरी एवं अन्य संवैधानिक लाभों हेतु अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को निर्देश जारी करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria is allowed to associate with the matter raised by Shrimati Kamla Devi Patole.

Shri C.Mahendran – not present.

SHRI M. UDHAYA KUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy-Speaker, thank you for allowing me to raise an important matter in this august House.

National Highway, NH 209, falls entirely within the State of Tamil Nadu and Karnataka. In Tamil Nadu, it covers 286 kms. and in Karnataka it covers 170 Kms. The Highway is maintained by the National Highways Authority of India. This Highway links Dindigul with Bengaluru. It runs for a distance of 456 kms. This National Highway passes through Dindigul – Pollachi – Palani – Coimbatore – Annur – Kollegal – Bengaluru.

Currently NH 209 is in a bad condition. It has numerous curves which pose a threat to the motorists.

The initial proposal is to widen the 200 kms. stretch into a four-lane road. The project has two sections, from Dindigul to Coimbatore and from Coimbatore to Karnataka border. The proposal includes four major bridges, 30 minor bridges, vehicular and passenger underpasses, road over bridges and as many as six bypass roads between Dindigul and Coimbatore. The proposal is to have service lanes in some areas where there were major towns or cities. Flow of traffic is high on the existing two-lane stretch between Dindigul and Palani and also from Coimbatore to Udumalapet and widening of the road will ensure smooth flow of traffic.

Even as there is increasing demand to widen National Highway 209 from Dindigul to Bengaluru, the National Highways Authority of India is expecting the consultant to finalise and submit the feasibility report for the project in a couple of months. The NHAI is pursuing the matter and waiting for the final feasibility report for a long period. Also there is a proposal for extending this Highway as NH 209 – A, which splits from Sathy towards Erode *via* Gobi and reaches Dindigul *via* Sivagiri, Aravakkurichi.

I urge upon the National Highways Authority of India to speed up widening of National Highway 209 connecting Bengaluru and Dindigul *via* Chamarajanagar and Coimbatore. Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक आशा यात्रा, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और कश्मीर तक जाने वाली है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। देश में शान्ति एवं सद्भाव को लेकर श्री एम, जो कि एक मुस्लिम परिवार में 6 नवम्बर, 1948 को तिरुवनंतपुरम में जन्मे थे, वे एक आध्यात्मिक गुरू, समाज सुधारक व शिक्षाविद् हैं। वे 19 वर्ष की अवस्था में योगी हो गये थे, उन्होंने हिमालय में तप किया। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 7500 किलोमीटर की पदयात्रा 12 जनवरी, 2015 को शुरू की है, जो 18 माह में पूरी होगी। इस यात्रा का नाम आशा यात्रा है, जो देश में 11 राज्यों से गुजरेगी। इस यात्रा का जगह-जगह अत्यन्त स्वागत हो रहा है और सभी धर्मों के लोग उन्हें मिल रहे हैं।

एक तरफ विपक्ष देश में असहिष्णुता फैल रही है, ऐसा दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। ऐसे समय में श्री एम जी ने सर्वधर्म समभाव का तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा चलाये जा रहे अखण्ड भारत - स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत - शिक्षित भारत, बेटी पढ़ाओ - बेटी बचाओ का संदेश लेकर राष्ट्रव्यापी आशा यात्रा कर रहे हैं। मैं उनको सफल यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और संसद से भी ऐसी यात्रा के बारे में मैं चाहूंगा कि अपनी शुभकामनाएं दे। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Subhash Chandra Baheriya, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the 'Zero Hour' issue raised by Shri Ganesh Singh.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for calling me to raise an important issue.

International crude oil prices have fallen from US $ 116 per barrel in July 2014 to US $ 45 at present. But the Oil Marketing Companies in India have not reduced the prices of petrol/diesel matching with the fall in international prices. To match with the fall in international prices, the prices of both petrol and diesel should have been reduced. The Oil Marketing Companies take independent decision on petrol/diesel prices without even bothering to discuss with the Government. This is not at all good for both the Government and the people.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Amma has demanded that Union Government should instruct the petroleum companies to withdraw the rise in petrol and diesel prices and effect a rollback immediately to pass on the real benefits of falling international crude oil prices to the consumers. It is high time the Union Government formulated and effected a price control and regulation policy and insist on the oil marketing companies to strictly adhere to it while fixing the price of petrol and diesel.

I, therefore, urge upon the Union Government to formulate an effective price control and regulation policy and to stop the unilateral decisions made by the Oil Marketing Companies to benefit the consumers.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, आज शून्यकाल के तहत लोकहित के अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

मेरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के 49वें किलोमीटर पर धनकौल चौक पर पुल पिछले 8-9 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। यह शिवहर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क पुल है। फिलहाल तो डाइवर्शन के सहारे इस सड़क से आवागमन जारी है, परन्तु वर्षा के दिनों में जलजमाव से यहां आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिवहर एवं सीतामढ़ी दो जिलों को परस्पर, आपस में जोड़ने वाले इस लाइफलाइन सड़क पुल का निर्माण जनता के व्यापक हित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग 104 के 49वें किलोमीटर के धनकौल चौक पर एक आर.सी.सी. पुल का निर्माण कराने की कार्रवाई की जाये, जिससे कि उक्त पुल एवं सड़क मार्ग से आवागमन सुगम हो सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now it is going to be Six of the Clock in the evening. Therefore, if the House accepts, we can extend the time of the House till the other Members speak during the 'Zero Hour'.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Tahal Chaudhary

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रांची झारखण्ड से आता हूं। रांची में एक एच.ई.सी. (हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन) है, वह भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। वहां पर 15-20 साल पहले जो लोग रिटायर हुए थे, रिटायर होने के बाद अभी तक उनको न पैंशन मिली है, न ग्रेच्युटी और न पी.एफ. मिला है।

18.00 hours

वहां मज़दूरों का करोड़ों रुपया बकाया है। बहुत-से लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज़ नहीं करा पाए और बहुत-से लोगों की मृत्यु हो गयी। अभी जो लोग बचे हुए हैं, वे भारी आर्थिक कठिनाई में हैं। संघ के प्रतिनिधियों और मैनेजमेंट की आपस में वार्ता हुई और तय हुआ कि जल्दी पेमेंट करेंगे। हमने इसे कई बार सदन में भी उठाया है और मंत्री जी से भी इसके बारे में कहा है। मगर, वह मज़दूरों की बकाया राशि अभी तक नहीं मिली है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वह उन गरीब मज़दूरों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करे।

SHRI R. GOPALAKRISHNAN (MADURAI): Respected Chairperson, with the blessings of our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi Amma,* I would like to raise once again the matter regarding completing the outer ring of Madurai.

Madurai city is the third biggest city in Tamil Nadu. It is a traditional city having potential to grow manifold in the coming years. The popular Meenakshi Amman Temple draws lakhs of people daily from all over the world. Being centrally located between the southern and northern districts of Tamil Nadu, Madurai well deserves to have all the hi-tech and updated infrastructure facilities. Construction of the Outer Ring Road around Madurai city is a very important one among such

infrastructures. Madurai city is called as Thoonga Nagaram, a city that never sleeps. Such is the movement of traffic and people there.

On behalf of the people of Maudrai, I would like to convey our gratitude for laying foundation stone for four-laning of Madurai to Ramanathapuram recently. The National Highways Authority of India (NHAI) is the nodal organization to execute the construction of Outer Ring Road. Understanding the growth potential and the need of Madurai city, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchi Thalaivi Amma* has already allocated Rs. 200 crore towards four-laning of the existing half ring road there. The efforts of our hon. *Amma* has to be complimented. Government has to direct NHAI to expedite the project and for acquiring the land required for the project. Therefore, I urge upon the Union Government to complete all the formalities and procedures for speedy completion of Outer Ring Road of Madurai in the public interest.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदय, मध्य प्रदेश, मणिपुर और हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत बांस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लेकिन, उसके बाद भी 62% से ज्यादा चीज़ें, चाहे वे अगरबत्ती की कड़ियां हों, या पतंग की कड़ियां हों, वे आयात की जा रही हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस पर वैल्यू एडीशन कर दिया जाए। मणिपुर जैसे राज्य में बांस की 34 वेरायटीज़ हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य है। हमारे पास हुनर भी है और कच्चा माल भी है। उसके बावजूद भी इसका आयात हो रहा है। इस पर हैवी ड्यूटी लगायी जानी चाहिए और उसके विकल्प के रूप में यहीं पर संसाधन खड़े हों। उनका वैल्यू एडीशन किया जाए। यह मांग मैं भारत सरकार से करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहूंगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे तमिलनाडु हो, या कोई भी राज्य हो, अगर हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, तकनीक हैं, छोटी मशीनें हैं, तो इसके आयात को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sunil Kumar Singh, Shri Kariya Munda, and Shri Bidyut Baran Mahato are allowed to associate with the issue raised by Shri Ram Tahal Chaudhary.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Speaker Madam, Under the able guidance of our hon. Chief Minister *Puratchi Thalaivi Amma,* I would like to draw the attention to the Minister of Agriculture with regard to soil resource. In order to preserve soil resources awareness cause in the world, the United Nations Director for Food and Agriculture Organisation, Jose Graziano Tacilva had announced that the year of 2015 is declared as the "World Soil Resource Day". Every Year, December 5th is celebrated as a World Soil Day. On that day we all take our responsibility to ensure protection of soil resources.

Soil contains 25 percent air, 25 percent water, 45 percent minerals and 5 per cent bacteria. To form the surface of the 2.5 depth's soil, thousand of years is required. It is good to see flourish and blooming in agriculture. Depending on the top of the soil, crop reaches the yield. Crores of bacteria, lakhs of Actinomyces bacteria are living on the top of the soil. Sir, in 1.4 tonne per acre crop land earthworms live. Earthworms create rich soil to the tune of 15 tonne per year. In India , 45 percent of the land is used for cultivation.

Our hon. Prime Minister launched the "Soil Health Card Scheme" for the benefit of the farmers in India. This step to issue Soil Health Cards to farmers will ensure that they are aware of the quality of soil so that they can use right fertilizers.

Our hon. Chief Minister *Puratchi Thalaivi Amma* implemented many pioneering schemes in Tamil Nadu like the Social Security Scheme for Farmers and their Dependent Family Members of Farmers. This scheme is offering various welfare benefits to farmers.

Hence, in order to preserve the soil resource, I humbly request the Central Government to allot adequate funds to create awareness about soil health among farmers in Tamil Nadu.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय, मैं आपका ध्यान भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। आज समाज में कर्तव्य और अधिकारों की बात होती है तो लोगों की कर्तव्यों के बजाय अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूकता है। आज शिक्षा ऐसी दी गई, जिसके लिए लोगों ने रचनात्मक भूमिका के बजाय विध्वंसक भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वह आमजन हो, छात्र-छात्राएं हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, चाहे हमारे कुछ साथी नेता भी हो सकते हैं, लेकिन जब नैतिक शिक्षा की कमी होती है तो वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। उसी वजह से वे अपने कार्यों को अच्छी दिशा देने के बजाय गलत दिशा में ले जाते हैं और अपनी योग्यता का दुरूपयोग करने लगते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कक्षा एक से बारह तक नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों में नैतिक शिक्षा मजबूत हो और देश सही दिशा में चल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Manoj Rajoria.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार, फिर एक बार बिहार का यह नारा था। मैं ...* के बारे में कहना चाहूंगा। ...* की धान खरीद घोटाले का ब्यौरा मैं विस्तार से देना चाहूंगा। दो घाटाले हुए, इसमें गड़बड़ी का आलम यह है कि हजारों टन धान की ढुलाई मोटरसाइकिल, आटो रिक्शा, टैक्सी, ठेला, जुगाड़ और कार से की गई।

कैग की यह रिपोर्ट वर्ष 2009 से लेकर 2013-14 के दौरान हुई धान की खरीद पर आधारित है। लेवी राइस मिलिंग में ... * का पता लगाया गया। संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से 18,000 करोड़ रूपए धान की खरीद दिखाई गई है, लेकिन किसी किसान की पहचान का ब्यौरा नहीं दिया गया है। धान की इस पूरी खरीद पर सवाल खड़ा किया गया है। किसानों के खाते में न रकम जमा कराई गई और न ही उनका कोई ब्यौरा दर्ज कराया गया। रिपोर्ट में कुल नौ प्रमुख गड़बड़ियों का पता लगाया गया है। इसका सीधा मतलब चावल मिल मालिकों को फायदा पहुंचाना रहा है। कैग ने कहा है कि 3,743 करोड़ रूपए का फायदा धान के सह उत्पादों के रूप में मिलों को पहुंचाया गया है, जिसमें धान की भूसी, राइस ब्रान व अन्य उत्पाद शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य

---

* Not recorded.

होगा कि चावल मिलों को इसके भुगतान में 194 करोड़ की अनियमितता की गई। अवधि में 18 हजार करोड़ रूपए का धान खरीदा गया, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिला।

महोदय, आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा के दोनों ओर स्थित बिहार के 15 जिलों के भूजल में आर्सेनिक के स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी हुई है। इसके कारण इस इलाके में रहने वालों के लिए कैंसर का खतरा बढ़ गया है। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे के दोनों तरफ के 57 विकासखंडों के भूजल में आर्सेनिक की भारी मात्रा पाई गई है। आर्सेनिक नामक धीमे जहर के कारण लीवर, किडनी के कैंसर और गैंगरीन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सर्वाधिक खराब स्थिति भोजपुर, बक्सर, वैशाली, भागलपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, दरभंगा जिलो में हैं। गांव हराइल छापर में भूजल के एक नमूने में आर्सेनिक की मात्रा 2,100 पीपीबी पाई गई, जो कि सर्वाधिक है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 80 मीटर से अधिक गहरे बोरिंग में आर्सेनिक की मात्रा नहीं पाई गई। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में 10 पीपीबी की मानक मात्रा तय की है, जबकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सुरक्षित मात्रा 50 पीपीबी मानी जाती है। गतवर्ष में शासन की पहल पर 398 गांवों में 19,961 ट्यूबवेल के भूजल के नमूने कराए गए। सर्वे के मुताबिक 310 गांव में आर्सेनिक स्तर अधिक पाया गया।

महोदय, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो। पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। ...(व्यवधान) मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस घोटाले की जांच सीबीआई के द्वारा हो।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajesh Ranjan

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद बिलासपुर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट, रेलवे जोन का मुख्यालय, एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय, अपोलो हॉस्पिटल और सेन्ट्रल युनिवर्सिटी के साथ विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक संस्थान स्थित हैं, उनमें हमारे प्रदेश और अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग बिलासपुर से होकर गुजरती है, जिस पर दो लालखदान एवं चकरमाठा ओवर ब्रिज का काम सन् 2009 में पूरा होना था, जिनका काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिसके कारण बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर के साथ-साथ झारखंड और ओडिसा से आने वाले यात्री हैं और आस-पास के इलाकों से जो रोज आना-जाना करते हैं, वहां पर रोज 150 रेल गुजरती हैं, ऐसे रेलवे ओवरब्रिज को वर्ष 2009 में पूरा होना था, लेकिन

बहुत दिनों के बाद भी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है। इस विषय के संबंध में मैं डीआरएम से मिला हूं, डीआरएम के साथ मिटिंग में इस मुद्दे को उठाने के बाद भी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि छः बार के सांसद रहे, सम्मानीय परसराम भारद्वाज जी का हार्ट अटैक के कारण इलाज के लिए जब उन्हें बिलासपुर लाया जा रहा था, तो उनको एक घंटे तक रेलवे क्रॉसिंग पर रोकना पड़ा, ऐसे क्रिटिकल केस और घटनायें वहां पर रोज घटित होती हैं।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लालखदान एचं चकरमाठा दोनों रेलवे ओवरब्रिज का काम शीघ्र पूरा करवाया जाये।

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Thank you Deputy Speaker, Sir. I would like to bring to your kind notice about the problems being faced by the passengers traveling in the trains. Passengers are complaining of rodent and cockroach problem in the railway coaches. Moreover, the bed sheets provided are not clean and the blankets are not at all washed properly and are causing allergy to the passengers.

So, I urge upon the Government to improve the hygienic conditions in the train coaches. Thank you.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर दो जिले आते हैं। बांदा जिले में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, फलस्वरूप यहां के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों के साथ कर्मचारियों के बच्चों को होती है। इसी प्रकार चित्रकुट जनपद में केन्द्रीय विद्यालय तो खुल गया है लेकिन वहां निजी भवन न बन पाने के कारण आगे शीघ्र ही उस विद्यालय को भी बंद होने की नौबत आ गयी है।

इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि बांदा जनपद में यथाशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय इसी सत्र से शुरू कराने व बांदा एवं चित्रकुट दोनों जनपदों के केन्द्रीय विद्यालयों का भवन यथाशीघ्र निर्माण कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

SHRI S. RAJENDRAN (VILUPPURAM): Hon. Deputy Speaker, Sir, because of global warming and changes in climatic pattern, there has been a heavy rainfall in Viluppuram district of Tamil Nadu.

A lot of people lost their entire valuables, cattle and livelihood in this heavy rainfall. Our Tamil Nadu Chief Minister Dr. Puratchi Thalaivi Amma has initiated

so many timely measures to protect the people of Tamil Nadu from this unforeseen situation on war-footing basis.

My district, Viluppuram is fully an agrarian district and people only depend upon agriculture for their livelihood. There are 4.5 lakh farming families in Viluppuram district, which is one of the potential agriculture districts of Tamil Nadu. Viluppuram district received 858 mm rainfall during November 2015 and first week of December 2015 which is almost 100 per cent of the rainfall.

In Villupuram District around one lakh acres of crop of paddy, groundnut, pulses maize, sugarcane have been lost. There is every possibility that this damage figure will further go up.

To redress the grievances of the farmers, the following relief activities should be started: Immediate relief to the affected farmers; all farmers should be covered under the Crop Insurance; and seeds, fertilizers and plant protection chemicals should be provided free of cost. Thank you.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायती चुनाव के विषय में दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मेरे लोक सभा क्षेत्र कौशाम्बी के प्रतापगढ़ जनपद, तहसील कुंडा में ग्राम आमिपुर, थाना संग्रामगढ़, ग्राम रामनगर, थाना महेशगंज, कुसाइल बाजार, थाना मानिकपुर में बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। वहां दबंग लोगों ने मत पेटियों को लूटा। जब गांव वालों ने विरोध किया तो वहां दंगा हुआ और पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। इस गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और वहां के एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से सस्पैंड कर दिया, नीचे के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले क्षेत्र के पंचायत चुनाव में भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। वे तत्काल हस्तक्षेप करें और प्रतापगढ़ में जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ है, उसे निरस्त करके फ्रैश चुनाव कराए जाएं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sharad Tripathi is permitted to associate with the issue raised by Shri Vinod Sonkar.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do not bring State subjects here. It is not to serve any purpose. Let the members to speak in the State Assemblies not here.

… (*Interruptions*)

श्री विनोद कुमार सोनकर: हम अपनी बात कहां कहें।...(व्यवधान) वहां काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Law and order is a State subject. It is not good to bring such subjects here.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: State Assemblies are also there to look into it. I request the hon. Members that we have to follow certain rules. If we bring State Government subjects, then everybody will take this opportunity and criticize the State Governments. It is not fair. We should not discuss like that. You can take any common issue like issues related to Scheduled Caste and Scheduled Tribes of a State. It is all right. But it is meaningless to discuss about State law and order situation. It is not correct.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा मत क्षेत्र वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। अगले कुछ महीनों में यह कार्यरत हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के परिचालन का आरंभ भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बताना चाहती हूं कि मेरे मत क्षेत्र वडोदरा में कार्यरत एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट वडोदरा से मुम्बई के बीच परिचालित नहीं है। एयर इंडिया ने दिनांक 24.10.2009 को आखिरी फ्लाइट इस रूट पर चलाई थी। आज छः साल बीत गए लेकिन एयर इंडिया की एक भी फ्लाइट वडोदरा से मुम्बई के बीच सेवारत नहीं है। निजी हवाई उड्डयन संस्थाओं की दैनिक फ्लाइट वडोदरा से मुम्बई के बीच सेवारत है। मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध करना चाहती हूं कि एयर इंडिया की फ्लाइट वडोदरा से मुम्बई तक चलाई जाए।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. I would like to bring an important issue to the notice of the House through this august House.

Apple is the king of fruits. At the end of the season at Kashmir, apple is imported from foreign countries. That is the only way to fulfil the demands of the Indian consumers. Up to September, 2015, apple was imported to India through various ports like Chennai port, Mumbai port etc.

Nowadays, import of apple from Chennai Port Trust is banned by the Government. The import of apple is only allowed through the Mumbai Port.

Imported apples are being transported to other parts of the country, including Chennai, by lorries and other modes of transport. This process involves additional cost, which is impacting the common man.

The Chennai Port Trust is not allowed to import apples from abroad. In the absence of the Chennai Port Trust being allowed to import apples, the traders are put to hardships. Since apple is a perishable commodity, the traders have to bring it to the consumers early so that they do not suffer loss on account of wastage.

Hence, I would request the Government of India to look into matter seriously and permit the Chennai Port Trust to import apples straight from abroad.

Except Mumbai Port Trust, all the other Ports in India are banned importing apples from foreign countries. So, the Government should take necessary steps to permit importing apples from foreign countries by all the Port Trusts in India.

Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: I would like to make a request to all the hon. Members. Here afterwards, whose names are not in the list of Members for raising ‘Zero Hour’, when they want to raise their matter in the House, they are requested to give the subject matter that they want to raise apart from their name. Only then, I will allow them; otherwise I would not allow them. Here afterwards, that has to be followed.

Now, Shri Nalin Kumar Kateel.

*__SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) :__ Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the controversial 'Yettinahole'drinking water project of the Government of Karnataka. Madam, the proposed Yettinahole drinking water project of the Karnataka Government would be disastrous to the environment of the region. It would have adverse impact on agriculture of the area. The river Netravati is the life line of Dakshina Kannada district of Karnataka. The project if implemented would badly affect the Western Ghats which is recognized as world heritage site. Western Ghats is the home of numerous flora and fauna. They are already facing threats from industries and urbanization. It is the need of the hour to preserve and conserve the Western Ghats. There are protests against this proposed drinking water project not only from the people of Dakshina Kannada district but also from the environmentalists. In the beginning the name of the drinking water project was "Scheme for diversion of flood water from Sakaleshpur (West) to Kolar/Chikkaballapura (East)," the Government of Karnataka has renamed it as Yettinahole drinking water project in order to convince the Union Environment Ministry to get the clearance for the project.

I would like to point out that the State Government has not taken the consent of the farmers to acquire the land for the project. This is a clear violation of Section 11 of the Land Acquisition Act, 2013. Further, the Government of Karnataka has not conducted any study to analyse the pros and cons of the project. It has taken unilateral decision to spend Rs.13,000 crores on the controversial water project. Therefore, I urge upon the Union Government to seek immediate explanation from the Government of Karnataka and also issue a direction to stop the project without any delay.

---

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा देश और विदेश में विकलांगों के नाम पर चंदे की उगाही की जा रही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी आ चुकी है भारत इस समय पोलियो से मुक्त हो चुका है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि अपने ही देश का नारायण सेवा संगठन इतनी धनराशि देश और विदेश से जुटा लिया है कि जितनी धनराशि का क्लेम वह अपने यहां उपस्थित विकलांगों के लिए करता था उससे ज्यादा विज्ञापन में खर्च कर डाला। बीबीसी लंदन सामाचार एजेंसी को भी इस बारे में बोलना पड़ा। मैं आपके माध्यम से सरकार आग्रह करता हूं कि इन जैसी संगठनों को चिहिन्त करके कठोरता से कार्रवाई की जाए, जो विदेशों में अपने विकलांगों का मजाक उड़ाने का काम कर रही है।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पालीथाना से ब्रांदा की वीकली ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन एक ट्रिप लगाकर भावनगर आकर पांच दिन तक रुकी रहती है, इसका कोई यूज नहीं है। हिन्दू धर्म का हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थान है, हजारों की संख्या में लोग वहां यात्रा करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र भावनगर और आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों लोग हरिद्वार की यात्रा करते हैं। यह दुख की बात है कि एक भी ट्रेन आसपास के जिले से भी हरिद्वारा के लिए नहीं चलाई जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि एक ट्रेन जो भावनगर में ऐसे ही पांच दिन तक रुकी रहती है, उसका यूज हो जायेगा और हजारों श्रद्धालुओं को उससे सहूलियत भी मिल जायेगी। भावनगर डिवीजन ने यह प्रपोजल रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द भावनगर से हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान जी ने पन्द्रह वर्ष पूर्व बिलाड़ा से बर तक एक मीसिंग लिंक का उद्घाटन किया था। उस मिसिंग लिंक को रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन पिछली यूपीए सरकार में प्लानिंग कमीशन ने यह कहकर उसे निरस्त कर दिया कि वह कमर्शियल वायेबल नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि कमर्शियल वायेबिलिटी के साथ-साथ सोशल वायेबिलिटी भी देखी जाती है। उसके अलावा जो सर्वे किया गया था, वह करीब पन्द्रह साल पहले किया गया था। अब वहां सीमेंट उद्योग और लाइम स्टोन के उद्योग आ गये हैं। पैसेंजर्स का भी इनफ्लो ज्यादा

बढ़ा है और स्ट्रेटेजिकली प्वाइंट ऑफ व्यू से आर्मी वगैरह के लिए भी यह रेल लिंक बहुत जरूरी है। इससे जोधपुर से दिल्ली के लिए बहुत ही सीधा रास्ता बन जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका पुनः सर्वे कराया जाये।

इतना ही नहीं, मेरे लोक सभा क्षेत्र में काफी स्टेशन आते हैं, जिनमें रेलों का ठहराव नहीं होने की वजह से पैसेंजर्स को 50 किलोमीटर पहले उतरकर अपने गंतव्य स्थान पर दूसरा साधन करके जाना पड़ता है, जैसे पीपाड़ रोड़, सोजत, सोमेश्वर, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, सुमेरपुर और पाली। यदि इन सबमें दो-दो मिनट महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव हो जाये, तो दक्षिणी भारत से आने वाले ट्रेनों, चूंकि दक्षिण भारत में हमारे बहुत ज्यादा लोग हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में हैं। वहां सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वहां जो भी स्टेशन आते हैं, उन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव हो जाये, तो पैसेंजर्स को बहुत सुविधा हो जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise an important issue. I would like to bring to the notice of this august House about the tragic life of the SC/ST community in Kerala.

There is not a more lamentable sight in the habitats of the SC/ST than to witness the large numbers of squalid and dehumanised people who live in inhuman conditions in Kerala.

Lamentable sight of homelessness and the destitute poor in these locations is heart-rending. But the Government of Kerala is apparently turning a deaf ear to the cries and pleas of SC/ST community.

Inequality and poverty are visible to any person, who visits these ghettoes in a modern India. Added to the woes, there is rampant stigmatisation and social alienation encountered by these hapless sons and daughters of India. Indeed it is a blemish on the psyche of a developing India. Their dismal living conditions always perpetuate untold misery and they are victims of isolation and marginalization.

Sir, I visited habitats at Attappadi, Wayanad, Kasaragod and Pathanamthitta Districts in Kerala. The quantum of hardships they suffer, are beyond perception

of human mind in these places. What do they do in the end? Frustrated and isolated, they take to drinking and smoking of *ganja*. They beg and live in abject poverty. Their innocence is exploited by the town dwellers. Their respectability, honour, dignity, freedom from exploitation, appropriate living conditions etc., are to be regained and retained so that posterity will not put the blame on us.

The culture of these *vanavasis* has to be preserved as they belong to an ancient sect of people, who believed in the beauty of nature, aesthetic settings, harmony with nature, simple life, respectability, mutual help, democratic principles and fear of natural objects. They are the original inhabitants of our country and they deserve respect, decent living conditions, educational opportunities, proper healthcare, jobs, conservation of the habitat, property rights, skill development and access to resources so that their economic conditions improve. They also deserve better housing facilities, better roads and infrastructure, and good drinking water. They are to be protected from the impact of climate change too.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Thank you.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एनडीए सरकार के शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। यह रा ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद और भीलवाड़ा होते हुए उदयपुर निकलता है। उस रोड की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि इसके बीच में टोल प्लाजा पर एक वाहन को कम से कम दो घंटे रुकना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह है कि इस राजमार्ग को पूरा रिपेयर किया जाए। टोल प्लाजा में दो घंटे एक वाहन को निकलने में लगते हैं। मेरा निवेदन है कि या तो इसे बंद किया जाए या तो इसमें सुधार किया जाए ताकि पांच मिनट में वाहन निकल सके।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक कठिनाई की तरफ खींचना चाहता हूं। आज कहीं संदेहास्पद मृत्यु, दुर्भाग्यपूर्ण घटना या हत्या में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में परिवार वैसे ही दुखद अवस्था में होता है लेकिन पोस्टमार्टम के लिए परिवार बहुत कठिनाई झेलता है। मान लीजिए अगर आज मृत्यु हुई, आज का दिन, आज की रात,

कल का दिन, कल की रात तक परिवार दुखद स्थिति में लाश लेकर पड़ा रहता है। पुलिस वहां भी तांडव करती है। इस तरह से कफन में से रिश्वत खसोटी की कहावत चरितार्थ होती है। आज मानव चांद पर चला गया, मंगल पर जा रहा है, डिजिटल गवर्नमेंट हो रही है, ई-बैंकिंग हो गई है, रेल मंत्रालय ट्विटर पर आई समस्या पर हैल्प पहुंचा रहा है। माननीय मोदी जी की अगुवाई में इतना बड़ा काम हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए कि पोस्टमार्टम के लिए किसी को 30 घंटे इंतजार न करना पड़े ताकि उसे जल्द से जल्द सुविधा मिले।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vinod Kumar Sonkar, Shri Sushil Kumar Singh and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : … *

HON. DEPUTY SPEAKER: His previous issue will not go on record.

श्री अश्विनी कुमार चौबे: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाना चाहता हूं। उत्तराखंड के देवभूमि स्थित चमौली के प्राचीन एवं प्रसिद्ध गोपेश्वर शिव मंदिर का शिखर वर्षा जल के कारण क्षीण हो रहा है। साथ ही त्रेता युग के समय का लाखों वर्ष पुराना शिव मंदिर का त्रिशूल एक पुरातत्विक अनूठी धरोहर के रूप में विद्यमान है। इसके उचित संरक्षण के अभाव में नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। इस त्रिशूल पर देवलिपि ब्रहमलिपि में महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज हैं किंतु भारतीय पुरातत्व विभाग अभी तक इसकी जानकारी लेने में असफल रहा है। शिव मंदिर का लाखों वर्ष पुराना त्रिशूल जो पुरातात्विक रूप से राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है, इसके संरक्षण के लिए बिहार राजगीर की एक संस्था, राजगीर पंडा समिति भारतीय पुरातत्व विभाग को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें संस्था ने त्रिशूल के संरक्षण में आने वाले व्यय को भी खुद ही वहन करने की बात कही है। संस्था से संबंधित जयनारायण सरस्वती ने दावा किया है कि त्रिशूल का उचित संरक्षण नहीं हो पा रहा है। त्रिशूल पर हुए वास्तविक रंग

* Not recorded.

को हटाकर उसकी जगह दूसरा रंग, केमिकल इस्तेमाल करने से क्षति हुई है। शिखर के मंदिर की छत टपकने लगी है जिससे शिव मंदिर के त्रिशूल का निर्मूल नट होने की कगार पर है।

अतः मैं पुरातत्व विभाग से मांग करता हूं कि श्री गोपेश्वर शिव मंदिर एवं त्रिशूल के संरक्षण हेतु कारगर योजना बनाए और प्राचीन विधि से त्रिशूल को संरक्षित किया जाए अन्यथा उक्त संस्था के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत कर उन्हें सौंप दिया जाए।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अन्तर्गत जादुगोड़ा तथा सटे हुए क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम का विशाल भंडार है। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। झारखंड विशाल संसाधनों के साथ संपन्न है। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है जो जर्मनी में खनिज प्रदेश के नाम से विख्यात है। यहां पर जादुगोड़ा खान, भाटिन खान, तुरामडीह खान, बागजाता खान, नरवापहाड़ खान, बाडुहुरांग खान जैसे खानों से अयस्क निकाला जाता है। जादुगोड़ा, भाटिन तथा नरवापहाड़ खान के अयस्क को जादुगोड़ा खान के निकट केन्द्रीय संसाधन संयंत्र (मिल) में संसाधित किया जाता है। जादुगोड़ा मिल में यूरेनियम को अयस्क से अलग किया जाता है। तुरामडीह में तुरामडीह खान एवं बाडुहुरांग खान से प्राप्त अयस्क को संसाधित करने के लिए एक नये प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

महोदया, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को 2014 तक परमाणु ऊर्जा का उत्पाद 17 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए काम करने का निर्देश दिया था। भारत अपने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आने वाले दिनों में इस हद तक विकसित कर लेगा जिससे 2020 तक देश में 14600 मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य तो हासिल किया ही जा सकेगा साथ ही देश में प्रयुक्त होने वाली बिजली की जरूरत का 25 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से पूरा हो सकेगा। अत: आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यहां पर एक परमाणु संयंत्र की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पेयजल की सेफ्टी के बारे में प्रश्न उठाना चाहता हूं। अकसर पाया जाता है कि कंटैमिनेशन की वजह से पेयजल दूषित होता है। पिछले दस पन्द्रह सालों से ऐसा पाया जाता है कि विटामिन बी-12 की कमी ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। पिछले 15 सालों से एक बात सबके सामने आई है और आज किसी भी डॉक्टर का यदि आप प्रेसक्रिप्शन देखेंगे, इंवैस्टीगेशन देखेंगे तो विटामिन बी-12 उसमें एडवाइज किया जाता है। मैं खुद पेशे से सर्जन हूं। पहले यह बात नहीं होती थी, मेरी समझ के मुताबिक जब से वॉटर प्योरिफायर का जमाना शुरु हुआ है, जब से

आर.ओ. प्लांट लगने शुरु हुए हैं, तब से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं समझता हूं कि वॉटर प्योरिफायर और आर.ओ. प्लांट जो पानी को शुद्ध करता है, जो उपयोगी विटामिन्स होते हैं, जो उपयोगी ट्रेस एलीमेंट्स होते हैं, उनको भी वह फिल्टर कर देता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल जो बाजार में वॉटर फिल्टर्स हैं, जो आर.ओ. प्लांट बेचे जाते हैं, यहां पर स्वयं पेयजल मंत्री उपस्थित हैं, इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर एक नियमन करना चाहिए। इसको एक वैज्ञानिक पद्धति से स्क्रूटीनाइज करना चाहिए और उस पर ऑथोरिटी का नियमन होना चाहिए ताकि इस प्रकार की बीमारियां न हो सकें। आजकल सभी जगहों पर लोग होते हैं, उसमें 60 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों में विटामिन बी-12 की कमी पाई जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वॉटर प्योरिफायर आर.ओ. प्लांट का ठीक तरह से नियमन हो और उसके लिए एक ऑथोरिटी का गठन किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 11th December, 2015 at 11 a.m.

18.38 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 11, 2015/Agrahayana 20, 1937 (Saka).